द्वितीय माला, खण्ड १३—अंक २७

१९ मार्च, १९५८ (बुधवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(Fourth Session)

(खण्ड १३ में अंक २१ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)
406 LSD

विषय-सूची

पृष्ठ

द्वितीय माला, खण्ड १३—अंक २१ से ३०— ११ मार्च से २४ मार्च, १९५८

अंक २१—मंगलावार, ११ मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८३७, ८३८, ८४१, ८४२, ८४४, ८४५, ८४८, ८५० से ८५३, ८५५, ८५७, ८५९ और ८६१ से ८६७ . २०२५–५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८३९, ८४०, ८४३, ८४६, ८४७, ८४९, ८५४, ८५६, ८५८, ८६०, ८६८, ८६९ और ८७१ से ८८२ . २०५१–६०

अतारांकित प्रश्न संख्या ११२७ से ११८४ . . . २०६०–८३

सभा पटल पर रखे गये पत्र २०८३–८४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सोलहवां प्रतिवेदन २०८४

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक—पुरस्थापित किया गया . २०८४

कार्य मंत्रणा समिति

बारहवां प्रतिवेदन २०८४–८५

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक

विचार का प्रस्ताव २०८५–८७

पारित करने का प्रस्ताव २०८७

सामान्य आय-व्ययक—सामान्य चर्चा . . . २०८८–२११२

दैनिक संक्षेपिका २११३–१७

अंक २२—बुधवार, १२ मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८८३ से ८८९, ८९२ से ९०० और ९०२ से ९०५ २११९–४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८९०, ८९१, ९०१ और ९०६ से ९१५ . २१४३–४७

अतारांकित प्रश्न संख्या ११८५ से १२२० . . २१४७–६२

स्थगन प्रस्ताव

हवालात में एक व्यक्ति की मृत्यु २१६२

पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र २१६२–६३

सभा का कार्य २१६४

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १९५८–

विचार का प्रस्ताव २१६५–६७

खण्ड १ से ५ तथा अनुसूची २१६७

पारित करने का प्रस्ताव २१६७

सामान्य आय-व्ययक, १९५८-५९—सामान्य चर्चा . . २१६७—९७

दैनिक संक्षेपिका २१९८–२२०१

अंक २३—गुरुवार, १३ मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९१६ से ९२३, ९२६, ९२७, ९२९, ९४९, ९३०, ९३२ से ९३५, ९३८, ९४० और ९४२ से ९४५ . . २२०३–२८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ और ६ . . . . २२२८–३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९२४, ९२५, ९२८, ९३१, ९३६, ९३७, ९३९, ९४१, ९४६ से ९४८ और ९५० से ९५२ . . . २२३२–३७

अतारांकित प्रश्न संख्या १२२१ से १२६३ . . . २२३८–५६

सभा पटल पर रखे गये पत्र २२५७–५९

प्राक्कलन समिति

चौथा प्रतिवेदन २२५९

भारतीय रेलवे अधिनियम के बारे में याचिका . . २२५९

भारत सरकार की वैज्ञानिक नीति के बारे में . . . २२६०

सामान्य आय व्ययक—सामान्य चर्चा . . . २२६०–८३

१९५६-५७ के लिए संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . २२८३–२३०५

दैनिक संक्षेपिका २३०६–०९

अंक २४—शुक्रवार, १४ मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९५४, ९५६, ९५८, ९६०, ९६३ से ९८५, ९६८ से ९७० और ९७२ से ९७८ . . . . . २३११–३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९५३, ९५५, ९५७, ९५९, ९६१, ९६२, ९६६, ९६७ ९७१ और ९७९ से ९८५ . . . . २३३४–३९

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६४ से १३०१ और १३०३ से १३२४ . २३३९–६३

स्थगन प्रस्ताव—

रेलवे डाक सेवा के तीन कर्मचारियों की हत्या . . . २३६४–६५

सभा पटल पर रखे गये पत्र २३६५–६६

राज्य-सभा से संदेश २३६६–६७

सभा का कार्य २३६७

सामान्य आय–व्ययक, १९५८–५९ सामान्य चर्चा . . २३६७–८६

गैर-सराकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति सोलहवां प्रतिवेदन २३८६

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये विधान मण्डलों में स्थान रक्षण की अवधि बढ़ाने के बारे में संकल्प . २३८६–२४१२

संकल्प वापस लिया गया . . . २४१२

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में संकल्प २४१२

दैनिक संक्षेपिका २४१३–१७

अंक २५—सोमवार, १७ मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८६, ९८८ से ९९४, ९९६ से ९९८ और १००१ से १००६ . . . . . २४१९–४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८७, ९९५, ९९९, १००० और १००७ से १०१६ . . . . . २४४३–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३२५ से १३४६ और १३४८ से १३७९ . २४४८–७१

सभा पटल पर रखे गये पत्र २४७१–७२

राज्य-सभा से संदेश २४७२

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति २४७२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना .

लंका में भारतीय उद्भव के राज्यहीन व्यक्ति २४७२–७३

सामान्य आय व्ययक—सामान्य चर्चा . . . २४७३–२५११

कार्य मंत्रणा समिति—

इक्कीसवां प्रतिवेदन २५११

दैनिक संक्षेपिका २५१२–१६

पृष्ठ

अंक २६—मंगलवार, १८ मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर :

तारांकित प्रश्न संख्या १०१७, १०१९ से १०२५, १०२९, १०३१, १०३२, १०३४ से १०४०, १०४२ और १०४३ . . २५१७–४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १०१८, १०२६ से १०२८, १०३०, १०३३, १०४१ और १०४४ से १०५१ . . . . . २५४२–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३८० से १४२३ . . . २५४८–६९

सभा पटल पर रखे गये पत्र २५६९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना .

रोडेशिया के एक यूरोपीय होटल से एक भारतीय राजनयाधिकारी का निकाला जाना २५६९–७०

कार्य मंत्रणा समिति .

इक्कीसवां प्रतिवेदन २५७०

सामान्य आय व्ययक, १९५८–५९—सामान्य चर्चा . . २५७१–८८

सरकारी भू गृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक संयुक्त समिति को सौंपने के लिए सहमति का प्रस्ताव २५८८–२६१९

दैनिक संक्षेपिका २६२०–२३

अंक २७—बुधवार, १९ मार्च १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५२ से १०५८, १०६० से १०६२, १०६४ १०६६ से १०६८ और १०७२ से १०७४ . . २६२५–४९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६५, १०६९ से १०७१ और १०७५ से १०८८ २६४९–५६

अतारांकित प्रश्न संख्या १४२४ से १४७०, १४७२ और १४७३ . २६५६–७५

स्थगन प्रस्ताव —

२० मार्च को छुट्टी घोषित न करना . . . २६७५–७७

सभा–पटल पर रखे गये पत्र . . . २६७७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

आकाशवाणी में कलाकारों की कथित छंटनी . . २६७७–७९

रेलवे डाक सेवा के तीन कर्मचारियों की हत्या के बारे म वक्तव्य . २६७९–८०

पृष्ठ

सरकारी भू गृहादी (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक—
सहमति के लिये प्रस्ताव २६८०–८६

अनुदानों के लिये मांगें

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय २६८६–२७३०

दैनिक संक्षेपिका २७३१–३४

अंक २८—गुरुवार, २० मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०९० से १०९५, १०९७, से ११०१, ११०४, ११०५, ११०७ से १११९, १११३ और १११५ से १११८ . २७३५–६०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८९, १०९६, ११०२, ११०३, ११०६, १११२ और १११४ . . . . . २७६१–६३

अतारांकित प्रश्न संख्या १४७४ से १५२७ . . . २७६४–८७

सभा–पटल पर रखे गये पत्र २७८८

गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति सत्रहवां प्रतिवेदन २७८८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

डीमापुर क्षेत्र में नागा विद्रोहियों का धावा . . २७८८–८९

अनुदानों की मांगें २७८९–२८३८

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . . . २७८९–२८०२

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय . . . २८०३–३८

दैनिक संक्षेपिका २८३९–४२

अंक २९—शुक्रवार, २१ मार्च, १९५८—

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११९ से ११२३, ११२६, ११२७, ११२९ से ११३१, ११३४, ११३६, ११३८ से ११४१ और ११४३ . २८४३–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११२५, ११२८, ११३२, ११३३, ११३५, ११३७ ११४२ और ११४४ से ११४९, ११५१ से ११५३, ११५५ और ११५६. . . . . २८६८–७४

अतारांकित प्रश्न संख्या १५२८ से १५७४ . २८७४–९५

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव —

सदर बाजार में अग्निकांड . . . २८९५

सभा पटल पर रखा गया पत्र . . . २८९६

प्राक्कलन समिति

दूसरा प्रतिवेदन २८९६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

हिन्दुस्तान एयर–क्राफ्ट लिमिटेड में उत्पन्न स्थिति . २८९६–९७

सभा का कार्य २८९७

अनुदानों की मांगें—

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय . . . २८९७–२९२८

गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति .

सत्रहवां प्रतिवेदन २९२८

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (धारा ५५क, ८२ और ११६ का संशोधन)—पुरःस्थापित २९२८

राज्य पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक (धारा ५१ का संशोधन)—पुरः–स्थापित २९२९

सामाजिक प्रथाएं (व्यय में कटौती) विधेयक) (धारा २० का संशो–धन और नई धारा २१ निविष्ट करना)—पुरःस्थापित २९२९–३०

खाद्य अपमिश्रण रोक (संशोधन) विधेयक (धारा २० का संशोधन और नई धारा २१ क का रखा जाना)—पुरःस्थापित . २९३०

मिरजापुर पाषाण महल (संशोधन) विधेयक (धारा ३ का संशोधन)—पुरःस्थापित २९३०

संघ राज्य–क्षेत्र (विधियां) संशोधन विधेयक—(धारा ३ का संशोधन) पुरःस्थापित . . . २९३१

दहेज रोक विधेयक—पुरःस्थापित २९३१

दहेज पर रोक विधेयक–; पुरःस्थापित . . . २९३१

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधक) विधेयक (नई धारा १२४ ख का रखा जाना)—वापस लिया गया २९३२

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४९७ का लोप) — विचार करने के लिए प्रस्ताव २९३२–४४

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

विचार करने के लिए प्रस्ताव . . २९४४–५६

दैनिक संक्षेपिका २९५७–६१

पृष्ठ

अंक ३०—सोमवार, २४ मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११५७ से ११६१, ११६३, ११७०, ११७१, ११७४, ११७५, ११७७ से ११८३, १०६३, ११६७, ११६८, ११६६ और ११७३ . २९६३–८७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ . . . . २९८८–९१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६२, ११६४, ११६५, ११६९, ११७२ और ११७६ . . . . २९९२–९३

अतारांकित प्रश्न संख्या १५७५ से १६२३ . २९९३–३०१५

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . ३०१६

प्राक्कलन समिति

तीसरा प्रतिवेदन ३०१६

लोक-लेखा समिति

तीसरा प्रतिवेदन ३०१६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

अणुशक्ति आयोग ३०१६–१७

भारतीय शपथ (संशोधन) विधेयक

पुरस्थापित ३०१७

अनुदानों की मांगें—

स्वास्थ्य मंत्रालय ३०१८–७१

भाखड़ा नंगल की विद्युत् परियोजनाओं के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . ३०७१–७६

दैनिक संक्षेपिका ३०७७–७९

नोट: मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

बुधवार, १९ मार्च, १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दामोदर घाटी निगम सिंचाई नहर

†*१०५२. **श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम सिंचाई नहर को दामोदर और हुगली के बीच त्रिवेणी के निकट अन्तर्देशीय जल परिवहन मार्ग के रूप में परिणत करने का विचार है ; और

(ख) इस परियोजना की कुल कितनी लागत होगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) दुर्गापुर के हेडवर्क्स से उद्भूत सिंचाई व्यवस्था के लिये बनाई गई बायें किनारे की मुख्य नहर को सिंचाई व नौवहन के लिये उपयोग करने की दृष्टि से निर्माण किया जा रहा है। यद्यपि इस नहर का मुख्य उद्देश्य उक्त क्षेत्र में सिंचाई करना है इस पर अधिक अतिरिक्त रकम खर्च किये बिना ही उसे नौवहन के लिये उपयोगी बनाया जा रहा है ।

(ख) इस नहर का नौवहन कार्य के लिये उपयोग करने में सम्बद्ध खर्च अनुमानतः ४.४ करोड़ रुपये है ।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : इस नहर में हो कर कितने टन माल का आवागमन होगा और यह कितनी लम्बी होगी ?

†**श्री स० का० पाटिल** : इस नहर की लम्बाई ८५ मील है जिस में से ५३ मील तक नौवहन किया जा सकेगा । कुल टन भार हर वर्ष २० लाख रहेगा ।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : क्या बिहार में दामोदर घाटी निगम की अन्य नहरों को अन्तर्देशीय परिवहन के रूप में प्रयुक्त करने का विचार है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : इस समय कोई विचार नहीं है । इस की सम्भावना भी नहीं है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : नौवहन के रूप में परिवहन की जाने वाली इस नहर का कितनी सीमा तक निर्माण हो गया है और ८५ मील लम्बी कुल नहर कब तक पूरी हो जायेगी ?

†**श्री स० का० पाटिल** : मेरे पास अभी इस प्रश्न का उत्तर नहीं है कि नहर का कितना भाग बन गया है किन्तु इस वर्ष के अन्त तक यह प्रयुक्त हो जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या इस का कोई भाग अन्तर्देशीय जल परिवहन के लिये खोला गया है ?

†**श्री स० का० पाटिल**: जी हां, ५३ मील हिस्से में ऐसा किया गया है। किन्तु मुझे यह जानकारी नहीं है कि क्या सब अभी कर दिया गया है।

†**श्री गोरे** : इस नहर की चौड़ाई और गहराई कितनी–कितनी है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : प्रारम्भ में कहीं कहीं पर इस की चौड़ाई १७२ फीट है जो बाद में चल कर ६० फीट रह जाती है। इस की गहराई ८ फीट है तथा ६ फीट वाली देशी नौका इसमें चल सकती है।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : कितने एकड़ भूमि सिंचाई योग्य बनाई जायेगी ?

†**श्री स० का० पाटिल** : इस का कई बार उत्तर दे दिया गया है। कदाचित यह कुल दस लाख एकड़ है परन्तु मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। यहां यह मुख्य प्रश्न भी नहीं था।

†**श्री जयपाल सिंह** : बिहार में कितनी सिंचाई योजनायें हैं और सिंचाई की दृष्टि से कुल कितने एकड़ भूमि प्रयुक्त हो सकती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : दामोदर घाटी निगम के अन्तर्गत या सामान्यतया ?

†**श्री जयपाल सिंह** : दुर्गापुर स्थित दामोदर घाटी निगम से केवल बंगाल को ही लाभ पहुंचेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या दामोदर घाटी निगम नहर से बिहार के किसी भाग को लाभ पहुंचेगा ?

†**श्री जयपाल सिंह** : श्रीमान्, आप भली प्रकार जानते हैं कि बाद–विवाद के दौरान हम यह पूछते रहे हैं कि पहले जो योजना थी उसे किसी अन्य रूप में क्यों परिवर्तित कर दिया गया है . . .

†**श्री स० का० पाटिल** : अन्य प्रश्न अभी उत्पन्न नहीं होते हैं। सिंचाई सम्बन्धी नहरों का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि क्या बिहार के जलाशय को सिंचाई सुविधाओं में परिवर्तित किया जा सकता है।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : दामोदर घाटी निगम के प्रस्ताव के साथ ही एक प्रस्ताव यह भी था कि बिहार के लिये एक सिंचाई नहर का उपबन्ध किया जायेगा। इस में क्यों परिवर्तन कर दिया गया है ? इस की मुख्य कठिनाइयां क्या हैं ?

†**श्री स० का० पाटिल** : इस में परिवर्तन नहीं किया गया है क्योंकि केन्द्र तथा राज्य सरकार उन सिंचाई सुविधाओं के बारे में योजनायें बना रही है जिन का खर्च अनुपात से अधिक न हो। अभी जो दो–एक योजनायें प्रस्तुत की गई थीं उनका खर्च अधिक था और इतनी अधिक लागत पर उन्हें व्यावहारिक नहीं समझा गया।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : माननीय मंत्री ने अभी बताया कि अन्तर्देशीय जल मार्ग की खुदाई के लिये ४ करोड़ रुपये खर्च होंगे। क्या यह रकम केन्द्रीय सरकार की ओर से अनुदान के रूप में दी जायेगी अथवा यह राज्य सरकार पर ऋण होगा ?

†**श्री स० का० पाटिल** : एक विशेष अधिनियम के अन्तर्गत निगम इसका नियंत्रण करेगा। माननीय मंत्री के अनुसार यदि राज्य सरकार पर यह चार करोड़ रुपये की राशि भार है तो उन्हें ३० लाख रुपये की वार्षिक आय भी होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

द्विभाषी टेलीप्रिन्टर

+

*१०५३. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री स० चं० सामन्त :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ३ दिसम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ७२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे, कि ।

(क) क्या इस बीच अंग्रेजी और हिन्दी के द्विभाषी टैलिप्रिंटर की उपयोगिता की जांच करली गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किये गये हैं ; और

(ग) यदि प्रश्न के उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की आशा है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है ।

(ख) अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

(ग) लगभग दो महीनों में ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि इस टेलीप्रिंटर की जांच करते समय शासन की ओर से इस बात पर भी ध्यान दिया जायगा कि इस समय जो पांच यूनिट कोड का टेलीप्रिंटर जारी है, उस के द्वारा देवनागरी लिपि की जितनी भी मात्रायें और दूसरे अक्षर हैं, उन को पूरी तरह से अदा नहीं किया जा सकता है और यदि छः यूनिट कोड का टेलीप्रिंटर जारी किया गया तो अधिक सुविधा होगी ?

श्री राज बहादुर : जिन विषयों की जांच हो रही है, उन में से एक मुख्य विषय यह भी है कि पांच यूनिट कोड के बजाय छः यूनिट कोड का टेलीप्रिंटर प्रयोग में लाया जाय ।

श्री जोकिम आल्वा : हिन्दी टेलीप्रिंटर बनाने में कौन सी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, क्या यह मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री राज बहादुर : हिन्दी टेलीप्रिंटर बनाने में तकलीफ यही है कि हिन्दी टेलीप्रिंटर बनाने का जो कारखाना है वह अभी स्थापित करना है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो द्विभाषी टेलीप्रिंटर है उन की क्या कीमत जापानी फर्म ने बताई है और क्या यह सूचित किया है कि अगर बड़ी संख्या में उसको लिया जायगा तो उस की कीमत घटाई भी जा सकती है ?

श्री राज बहादुर : क्योंकि अभी यह तय नहीं किया गया है कि इसे लेना है या नहीं लेना है, और अगर लेना है तो किस किस संख्या में, इस लिये कीमत का सवाल अभी देरी में तय होगा । अभी तक यह भी तय करना है कि जहां तक इंजीनियरिंग या जो ट्रेफिक होता है, उन दोनों के मामले में यह मशीन कहां तक पार उतरती है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या यह सही है कि जो दो टेलीप्रिंटर, एक यहां और दूसरा बम्बई में, चालू किये गये हैं, इन दोनों जगहों से संवाद अच्छी तरह से भेजे जा रहे हैं ?

श्री राज बहादुर : जी हां, दो मशीनें हैं एक बम्बई में और दूसरी दिल्ली में रखी गई हैं और दोनों के ऊपर इस के परीक्षण हो रहे हैं और अभी तक तो यह कहा जा सकता है कि वे संतोषप्रद हैं।

श्री स० चं० सामन्त : द्विभाषी टेलीप्रिंटर के बारे में कितने प्रस्ताव गवर्नमेंट के पास आये हैं और क्या कलकत्ता से भी कोई आया है ?

श्री राज बहादुर : अगर प्रस्ताव का अर्थ मांग से है तो कितनी मांग इन के बारे में है, इस का पता लगाने में देरी लगेगी ।

श्री हेडा : मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री महोदय के कहने का तात्पर्य यह है कि जिस जापानी फर्म ने उन के पास अपनी यह सारी स्कीम भेजी है, उस ने कीमत का कोई अंदाज़ा नहीं दिया है ?

श्री राज बहादुर : कीमत का अंदाज़ा इस समय मेरे पास नहीं है ।

श्री भक्त दर्शन : मैं जानना चाहता हूं कि विभाग के कौन कौन से विशेषज्ञ इस के बारे में जांच कर रहे हैं और क्या इस बात का प्रयत्न किया जायगा कि संसद् सदस्यों को भी इन दोनों प्रकार के टेलीप्रिंटरों को देखने का मौका मिले ?

श्री राज बहादुर : जहां तक विशेषज्ञों के नामों का सम्बन्ध है, उनके नाम हैं ।

श्री एस० के० कांजीलाल, डिप्टी डायरेक्टर जनरल ट्रेफिक ;

श्री वासुदेवन, जो डायरेक्टर हैं, टेली-कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर के ;

श्री एस० एम० अग्रवाल जो डायरेक्टर आव टेलीफोन हैं ;

श्री जी० वी० मेनन तथा श्री भटनागर आव दी रिसर्च ब्रांच ।

मुख्य मुख्य बातें जिन पर वे विचार करेंगे वे ये हैं कि कितना खर्चा इस पर लगेगा, किस प्रकार की इस की स्पीड होगी, अगर एक फैक्ट्री बनाई जाय तो उत्पादन में क्या व्यय होगा और जो वर्तमान में मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं उन का अन्त में क्या किया जायगा । जहां तक अन्तर्देशीय संचार व्यवस्था का सम्बन्ध है, उस में पांच यूनिट कोड का प्रयोग किया जाय या छः यूनिट कोड का । ये पांच छः बातें हैं जिन की इन विशेषज्ञों न जांच करनी है और वे कर रहे हैं ।

दमदम में विमान दुर्घटना की जांच

+

†*१०५४. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री ही० ना० मुकर्जी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ६ दिसम्बर, १६५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ८६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १ सितम्बर, १६५७ को दमदम हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त इण्डियन एयर-लाइन्स कारपोरेशन फ्रेटर डकोटा में चालक वृन्द के चार सदस्यों की मृत्यु की जांच करने के लिये नियुक्त समिति के प्रतिवेदन पर सरकार ने विचार किया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर)**: (क) और (ख). जांच न्यायालय के प्रतिवेदन का अभी परीक्षण किया जा रहा है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : जांच न्यायालय के सदस्य कौन कौन थे तथा क्या कोई गैर-सरकारी व्यक्ति भी इस से सम्बद्ध था ?

†**श्री हुमायूं कबीर** : जांच न्यायालय में उच्च न्यायालय के केवल एक न्यायाधीश थे ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या यह सच है कि जांच न्यायालय की उपपत्ति के आधार पर उक्त दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की युवा विधवा स्त्रियों और बच्चों को अभी तक कोई प्रतिकर नहीं दिया गया है ?

†**श्री हुमायूं कबीर** : यह सच नहीं है । चार में से तीन सदस्यों को प्रतिकर दे दिया गया है चौथे सदस्य की स्थिति में प्रतिकर नहीं दिया गया है क्योंकि कोई व्यक्ति उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र सहित प्रस्तुत नहीं हुआ है ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या यह सच है कि दमदम और उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण क्षेत्र में सब से अधिक दुर्घटनायें होती हैं और यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात का प्रयत्न किया है कि इन दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो ?

†**श्री हुमायू कबीर** : यह सर्वथा विभिन्न प्रश्न है । किन्तु यदि आप पूछते हैं तो मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : नहीं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : जबकि यह रिपोर्ट कई महीने पहले अन्तिम रूप को प्राप्त हो गई थी और जब जांच न्यायालय के अनुसार इस में चालक की गलती सिद्ध हुई है तो फिर इस में विलम्ब का क्या कारण है ?

†**श्री हुमायूं कबीर** : मेरा विचार है कि माननीय सदस्य के दोनों सुझावों में थोड़ी गलती है । रिपोर्ट ८ अक्तूबर, १९५७ को प्रस्तुत की गई थी । एक टेकनीकल तथ्य के बारे में मतभेद था कि हवाई अड्डे में समानान्तर हवाई पट्टी के एक साथ प्रयोग से क्या अभिप्राय है तथा उस के लिये अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन में हमारे प्रतिनिधि से राय मांगी गई थी । मैं माननीय सदस्य को यह बता दूं कि अन्तिम अवस्था प्राप्त हो गई है और एक सप्ताह बीतने के पहले ही हम जांच न्यायालय की उपपत्तियों के सम्बन्ध में निर्णय कर लेंगे । जहां तक दूसरी सरकार का सम्बन्ध है हम इसे प्रकट नहीं कर सकते हैं और इस दिशा में यह प्रथा है कि जब तक सरकार उपपत्तियां स्वीकार नहीं कर लेती हैं वे दूसरी सरकार से परामर्श करेंगे । और फिर तिथि निर्धारित कर दोनों देशों में एक साथ इसे प्रकाशित कर दिया जायेगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिये कोई तिथि निश्चित की गई है तथा क्या दूसरे देश की सरकार ने इस रिपोर्ट के बारे में अपना निष्कर्ष प्रस्तुत किया है ?

†**श्री हुमायूं कबीर** : कदाचित् माननीय सदस्य ने मेरा उत्तर नहीं सुना । मैंने अभी इस का उत्तर दिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जयपाल सिंह** : क्या इस का यह अभिप्राय है कि अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन विनियमन स्पष्ट रूप में हवाई पटरी के समानान्तर प्रयोग की ओर संकेत नहीं करते हैं ?

†**श्री हुमायूं कबीर** : पहले यह सुझाव था। किन्तु अब हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि . .

†**श्री जयपाल सिंह** : क्या अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन विनियमन में इस का उपबन्ध नहीं है ?

†**श्री हुमायूं कबीर** : माननीय सदस्य उड्डयन सम्बन्धी ज्ञान रखते हैं और वह जानते हैं कि इन मामलों में निर्णय अन्तर्राष्ट्रीय संगठन नहीं परन्तु सरकार करती है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या जांच न्यायालय की रिपोर्ट हमारी सरकार और दूसरी सरकार ने स्वीकार कर ली है तथा आरम्भिक प्रतिकर स्वरूप दी गई रकम उपपत्ति के अनुसार उगाही जायेगी ?

†**श्री हुमायूं कबीर** : इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्रतिकर दिया गया है। इस रिपोर्ट पर निर्णय कर लेने के पश्चात्, यदि ब्रिटिश सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया तो इस प्रश्न का पुनरीक्षण किया जायेगा।

कांडला विमान पत्तन

†*१०५५. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांडला विमान पत्तन में नौवहन सहायक मशीनें लगाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) क्या इस हवाई पट्टी में डकोटा विमान उतर सकेंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर)** : (क) वायरलैस स्टेशन के लिये भवन निर्माण किया जा रहा है और दूर संचार उपकरण प्राप्त कर लिये गये हैं तथा कांडला भेजने के लिये तैयार हैं। कांडला में विमान सेवा चलाने के बारे में निर्णय कर लेने के बाद एक सप्ताह के भीतर ये उपकरण लगा दिये जायेंगे।

(ख) जी, हां।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : कुल खर्च कितना होगा ?

†**श्री हुमायूं कबीर** : हवाई अड्डे के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन १७.२९ लाख रुपये है।

†**श्री जयपाल सिंह** : इस बात को देखते हुए कि आज या कल डैकोटा विमान पुराने पड़ जायेंगे और भविष्य में इनके स्थान पर चाहे जो कोई भी विमान आये वह इस से बड़ा होगा और उसके लिये लम्बी पटरी दरकार होगी, क्या मैं जान सकता हूं कि नई विमान पटरियां बनाते समय क्या सरकार इस बात के लिये भी प्रबन्ध करने की बात ध्यान में रख रही है ?

†**श्री हुमायूं कबीर** : यह सच है कि बड़े हवाई अड्डों में बड़ी पटरियां अपेक्षित होंगी परन्तु हमें ऐसे छोटे हवाई अड्डे भी रखने होंगे जहां बहुत बड़े विमानों के आने जाने की आशा नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जयपाल सिंह** : क्या हम यह समझें कि कांडला हवाई अड्डा सदैव एक छोटा हवाई अड्डा ही रहेगा ?

†**श्री हुमायूं कबीर** : कांडला हवाई अड्डे की पटरी ५,००० फीट लम्बी है और हमें आशा है कि विमानों के इंजन में सुधार होने से भविष्य में बहुत अधिक बड़े विमान ५,००० फीट में उड़ान भर सकते हैं और उतर सकते हैं ।

रेलवे समपारों पर सीटी-बोर्ड[1]

†***१०५६. श्री झूलन सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सभी ऐसे समपारों पर जहां कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं किया जाता है सीटी-बोर्ड की व्यवस्था करने से सम्बन्धित प्रस्ताव किस चरण पर है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : दुर्घटना प्रत्यालोचन समिति की सिफ़ारिश के अनुसार उन सभी समपारों पर, जहां कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं है, सीटी बोर्ड की व्यवस्था करने का कार्य रेलवे द्वारा एक कार्यक्रम बना कर किया जा रहा है ।

†**श्री झूलन सिंह** : सारे देश में इस योजना को पूरा करने पर कितनी रकम खर्च होगी ?

†**श्री शाहनवाज खां** : मुझे पृथक् रूप से पूर्वसूचना चाहिये ।

†**श्री तिरुमल राव** : इन सभी समपारों पर कर्मचारियों की व्यवस्था करने में कितना समय लगेगा और योजना किस चरण पर है तथा इसे कितने वर्षों में फैलाया गया है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : सभी समपारों पर कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं होती है; जहां कहीं आवश्यक हो वहीं समपारों पर कर्मचारी नियुक्त किया जाता है ।

†**श्री तिरुमल राव** : माननीय उपमंत्री ने अभी कहा है कि जिन समपारों पर किसी कर्मचारी की व्यवस्था नहीं है उन सभी समपारों पर सीटी बोर्ड स्थापित किये जायेंगे । यह योजना कितनी अवधि में फैलाई गई है और कब तक पूरी होगी ?

†**श्री शाहनवाज खां** : प्रश्न सीटी बोर्ड की व्यवस्था करने का है, अर्थात् लकड़ी के ऐसे बड़े तख्ते लगाने का जिन पर बड़े बड़े अक्षरों में शब्द 'विसल' लिखा रहता है । यह काम तेजी से किया जा रहा है और हमें आशा है कि अगले कुछ महीनों में उन सभी समपारों पर सीटी बोर्ड लग जायेंगे जहां कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं है ।

†**श्री झूलन सिंह** : अब तक ऐसे कितने समपारों पर इन बोर्डों की व्यवस्था की जा चुकी है जहां कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : लगभग ५,००० ।

---

† मूल अंग्रेजी में

[1]Whistle Boards.

मुअत्तल रेलवे कर्मचारी

†*१०५७. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या रेलवे मंत्री रेलवे सेवा (राष्ट्रीय सुरक्षा का परित्राण) नियमों के अधीन कर्मचारियों के निलम्बन से सम्बन्धित १७ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ९४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब मुअत्तल रेलवे कर्मचारियों के ५२ मामलों का पुनर्विलोकन कार्य पूरा कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन में से कितने कर्मचारी पुन: नियोजित किये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) ५ मामलों में पुनर्विलोकन कार्य पूरा हो चुका है और शेष मामलों में कार्यवाही की जा रही है ।

(ख) एक ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** नौ वर्ष से अधिक समय बीतने पर भी अभी तक यह समस्त कार्य निबटाया नहीं गया है । क्या मैं विलम्ब का कारण जान सकता हूं ?

†**श्री शाहनवाज खां :** विलम्ब के कारण सम्भवत: मेरे माननीय मित्रों को भली भांति ज्ञात हैं। इन में कुछ मामले विभिन्न विधि न्यायालयों को निर्दिष्ट किये गये थे और कुछ उच्च न्यायालयों ने कुछ निर्णय दिये थे और हमें उन निर्णयों के अनुसार कार्यवाही करनी थी । यही कारण है कि कुछ विलम्ब हुआ है । परन्तु जैसा कि मंत्री महोदय ने सदन में वचन दिया था, मामलों का शीघ्रता से पुनर्विलोकन किया जा रहा है और हमें आशा है कि अगले कुछ महीनों में हम इन सभी मामलों के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लेंगे ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** जिन पांच मामलों के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय किया गया है उन में से एक व्यक्ति को पुन: नियोजित किया जा चुका है । अन्य चार मामलों के सम्बन्ध में किस प्रकार का निर्णय किया गया है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** उनकी सेवायें समाप्त की गई हैं ।

†**श्री तंगामणि :** इन ५२ मामलों में से अधिकांश १९४८ से विलम्बित हैं और उन में से अधिकाश भूतपूर्व एस० आई० आर० के मामले भी थे । माननीय उपमंत्री ने कहा है कि न्यायालयों में कुछ कार्यवाहियों के कारण विलम्ब हुआ था । क्या ऐसे मामले भी हैं जिनमें इन न्यायालयों के कारण विलम्ब हुआ है, और यदि हां, तो इन ५२ मामलों में से इस प्रकार के मामलों की संख्या कितनी है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** क्योंकि ये ५२ मामले हैं इसलिये प्रत्येक मामले के सम्बन्ध में एक एक बात का ब्यौरा बताने में मुझे काफ़ी समय लगेगा । ५२ मामलों में से ५ मामले निबटाये जा चुके हैं, आजकल ३० मामलों का पुनर्विलोकन किया जा रहा है और हमें आशा है कि हम शीघ्र ही कोई निर्णय कर लेंगे । शेष १७ मामले बच रहते हैं और उन का निर्णय न्यायालयों द्वारा किया जाना है ।

†**श्री तंगामणि :** इन ३० कर्मचारियों के मामलों का अन्तिम निर्णय कब किया जायेगा ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री शाहनवाज खां :** हम रेलवे मंत्रालय में उन मामलों के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर चुके हैं और अब उन्हें गृह-कार्य मंत्रालय को उनकी अन्तिम मंजूरी के लिये भेज दिया गया है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** इस बात को देखते हुए कि ये असाधारण मामले हैं और ये व्यक्ति निर्वाह भत्ते के रूप में अपने वेतन की केवल एक-चौथाई रकम पाने के हकदार हैं और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि काफ़ी लम्बे समय से वे व्यक्ति मुअत्तल हैं, क्या सरकार का निर्वाह भत्ते की मात्रा बढ़ाने का प्रस्ताव है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** जी, नहीं । हमें वर्तमान नियमों का पालन करना होगा ।

जापान से जहाजों का क्रय

\+

†*१०५८. { **डा० राम सुभग सिंह :**
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री वें० प० नायर :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जापान से जहाज़ खरीदने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो वहां से जहाज़ों का कुल कितना टन-भार खरीदा जायेगा; और

(ग) किन निबन्धनों पर इस सौदे को अन्तिम रूप दिया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी, हा ।

(ख) तथा (ग). खरीदे जाने वाले जहाज़ों के टन-भार तथा क्रय सम्बन्धी निबन्धनों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** इस सम्बन्ध में क्या इस समय कोई बातचीत हो रही है और जापान से जहाज़ों को खरीदने से टन-भार सम्बन्धी देश की वर्तमान आवश्यकतायें किस सीमा तक पूरी होंगी ?

†**श्री राज बहादुर :** इस सौदे के कारण जो येन ऋण प्राप्य होगा उस में से हमें आशा है कि हम तीन जहाज़ प्राप्त कर सकेंगे और हो सकता है अब जो बातचीत की जा रही है उसके तथा भविष्य में की जाने वाली वार्ता के परिणामस्वरूप हम कुछ और जहाज़ों का अर्जन भी कर सकें ।

†**श्री वें० प० नायर :** जापानी जहाज़ों के मूल्य के बारे में क्या संकेत किया गया है और इन जहाज़ों को कब तक दिये जाने का अनुमान है ?

†**श्री राज बहादुर :** जैसा कि मैंने कहा था तीनों जहाज़ों की कुल कीमत लगभग ३० लाख पौंड होगी। जहां तक इन्हें दिये जाने के समय का सम्बन्ध है, मेरे विचार में अगले वर्ष तक ये जहाज़ हमें प्राप्त हो जायेंगे ।

---

† मूल अंग्रेजी में

†श्री रंगा : यदि हम यूरोप में किसी जहाज़ को खरीदें तो उस के मूल्य की तुलना में हमें जापानी जहाज़ों की जो कीमत देनी होगी, क्या उन दोनों में पर्याप्त अन्तर है ?

†श्री राज बहादुर : मेरे विचार में अधिक अन्तर न होगा ।

†श्री रंगा : तो फिर विशेष लाभ क्या है ? क्या हम जापान से इस कारण जहाज़ खरीद रहे हैं कि यूरोप से जहाज़ प्राप्त करने में हमें कठिनाई है अथवा जापान से इन्हें खरीदने में किसी विशिष्ट लाभ के कारण हम ऐसा कर रहे हैं ?

†श्री राज बहादुर : स्पष्ट लाभ येन ऋण है ।

†अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य चाहते हैं कि सरकार सिद्धान्त रूप में केवल पश्चिम में ही जाये और पूर्व में न जाये ?

†श्री रंगा : जी नहीं, विशिष्ट लाभ क्या है ?

†अध्यक्ष महोदय : कोई लाभ नहीं है ।

†श्री रंगा : यदि यह बराबर नहीं है, तो यह अच्छा है ।

†अध्यक्ष महोदय : अच्छी बात है । प्रश्न पूछते समय माननीय सदस्यों का कुछ तात्पर्य अवश्य होना चाहिये । वे सरकार से क्या करने की आशा करते हैं ? जापान को छोड़ दिया जाये और केवल पश्चिम में ही जाया जाये ?

†श्री याज्ञिक : इन जहाज़ों का कुल टन-भार कितना है ?

†श्री राज बहादुर : अपनी अपेक्षायें तथा हमें किस प्रकार के जहाज़ प्राप्त हो सकते हैं, यह मालूम होने के बाद कुल टन-भार का निर्णय करना होगा ।

†श्री याज्ञिक : जब तक उन्हें यह मालूम नहीं है कि वे जापान से कुल कितना टन-भार खरीद रहे हैं तब तक क्रय के निबन्धनों के सम्बन्ध में कैसे बातचीत की जा सकती है ?

†श्री राज बहादुर : हमें एक तेज वाहक जहाज़ खरीदना है, एक मालवाही जहाज़ खरीदना है, और यदि सम्भव हुआ तो हमें एक मालवाही एवं यात्री जहाज़ भी खरीदना है । लेकिन टन-भार कितना होगा यह बात समवायों अथवा निगमों के, जो इस सम्बन्ध में जहाज़ अर्जन करना चाहेंगे, निबन्धनों तथा अपेक्षाओं पर निर्भर होगी ।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड में जहाज़ों का दोषपूर्ण निर्माण

†*१०६०. श्री रघुनाथ सिंह : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड में निर्मित तीन और जहाज़ वी० सी १३७, वी० सी० १३६ तथा वी० सी० १४२ त्रुटिपूर्ण पाये गये हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : प्रश्न में जिन जहाज़ों की ओर निर्देश किया गया है उनमें कोई त्रुटि नहीं देखी गई है ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि चूंकि अखबारों में यह बात बहुत जोरों से आई है कि जो तीनों शिप्स तैयार हुए हैं वे ठीक नहीं हैं, क्या आप के द्वारा इस के सम्बन्ध में कोई तहकीकात हुई ?

†मूल अंग्रेजी में

श्री राज बहादुर : तैयार हुए हैं ? मैं तो समझता हूं कि हो रहे हैं । उन के बारे में जो उन का बेसिक प्लैन होता है वह तैयार किया गया, वर्किंग प्लैन तैयार किया गया । फिर उन की जांच हुई । जांच करने के बाद जो कुछ भी उन का परीक्षण था उस से मालूम पड़ा कि वे पूर्णतया स्टेबल होंगे । फिर भी बिल्कुल टेकनिकल टर्म में, 'थ्योरेटिकल वे' में कहा जा सकता है कि जी० एम० अर्थात् ग्रेविटी ऐंड मेटासेन्ट्रिक हाइट में कुछ अन्तर हो सकता है । उस के बारे में भी यह तय हो चुका है कि इन जहाजों में किसी प्रकार का दोष आने वाला नहीं है ।

†**श्री गोरे** : क्या ये जहाज़ फ्रांसीसी विशेषज्ञों की देखरेख में निर्मित किये जा रहे हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : जब तक फ्रांसीसी विशेषज्ञ वहां हैं, निःसन्देह हम उन से सलाह करते हैं और उनकी मंत्रणा प्राप्त करते हैं ।

†**श्री गोरे** : क्या यह सच नहीं है कि इन्हीं फ्रांसीसी विशेषज्ञों ने हमें 'अन्दमान' के सम्बन्ध में मंत्रणा दी थी और हम ने देखा था कि 'अन्दमान' कुछ त्रुटिपूर्ण है तथा उसमें नुक्स है ?

†**श्री राज बहादुर** : 'अन्दमान' की जाच की जा चुकी है । मैं माननीय सदस्य तथा सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि इन परामर्शदाताओं की सहायता से हम १० जहाज़ निर्मित कर चुके हैं और वे समुद्र में चल रहे हैं । केवल एक जहाज़ में कुछ दोष देखने के कारण यह बात सिद्ध नही होती है कि सभी जहाज़ों में वही दोष हैं, विशेष रूप से इस बात को देखते हुए कि उनकी सलाह से तथा उनके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन १० जहाज़ पहिले ही निर्मित किये जा चुके हैं और ये जहाज़ अब समुद्र में चल रहे हैं ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : इन जहाज़ों को कब समुद्र में उतारने का प्रस्ताव है ?

†**श्री राज बहादुर** : मुझे पूर्व-सूचना चाहिये, क्योंकि वे अभी अपने प्रारम्भिक चरणों में हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह : इस के बारे में आप ने कहा था कि एन्क्वायरी हो गई है । मैं जानना चाहता हूं कि एन्क्वायरी रिपोर्ट आई या नहीं ?

श्री राज बहादुर : एन्क्वायरी रिपोर्ट आ गई है ।

कलकत्ता गोदी के श्रमिकों द्वारा हड़ताल

†***१०६१. श्रीमती मकीदा अहमद** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, १९५८ में कलकत्ता पत्तन में कलकत्ता गोदी श्रमिकों द्वारा हड़ताल करने से जहाज़ों पर माल लादने, उतारने तथा अन्य सहायक कार्य पर क्या प्रभाव हुआ था;

(ख) क्या निर्धारित अवधि में माल न उतारने के कारण नौवहन समवाय को कोई विलम्ब शुल्क देना पड़ा था; और

(ग) यदि हां, तो विलम्ब शुल्क के रूप में कितनी रकम दी गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) हड़ताल के दौरान पत्तन में केवल सीमित पैमाने पर ही माल लादने तथा उतारने का कार्य करना सम्भव था और इस से आने वाले तथा जाने वाले, दोनों प्रकार के जहाज़ रुके रहे थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) तथा (ग). हड़ताल के दौरान होने वाली समय की हानि भाड़े पर लिये गये जहाजों के लिये "भरणरेचन काल" के रूप में नहीं गिनी जाती है और इसलिये कोई विलम्ब शुल्क देय नहीं था ।

†**श्री मोहम्मद इलियास** : हड़ताल का क्रमण क्या था ? क्या श्रमिकों द्वारा सरकार के सामने कोई मांगें रखी गई हैं ? हड़ताल खत्म कैसे हुई थी ?

†**श्री राज बहादुर** : कुछ मांगें की गई थीं। मेरे विचार में मुझे विस्तार में उन की चर्चा नहीं करनी चाहिये अन्यथा उत्तर बहुत लम्बा हो जायेगा। क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के हस्तक्षेप करने पर मांगों का निबटारा कर दिया गया था। एक समझौता हो गया था। समझौते पर दस्तखत करवा लिये गये थे। फिर भी हड़ताल खत्म नहीं की गई थी। श्रमिक नेताओं द्वारा अपील करने पर भी जब तक आपात स्थिति की घोषणा नहीं की गई तब तक हड़ताल जारी रही थी और इस के बाद अगले दिन हड़ताल समाप्त की गई थी।

†**श्री तंगामणि** : कलकत्ता गोदी के श्रमिकों ने जिन मांगों के कारण हड़ताल की थी क्या उन में से एक मांग चौधरी समिति के प्रतिवेदन को लागू करने के लिये थी ?

†**श्री राज बहादुर** : जी, नहीं। इस विशिष्ट घटना का उस से कोई सम्बन्ध नहीं था।

†**श्री स० म० बनर्जी** : माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि समझौता अधिकारी ने हस्तक्षेप किया था और किसी प्रकार का कोई समझौता हुआ था। किन विशिष्ट बातों के सम्बन्ध में बातचीत की गई थी और समझौता हुआ था ?

†**श्री राज बहादुर** : इस की सूची बहुत लम्बी होगी। लेकिन मैं पढ़े देता हूं....

†**अध्यक्ष महोदय** : मुख्य मांग क्या थी ?

†**श्री राज बहादुर** : मुख्य माग जनवरी, १६५८ की मजूरी के साथ मासिक श्रमिकों को वर्ष के दौरान में आने वाली वैतनिक छुट्टियों के सम्बन्ध में अतिरिक्त मजूरी की बकाया राशि देने के लिये थी। सरकार से बोर्ड यह स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा कि क्या १६५६ की गोदी श्रमिक (रोज़गार के विनियमन) योजना के अधीन अतिरिक्त मजूरी दी जा सकती है। यदि यह कहा गया कि कोई अतिरिक्त मजूरी नहीं दी जाती है तो बकाया रकमों की अदायगी प्रसादतः भुगतान समझी जायेगी और कोई अग्रेतर भुगतान नहीं किया जायेगा। यह मुख्य मांग थी।

†**श्री मोहम्मद इलियास** : अक्तूबर मास में सरकार को चौधरी समिति का जो प्रतिवेदन सौंपा गया था उस की सिफ़ारिशों को लागू करने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं इस प्रश्न का उत्तर पहिले पूरी तरह से दे चुका हूं और यह बात इस विशिष्ट प्रश्न से उत्पन्न नहीं होती है। फिर भी मैं यह बता देना चाहता हूं कि चौधरी समिति की सिफ़ारिशों को लागू करने के सम्बन्ध में विभिन्न पत्तनों में बातचीत हो रही है। मद्रास में एक समझौता लगभग हो चुका है; बम्बई में समझौता होने वाला है; कलकत्ता में भी उन्होंने बहुत अच्छी प्रगति की है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सारडीन मछली का तेल

†*१०६२. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सारडीन मछली से पारस्परिक उपायों के स्थान पर मशीन द्वारा तेल निकालने के लिये एक उपयुक्त छोटी मशीन आविष्कृत करने के सम्बन्ध में क्या कोई गवेषणा कार्यक्रम है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा): (क) इस प्रयोजन के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोचीन के केन्द्रीय मीन-क्षेत्र टेक्नोलोजी गवेषणा केन्द्र में एक विघायन शाखा स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है ।

(ख) खाद्य तथा कृषि संगठन का एक विशेषज्ञ ब्यौरा तैयार कर रहा है। अब तक प्राप्य जानकारी से मालूम होता है कि मछली से मछली का तेल निकालने के लिये वही तरीके लागू होंगे जिनका कोज़ीकोडे के राज्य मीन-क्षेत्र टेक्नोलोजी गवेषणा केन्द्र में विकास किया गया है ।

†श्री वें० प० नायर : क्या सरकार को मालूम है कि सारडीन मछली की पिछली ऋतु में मछलियों को जमा रखने तथा तेल निकालने की विद्या संबंधी सहूलियतें कम होने के कारण तेल सम्बन्धी सारडीन मछलियों की पर्याप्त मात्रा नष्ट करनी पड़ी थी ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : जी, हां । इस वर्ष केरल अत्यन्त भाग्यवान था । पिछले वर्ष की तुलना में इसे लगभग १०० प्रतिशत अधिक मछलियां प्राप्त हुई थीं । तीन महीनों में लगभग २ लाख टन सारडीन मछली पकड़ी गई थीं । यह आशा की जाती है कि इस में से लगभग २५ से ३० प्रतिशत सारडीन मछली तेल वाली थी । यदि हम उन तमाम मछलियों से तेल निकाल सकते तो इस से हमारे उद्योग की बहुत सहायता होती, क्योंकि सारडीन तेल का औद्योगिक उपयोग भी है । मैं माननीय सदस्य की इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि सुधार के लिये गुंजाइश है । हम ने शुरूआत की है और मुझे आशा है कि हम बहुत जल्दी उस चरण तक पहुंच जायेंगे जब हमें वह सभी कुछ प्राप्त हो सकेगा जिस की हम कामना करते हैं ।

†श्री वें० प० नायर : क्या सरकार को कुछ जानकारी है कि निकट भूतकाल में किसी ऋतु में तेल निकालने की विद्या में मछुओं की मजबूरियों के कारण उन्हें कितनी हानि हुई थी ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : यह यथार्थ में हानि नहीं है । क्योंकि सारडीन मछली का मिलना अनिश्चित होता है इसलिए वे स्थिति का सामना नहीं कर सकते थे । जब सारडीन मछलियां आती हैं तो वे ढेरों आती हैं । उन्हें इतनी मछली मिली थी कि एक आने में १०० मछलियां प्राप्त की जा सकती थीं । मैं वहां दो दिन तक रहा था और मैं चावल से अधिक मछलियां खा सकता था । उन्होंने तीन महीनों में इतनी मछलियां पकड़ीं जिस की वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि सारडीन का मिलना अनिश्चित होता है । एक वर्ष ये मछलियां आती हैं, हो सकता है किसी और वर्ष में न आयें और फिर अगले वर्ष अनगिनत संख्या में आ जायें ।

†श्री वें० प० नायर : क्योंकि मछली का मिलना अनिश्चित है और कोई भी नहीं जानता कि वे कब आ जायें इसलिये मेरा ऐसा कहने का तो और भी कारण है कि कोई ऐसी विधि होनी चाहिये कि जब ये मछलियां इस प्रकार अत्यधिक मात्रा में आयें तो औद्योगिक कच्चे माल के रूप में तेल में इन्हें परिवर्तित किया जा सके । इस कार्य के लिये क्या सरकार की कोई विशिष्ट योजना है जिस के द्वारा वह रुपया खर्च करना चाहती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : जी, हां। मैं ने पहिले इसी बात का उत्तर दिया था। अपने कोचीन टैक्नोलोजी केन्द्र में हम सारडीन मछली से तेल निकालने के स्थानीय ढंग में सुधार करना चाहते हैं। यह तीन से चार महीने का 'मौसमी' उद्योग है। यह एक ऐसा उद्योग नहीं है जिस पर वर्ष भर निर्भर रहा जा सके। इसलिये कार्लीकट में एक कारखाना है जो इस योजना के संबंध में कार्य कर रहा है।

तार

+

†*१०६४. { श्री सरजू पाण्डे :
श्री संगण्णा :
श्री राम कृष्ण :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रथम श्रेणी तथा वातानुकूलित डिब्बों में यात्रा कर रहे यात्रियों को तार बांटने की व्यवस्था रेलवे के सभी जोनों में लागू की गई है ;

(ख) यदि हां, तो कब से; और

(ग) प्रतिवर्ष कितनी रकम खर्च होने की संभावना है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) कुछ रेलों में यह व्यवस्था काफी समय से लागू थी और पिछले कुछ महीनों से इसे अन्य रेलों में भी लागू किया गया है।

(ग) कुछ भी अतिरिक्त खर्च नहीं होता।

†श्री तंगामणि : क्या दक्षिण रेलवे में सभी क्षेत्रों में यात्रा कर रहे यात्रियों को तार बांटने की यह व्यवस्था लागू की गई है ?

†श्री शाहनवाज खां : जी, हां। हम ने इस संबंध में हिदायतें जारी की हैं।

†श्री बि० दास गुप्त : क्या तार बांटने की यह व्यवस्था तृतीय श्रेणी के यात्रियों के सम्बन्ध में भी लागू की गई हैं ?

†श्री शाहनवाज खां : जी हां, गाड़ी में किसी भी व्यक्ति को तार दिया जा सकता है और कुछ जानकारी देनी होती है। तृतीय श्रेणी के यात्रियों के मामलों में रेलों का एक कर्मचारी तार ले कर गाड़ी के साथ-साथ चलता है और प्रेषिती का नाम पुकारता है और यदि उसे प्रेषिता का पता लग जाये तो वह उसे तार सौंप देता है।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड के फ्रांसीसी परामर्शदाताओं का ठेका

+

†*१०६६. { श्री रघुनाथ सिंह :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री वि० च० शुक्ल :
श्री वाजपेयी :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड के फ्रांसीसी परामर्शदाताओं का ठेका समाप्त करने के लिये उन्हें छः महीने का एक नोटिस दिया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो नोटिस कब दिया गया था; और

(ग) फ्रांसीसी परामर्शदाताओं की जगह किसे रखा जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां।

(ख) २ जनवरी, १९५८ ।

(ग) यह मामला हिन्दुस्तान शिपयार्ड (प्राइवेट) लिमिटेड के निदेशकों के बोर्ड के विचाराधीन है ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : आप ने फ्रेंच लोगों को नोटिस दिया है और अब वह जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उन के स्थान पर कौन से कारपोरेशन या फर्म को या कौन से लोगों को शिपयार्ड के काम देने का विचार किया जा रहा है ?

†**श्री राज बहादुर** जैसा मैं ने अभी निवेदन किया यह प्रश्न अभी विचाराधीन है और जब तक इस पर कोई निर्णय न हो जाये मेरे लिये कुछ कहना सम्भव नहीं है ।

†**श्री रंगा** : क्या हमने अपने कुछ भारतीयों को प्रशिक्षित करने की दिशा में भी कोई कार्यवाही की है ताकि इन फ्रांसीसियों के कम से कम एक या दो स्थानों पर उन्हें नियुक्त किया जा सके ?

†**श्री राज बहादुर** : जहां तक इस बात का संबंध है ठेके का एक निबन्धन यह भी था कि वर्तमान परामर्शदाता हमारे व्यक्तियों को इस विशिष्ट उद्योग में प्रशिक्षित भी करेंगे ।

†**श्री रंगा** : वर्तमान स्थिति क्या है ? क्या हम अपेक्षित स्तर तक किसी को प्रशिक्षित करने में सफल भी हुए हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : हम प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस संबंध में भी मैं कुछ तथ्य तथा आंकड़े उन व्यक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में बता चुका हूं जिन्हें उन के नावांगणों में उन व्यक्तियों द्वारा पहिले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : क्या यह सच है कि 'अन्दमान' के निर्माण के सम्बन्ध में भारतीय विशेषज्ञों की मंत्रणा फ्रांसीसी परामर्शक की मंत्रणा के प्रतिकूल थी और यद्यपि देश में मंत्रणा प्राप्य थी तथापि उसे माना नहीं गया था ?

†**श्री राज बहादुर** : यह जांच का एक विषय है। लेकिन मैं यथासंभव शीघ्र ही सदन के समक्ष सभी तथ्य प्रस्तुत करना चाहूंगा क्योंकि उस से इस संबंध में उत्पन्न कुछ भ्रम दूर हो जायेगा।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या यह सच है कि सरकार का सभी परामर्शकों को हटाने और केवल भारतीय प्रविधिज्ञों को नावांगण का कार्यभार सौंपने का विचार है ?

†**श्री राज बहादुर** : इस बात को देखते हुए कि हमें जहाजों के निर्माण के संबंध में प्रविधिक कार्य के विशेषज्ञों तथा इंजीनियरिंग दक्षता की आवश्यकता है, हमें विदेशों से कुछ परामर्शक रखने ही होंगे।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** : मैं ने यह जानकारी मालूम करने के लिये प्रश्न पूछा था कि क्या केवल भारतीयों को ही नावांगण का कार्यभार संभालने के लिये देश में पर्याप्त प्रविधिक दक्षता नहीं है ?

†**श्री राज बहादुर** : इसी बात की तो हमें आवश्यकता है। इसलिये हमें अपेक्षित दक्षता प्राप्त करने के लिये किसी अन्य देश के पास जाना ही होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जोकीम आल्वा** : फ्रांसीसी परामर्शकों की सेवायें खत्म करते समय क्या सरकार ने इस बात का अंदाजा भी लगाया था कि समस्त अवधि में इन व्यक्तियों की सेवाओं के कारण वास्तविक हानि कितनी हुई है ? क्या इस सम्बन्ध में हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : ये व्यक्ति विशिष्ट प्रयोजनों के लिये आये थे। उन में से एक प्रयोजन नावांगण के संगठन, विकास तथा प्रबन्ध के सम्बन्ध में प्रविधिक मंत्रणा देना था। उन्हों ने जो कुछ किया है उस के सम्बन्ध में मैं कुछ तथ्य तथा आंकड़े दिये देता हूं। १९५२ से ३१-१२-१९५७ तक की अवधि में उन्हो ने १० जहाज निर्मित किये हैं और वे सभी जहाज समुद्र यात्रा के लिये उपयुक्त हैं, मजबूत हैं और हमारे समुद्र व्यापार का कार्य कर रहे हैं।

इस के अतिरिक्त उन्होंने नावांगण के संगठन तथा विकास के सम्बन्ध में कई कार्य किये हैं। इसलिये मेरे विचार में उन के दायित्वों के सामान्य पालन के संबंध में अथवा किसी हानि के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

'अन्दमान' का प्रश्न एक पृथक प्रश्न है और परिवहन बोर्ड के समक्ष प्रतिवेदन के आधार पर इस की जांच की जायेगी।

†**श्री रंगा** : क्या हम जापान से उपयुक्त परामर्शक मिल सकते हैं या नहीं क्या इस संबंध में हम जापान सरकार से या इस मामले में रुचि रखने वाले जापानी परामर्शकों से कोई बातचीत करते रहे हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : यह मामला अभी विचाराधीन है। हम ने इस सम्बन्ध में एक या दो देशों से बातचीत की है। लेकिन अभी हम ने कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया है। क्योंकि हमें अपने परामर्शकों के रूप में सर्वोत्तम सार्थ को चुनना चाहिये इसलिये यह कुछ नाजुक सा मामला है। जापान देश को भी अवश्य ध्यान में रखा जायेगा, परन्तु इस समय हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि वह देश कौन सा होगा।

†**श्री गोरे** : क्या यह सच नहीं है कि हमारे एक प्रमुख नौ-यांत्रिक श्री पटेल को इस कारण इस शिपयार्ड से इस्तीफा देना पड़ा था कि उन के विचारों की ओर ध्यान नहीं दिया गया था ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री**: सम्भवतः माननीय सदस्य द्वारा पहिले भी इस मामले की ओर निर्देश किया गया था और मैं ने कहा था कि हम ने जो जांच समिति नियुक्त की है उसने इस मामले पर भी विचार किया था। और जैसा कि मेरे सहयोगी ने कहा है सदन को इस मामले से संबंधित सभी तथ्यों से सूचित किया जायेगा। जहां तक मुझे मालूम है, मैं ने पूरा प्रतिवेदन नहीं पढ़ा है, माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है, सम्भवतः वह सत्य नहीं है।

मनीपुर में अनाज की वसूली

†*१०६७. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ में भारत सरकार की ओर से अनाज की वसूली के लिये मनीपुर प्रशासन को कितनी रकम दी गई थी; और

(ख) मनीपुर प्रशासन द्वारा १९५७–५८ में चावल तथा धान की कितनी मात्रा प्राप्त की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) १२·१५ लाख रुपये।

(ख) २४ फरवरी, १९५८ तक लगभग ३४,२०० मन चावल और ३०,९०० मन धान प्राप्त किया गया था।

†**श्री ले० अचौ सिंह** : क्या १९५८ में चावल तथा धान की वसूली के लिये कोई मात्रा नियत की गई है ? यदि हां, तो नियत मात्रा कितनी है और वसूली का दाम कितना है ?

†**श्री अ० म० थामस** : जनवरी, १९५८ से अब बढ़िया किस्म के चावल के लिये ११ रुपये प्रतिमन, दूसरे दर्जे के चावल के लिये ८ रुपये प्रति मन और किनकी के लिये ५ रुपये प्रति मन के दाम दिये जा रहे हैं। २०-१२-५७ तक ३०,९०० मन धान ६ रुपये १२ नये पैसे प्रति मन की दर से खरीदा गया था जिस में बोरी के दाम भी शा मिल थे। अब केवल चावल की ही वसूली की जा रही है।

†**श्री ले० अचौ सिंह** : मैं यह जानना चाहता था कि १९५८ में चावल तथा धान की वसूली के लिये क्या कोई कोटा नियत किया गया है ?

†**श्री अ० म० थामस** : मनीपुर की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर जो कुछ भी फालतू अनाज प्राप्य है हम उसे प्राप्त करना चाहते हैं।

†**श्री पाणिग्रही** : जहां तक मनीपुर में चावल की वसूली का संबंध है क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार मनीपुर को चावल के सम्बन्ध में आत्म निर्भर समझती है ?

†**श्री अ० म० थामस**-: वह आत्म निर्भर है। इसी लिये हम कुछ मात्रा आसाम भेज सके हैं और कुछ अपने केन्द्रीय भाण्डार में ले जा सके हैं। हम निर्यात करने के लिये कुछ मात्रा गैर-सरकारी लेखे में नीलाम भी कर रहे हैं।

†**डा० राम सुभग सिंह** : माननीय उपमंत्री ने कहा है कि कनकी चावल ५ रुपये प्रति मन और बढ़िया चावल ११ रुपये प्रति मन की दर से वसूल किया जाता है। इन दोनों किस्मों के चावल के बिक्री-मूल्य क्या हैं ?

†**श्री अ० म० थामस** : बिक्री मूल्यों में परिवहन खर्च की राशि भी शामिल होगी। हम सामान्य चावल १६ रुपये मन की दर से बेच रहे हैं और चावल की अन्य किस्मों के लिये हिसाब लगाना होगा।

†**श्री हेडा** : इतना कम मूल्य नियत करते समय क्या सरकार ने उत्पादन मूल्य को भी ध्यान में रखा था। यदि हां, तो उन के विचार में वह मूल्य कितना है ?

†**श्री अ० म० थामस** : जी, हां। उत्पादन मूल्य को भी ध्यान में रखा गया है। मनीपुर की अर्थ-व्यवस्था बहुत कुछ वर्तमान निम्न मूल्यों पर निर्भर है। १९५५–५६ में भी चावल का मूल्य ५/८ रुपये से ६ रुपये था। अब हम १० रुपये से अधिक मूल्य दे रहे हैं। १९५२–५३ में भी वसूली का दाम लगभग १० रुपये था और मनीपुर प्रशासन ने केवल १२ रुपये के दाम को सिफारिश की है।

†**श्री रंगा** : क्या सरकार की नीति यह है कि अन्य क्षेत्रों में, बंगाल के पार्श्ववर्ती क्षत्र में भी वर्तमान मूल्यों की तुलना में वहां चावल का मूल्य इतना निम्न रखा जाये और इस प्रकार मनीपुर की अर्थ-व्यवस्था को दबाये रखा जाये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : बहुत समय पहले यह मामला हमारे सामने आया था और माननीय सदस्य को मालूम होगा कि मनीपुर से चावल के निर्यात पर इस कारण पाबन्दी है कि वहां क्रय शक्ति बहुत ही निम्न है। यदि पाबन्दी हटा दी जाती तो दाम बढ़ जाते और लोगों को हानि होती। हम तत्काल ही दाम बढ़ा रहे हैं और हम जो दाम दे रहे हैं वे सामान्य मण्डी के वर्तमान दामों से किसी स्थिति में भी कम नहीं हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस चावल की वसूली के लिये मनीपुर प्रशासन द्वारा क्या कार्य-व्यवस्था स्थापित की गई है और केन्द्रीय सरकार उस क्षेत्र से जितना चावल प्राप्त करना चाहती है उस की मात्रा न बताने का कारण क्या है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : वास्तव में फालतू चावल कितना होगा निश्चित रूप से यह बताना सम्भव नहीं है। राज्य में चावल की जितनी मात्रा की खपत न हो सकती हो हम उस फालतू चावल की कितनी ही मात्रा खरीदन के लिये तैयार हैं। जहां तक मुझे मालूम है मुख्यायुक्त स्वयं अथवा सहकारी समितियों के द्वारा चावल की वसूली कर रहे हैं। मैं ठीक से कुछ नहीं कह सकता हूं।

†**श्री ले० अचौ सिंह** : क्या वसूली के दाम में वृद्धि के लिये कोई मांग की गई है और क्या मनीपुर मंत्रणा समिति ने यह सिफारिश की है कि मूल्य १२ रुपये तक बढ़ा देना चाहिये।

†**श्री अ० म० थामस** : परिस्थितियां पहिले ही बताई जा चुकी हैं। हम ने इन सभी बातों को ध्यान में रखा है और फिर मूल्य नियत किये हैं। पिछले वर्षों के मूल्य को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि अब जो मूल्य नियत किया गया है वह अनुचित है।

†**श्री अ० प्र० जैन** : मैं इस बात को और स्पष्ट करना चाहता हूं। हम मनीपुर में मूल्यों को बिल्कुल भी दबाना नहीं चाहते हैं। केवल एक ही बात यह थी कि हम मनीपुर की मण्डी को छोड़ कर वहां के लोगों का अहित नहीं चाहते थे।

†**श्री तिरुमल राव** : क्या सरकार ने मनीपुर में इस चावल के क्रय के सम्बन्ध में कोई राजकीय सहायता भी दी है ? यदि हां, तो राजकीय सहायता के रूप में कितनी रकम खर्च की गई है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है। वे उत्पादक को ५ रुपये देते हैं ?

†**श्री तिरुमल राव** : मैं जानना चाहता हूं कि राजकीय सहायता कितनी दी गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सस्ता बिक रहा है। यदि माननीय मंत्री ऐसा कह दें तो हर्ज क्या है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : क्रय के सम्बन्ध में हम कोई राजकीय सहायता नहीं देते हैं। केवल बिक्री के लिये हो हम राजकीय सहायता देते हैं।

†**श्री तिरुमल राव** : मैं ने यह बात पूछी थी। बिक्री के लिये चावल बांटने के सम्बन्ध में मनीपुर सरकार को कितनी राजकीय सहायता दी जा रही है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : हम केवल वसूली के लिय दाम दे रहे हैं। और इस से अधिक कुछ नहीं देते हैं।

†**डा० राम सुभग सिंह** : माननाय मंत्री ने कहा था कि वे परिवहन का खर्च भी लेते हैं। माननीय खाद्य मंत्री ने कहा है कि वे चावल को मनीपुर से बाहिर नहीं जाने देते हैं। तो इस का मतलब यह हुआ

†मूल अंग्रेजी में

कि ग्राम्य क्षेत्रों में ५ रुपये प्रति मन की दर से वसूल किया गया चावल खास मनीपुर के कुछ बाजारों में १६ रुपये प्रति मन की दर से बेचा जाता है। क्या ११ रुपये परिवहन का खर्च है ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** मनीपुर से व्यापार के लिये चावल बाहर नहीं जाने दिया जाता है। यहां पर जितना अधिक चावल उत्पन्न होता है उसे हम एक 'पूल' के रूप में इकट्ठा कर के देश के अन्य भागों में भेज देते हैं। इस चावल की वही कीमत होती है जो कि अन्य प्रकार के चावलों की होती है।

†**डा० राम सुभग सिंह :** मनीपुर के चावल उत्पादकों को आन्ध्र अथवा बिहार के उत्पादकों की भांति 'पूल' कीमत क्यों नहीं दी जाती है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय पहले बता चुके हैं कि वहां की स्थानीय कीमत इतनी कम है कि उन्हें 'पूल' मूल्य देने से उन की आन्तरिक मंडियों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अब आगे विवाद बढ़ाने की क्या आवश्यकता है ?

†**श्री सिंहासन सिंह :** पूर्वी पाकिस्तान में इस समय चावल की क्या कीमत है। यहां पर कम कीमत होने के कारण इस सीमावर्ती प्रदेश में कितना तस्कर व्यापार हो रहा है ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** मेरी जानकारी में वहां पर किसी प्रकार का तस्कर व्यापार नहीं हो रहा है। मैं नहीं जानता कि पूर्वी पाकिस्तान में चावल की क्या कीमतें हैं ?

†**श्री गोरे :** चावल खरीदने और बेचने के भावों में ११ रुपये का अन्तर है। इस में कितना परिवहन व्यय तथा कितना लाभ जोड़ा जाता है ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** यह अन्तर ११ रुपये का नहीं है। हम प्रायः ११ रुपये के भाव चावल खरीदते हैं और १६ रुपये के भाव बेचते हैं। मैं समझता हूं कि इस में परिवहन व्यय मिलाने पर भी यह चावल पूल वाले चावल से सस्ता पड़ता है। हम कुछ ऊंचे दाम के चावल खरीदते और कुछ थोड़े दाम वाले। और कुल मिला कर हम खरीद भाव से कम भाव पर ही चावल देते हैं।

†**श्री गोरे :** इस में कितने प्रतिशत लाभ होता है.....

†**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय ने बताया है इस में लाभ का प्रश्न ही नहीं उठता।

चम्बल पर पुल

*१०६८. **श्री रा० चं० शर्मा :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगरा-बम्बई राजपथ (राष्ट्रीय राजपथ संख्या ३) पर धौलपुर के निकट चम्बल नदी पर जो पुल बनाया जा रहा है उस के पूरा होने में और कितना समय लगेगा ;

(ख) क्या यह सच है कि यह पुल १९५८ में तैयार हो जाने वाला था,

(ग) क्या यह नियत समय में तैयार हो जायगा; और

(घ) इस पुल पर कितना धन व्यय होगा और क्या यह राशि प्रारम्भिक निश्चित राशि से अधिक होगी या कम ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) लभगभग दो वर्ष।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) अनुमानतः ४५ लाख रुपये। यह रकम तखमीने से ३.७ लाख रुपये अधिक है।

†मूल अंग्रेजी में

श्री रा० चं० शर्मा : मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय की तरफ से लोक-सभा में जो आश्वासन दिया गया था, क्या वह उन को याद है ?

श्री राज बहादुर : जी हां, उस में यह कहा गया था कि २८-२-५८ तक इस के पूरा होने का लक्ष्य है। किन्तु कुछ विशेष बातें हुई हैं जिन के कारण इस में देरी हुई है।

श्री रा० चं० शर्मा : मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी विशेष असुविधायें हैं जिन के कारण इस आश्वासन को पूरा नहीं किया गया है ?

श्री राज बहादुर : अपनी किस्म का यह एक अद्भुत और अनोखा पुल है सबमर्सिबल। इस में कुछ इंजीनियरिंग दृष्टिकोण से परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी।

श्री ब्रजराज सिंह : इस पुल का निर्माण कार्य पूरा करने में क्यों इतनी देरी की जा रही है, इस के कौन से विशेष कारण हैं, क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री राज बहादुर : यही चीज़ तो मैं अभी बता चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : देरी का जो कारण है, वह अभी मंत्री महोदय ने बतलाया है। क्या वह उस को दोबारा बतायें ?

इंडामेर कम्पनी[1]

\+

००७. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
श्री गोरे :
श्री हाल्दर :
श्री स० म० बनर्जी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 'नेफा' स्थित इंडामेर कम्पनी में हुए विस्फोट व कम्पनी की गड़बड़ियों के बारे में जांच समिति की रिपोर्ट मिल चुकी है ;

(ख) क्या कोई गड़बड़ी सिद्ध हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर) :** (क) तथा (ख). जी हां। इस विस्फोट के बारे में रिपोर्ट मिल चुकी है और उस की प्रतियां संसद् की लाइब्रेरी में रख दी गई हैं। इस रिपोर्ट में कम्पनी द्वारा एक नियम के उल्लंघन का जिक्र किया गया है। किन्तु साथ ही यह भी कहा गया है कि यह दुर्घटना इस नियम के उल्लंघन के कारण नहीं हुई है।

(ग) इस कम्पनी का लाइसेंस २८-२-१९५८ के बाद से आगे नहीं बढ़ाया गया है। यह कार्यवाही भारतीय विमान नियमों के अन्तर्गत दी जाने वाली एक पृथक् रिपोर्ट के आधार पर की गई है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** यह देखते हुए कि कम्पनी भारतीय विमान नियमों का उल्लंघन करती रही है, क्या ऐसे इंजीनियरों को, जिन्हें इस कारण निकाल दिया गया था उन्हों ने इन नियमों का उल्लंघन करने से इन्कार कर दिया था, कहीं अन्यत्र नौकरी दिलाने का कोई प्रबन्ध किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]. Indamer Company.

†**श्री हुमायूं कबीर :** यह प्रश्न इस प्रश्न से नहीं उत्पन्न होता । हम यह भी नहीं कह सकते कि उन को केवल इसी कारण से निकाला गया था या किसी अन्य कारण से । यह एक सर्वथा भिन्न प्रश्न है और इस की पृथक् रूप से जांच करनी होगी ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या यह सच है कि जबकि असैनिक उड्डयन विभाग के महानिदेशक ने इस बात के जानने का कोई प्रयत्न नहीं किया कि क्या वास्तव में ये कर्मचारी नियमों का पालन करना चाहते थे, इस कम्पनी के कलकत्ता सैक्शन का मैनेजर, जो एक यूरोपीय सज्जन हैं, तथा इस सैक्शन का एक विमान कलिंग की एक अनुसूचित कम्पनी को कैसे दे दिया गया ? डी० जी० सी० ए० ने इस की अनुमति कैसे दी ?

†**श्री हुमायूं कबीर :** जिन कर्मचारियों के विरुद्ध हमें कोई रिपोर्ट मिली है उस की जांच की जा रही है । इन में विमान चालक, अनुज्ञप्तिधारी इंजीनियर, तथा कई अन्य कर्मचारी सम्मिलित हैं । किन्तु जिन लोगों के विरुद्ध कोई विशेष शिकायत नहीं है हम उन के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकते ।

†**श्री गोरे :** क्या यह सच है कि इस कम्पनी ने कुछ विमान भारत के बाहर ऐसे देशों को दिये हैं जिन से कि हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध नहीं हैं ?

†**श्री हुमायूं कबीर :** मुझे कोई ऐसी खबर नहीं है ।

†**श्री कर्णी सिंहजी :** क्योंकि उन का लाइसेंस अब समाप्त कर दिया गया है क्या उन्होंने अपने विमान किसी अन्य कम्पनी को दे दिये हैं ?

†**श्री हुमायूं कबीर :** उन्होंने एक विमान बेच दिया है तथा बहुत से विमान पट्टे पर अन्य कम्पनियों को दे दिये हैं ।

श्री जयपाल सिंह : पहले इस कम्पनी को भारत से बाहर विमान ले जाने के लिये विशेष सुविधायें देनी पड़ती थीं क्या भारत सरकार अब इस बात का ध्यान रखेगी कि उसे फिर इस प्रकार के बन्धन में न बन्धना पड़े ?

श्री हुमायूं कबीर : हम हर प्रकार की सावधानी रखते हैं । कोई भी व्यक्ति सरकार की अनुमति के बिना न तो विमान खरीद सकता है और न ही वह इस का हस्तान्तरण कर सकता है । इस कम्पनी के विरुद्ध यह दोष लगाया गया है कि इस ने एक भारतीय विमान को किसी अन्य देश में पंजीबद्ध करा लिया है ।

†**श्री जयपाल सिंह :** क्या यह सच नहीं है कि इंडामेर कम्पनी ने भारत सरकार की अनुमति से देश के बाहर अनेक डकोटा विमान बेचे हैं ?

†**श्री हुमायूं कबीर :** अगर उन्होंने सरकार की अनुमति से बेचे हैं तो फिर कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता ।

†**श्री जोकीम आल्वा :** सरकार को कई गैर-सरकारी संचालकों द्वारा किये जा रहे कदाचारों का ज्ञान है । हाल ही में भारतीय 'एयरलाइन्स' ने अपने भाड़े बढ़ा दिये हैं । इस में सरकार का क्या इरादा है ? क्या भारतीय एयरलाइन्स सभी लाइनों पर विमान चला सकती है और गैर-सरकारी संचालकों का काम भी ले सकती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हुमायूं कबीर :** मैं प्रश्न के दो भागों में कोई सम्बन्ध नहीं समझ सका। यदि कोई गैर-सरकारी कम्पनी कदाचार कर रही है तो उस के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। जहां तक इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की लाइनों का सम्बन्ध है, इस सभा का प्रत्येक सदस्य यही चाहता है कि वह जितना विस्तार कर पाये उतना अच्छा है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** मंत्री महोदय ने कहा है कि इस कम्पनी ने विमानों सम्बन्धी कतिपय नियमों का उल्लंघन किया है। क्या उस के विरुद्ध इस सम्बन्ध में कोई कानूनी कार्यवाही की गई है ?

†**श्री हुमायूं कबीर :** विषय विचाराधीन है। हम ने पता किया था कि उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा सकती है अथवा क्या विशेष पुलिस द्वारा कोई जांच की जा सकती है। किन्तु हमें मालूम हुआ कि हम ऐसी कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। इसलिये हम सामान्य विमान नियमों के अन्तर्गत ही कार्यवाही कर रहे हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** मंत्री महोदय ने यह कहा है कि उन को कोई खबर नहीं है कि इस कम्पनी के भी विमान बाहर भेजे गये अथवा उन को कैसे और कब बेचा गया। क्या इस बात को देखते हुए सरकार डी० जी० सी० ए० की मशीनरी के नियंत्रण को अधिक प्रभावशाली बनाने का प्रयत्न करेगी ताकि फिर ऐसी चीजे न हो सके ?

†**श्री हुमायूं कबीर :** मेरे विचार में माननीय सदस्य की कल्पना सही नहीं है। डी० जी० सी० ए० की अनुमति व जानकारी के बिना कोई भी विमान भारत के बाहर नहीं जा सकता है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या मैं यह समझूं . . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति। मैं एक ही सदस्य को अनेक प्रश्न नहीं पूछने दे सकता हूं।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** मगर डी० जी० सी० ए० के कार्यालय में बहुत ढीली ढाली व्यवस्था है।

†**श्री जयपाल सिंह :** प्रश्न के भाग (क) तथा (ग) के बारे में मैं यह जानना चाहता हूं कि इंडामेर कम्पनी ने अपनी आय का कितना भाग दुर्लभ मुद्रा क्षेत्रों में भेजा है जो कि सामान्य नियमों के अनुसार रंजीयन के देश की मार्फत भेजा जाना चाहिये ?

†**अध्यक्ष महोदय :** सदस्य तथ्यों की जानकारी के लिये प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। वे सरकार की आलोचना करने में लगे हुए हैं। यह अवसर सरकार की आलोचना करने का नहीं है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** हम जानना चाहते हैं . . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति, माननीय सदस्या पहले ही कई प्रश्न पूछ चुकी हैं। जब इस मंत्रालय की मांगों पर चर्चा होगी तब उन्हें फिर अवसर मिल सकता है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** हमें हर जगह अवसर नहीं मिल सकता। इस प्रकार से तो प्रश्न काल की ही कोई आवश्यकता नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल में राय नहीं प्रकट की जानी चाहिए । हमें केवल तथ्य जानने की दृष्टि से ही प्रश्न पूछने चाहियें । इस के बाद हम वाद विवाद के समय उन पर विस्तृत चर्चा कर सकते हैं । मुझे ऐसा लगता है कि हमारा अधिक समय सरकार की राय जानने तथा सरकार पर अपनी राय थोपने में व्यतीत होता है । ऐसी स्थिति के कारण कठिन समस्या पैदा हो जाती है । माननीया सदस्या स्वयं इस स्थिति का अनुभव कर सकती हैं । उन का नाम सभापतियों की तालिका में है । उन के सामने कई बार ऐसी स्थिति पैदा हुई होगी ।

कानपुर मैडिकल कालेज

\+

†*१०७३. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री प्रभात कार :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री सरजू पाण्डे :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५७-५८ के दौरान में कानपुर मैडिकल कालेज में कैंसर विभाग बनाने के लिये कोई राशि स्वीकृत की गई है ; और

(ख) यदि हां तो कितनी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : माननीय मंत्री ने पिछले दिनों कहा था कि इस मैडिकल कालेज का ७५ प्रतिशत अनावर्तक व्यय तथा ५० प्रतिशत आवर्तक व्यय केन्द्र द्वारा दिया जायेगा । क्या यह सच है कि १९५७-५८ तथा १९५८-५९ के लिये उस विशिष्ट राशि की मंजूरी न दिये जाने के कारण ही यह चिकित्सा कालेज कैंसर विभाग नहीं खोल सका है ?

†**श्री करमरकर** : हम ने कानपुर मैडिकल कालेज को १९५६-५७ में १५ लाख रुपये और १९५७-५८ में १० लाख रुपये दिये हैं । हम ने उन्हें द्वितीय पंच वर्षीय योजना में तीन-चौथाई अनावर्तक व्यय तथा आधा आवर्तक व्यय देना मंजूर किया है । हम उस वचन को पूरा करने का भरसक प्रयत्न करेंगे । जिस माननीय सदस्य की इस कैंसर विभाग में इतनी अभिरुचि है मैं उनकी जानकारी के लिये यह भी बता देना चाहता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कैंसर गवेषणा केन्द्रों की सहायता करने के लिये हम ने एक व्यवस्था की है । अब जब हम कालेज को देखते हैं तो हम हस्पतालों की सहायता नहीं करते हैं, परन्तु हम खास कालेज के खर्च पूरा करते हैं । इस लिये हम कैंसर के सम्बन्ध में कानपुर की सहायता नहीं कर सके हैं । अब हम इस विषय पर पुनः विचार कर रहे हैं कि क्या हम कैंसर विभाग स्थापित करने में अथवा हस्पतालों में कैंसर विभाग खोलने के लिये भी राज्य की सहायता नहीं कर सकते हैं । यह स्थिति है ।

†**डा० सुशीला नायर** : क्या माननीय मंत्री हमें यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर भारत में भारत सरकार द्वारा किसी कैंसर गवेषणा केन्द्र की सहायता की जा रही है, और यदि हां, तो किन स्थानों पर, कितनी सहायता की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री करमरकर :** यद्यपि इस प्रश्न का सम्बन्ध केवल कानपुर से है और यह प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है तथापि मैं उत्तर दिये देता हूं कि उत्तर भारत में कोई कैंसर गवेषणा केन्द्र नहीं है । लेकिन मुझे देखना होगा कि कहीं कोई केन्द्र संयोग से है या नहीं ।

†**श्री तंगामणि :** मद्रास में जो कैंसर गवेषणा केन्द्र स्थापित किया जा रहा है उसे १९५७-५८ में आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय के रूप में कितनी रक़म दी जा रही है ?

†**श्री करमरकर :** जहां तक मद्रास का सम्बन्ध है, मेरे विचार में, हो सकता है मैं ग़लत हूं, हम ने उन्हें इस वर्ष के लिए १$^{1}/_{2}$ लाख रुपये के अनावर्तक अनुदान तथा इस वर्ष के बाद से तीन वर्षों के लिये १ लाख पये के आवर्तक अनुदान का आश्वासन दिया है । और जहां तक मुझे स्मरण है हम ने उन्हें इस वर्ष २$^{1}/_{2}$ लाख रुपये दिये है ।

यमुना बाजार क्षेत्र के निवासियों के लिये मकान

†***१०७४. श्री राधा रमण :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १७ अगस्त, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना बाजार क्षेत्र के निवासियों के लिये यमुना नदी के पार शाहदरा बांध की पार्श्ववर्ती ५० एकड़ भूमि पर ६०० मकान बनाने के सम्बन्ध में अब कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) तथा (ख). यमुना बाज़ार गन्दी बस्ती क्षेत्र के कुछ निवासियों के रहने के लिये यमुना नदी के पार ६०० मकान बनाने के सम्बन्ध में ५० एकड़ भूमि का विकास करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

†**श्री राधा रमण :** सरकार कितने समय तक इस समस्या पर विचार करती रहेगी ?

†**श्री करमरकर :** हम ने सम्बन्धित क्षेत्र में २०७ एकड़ भूमि के अर्जन के लिए एक नोटिस जारी किया है और इस भूमि में इस प्रयोजन के लिए अलग रखी गई ५० एकड़ भूमि भी शामिल है । अन्य सन्थाओं के साथ साथ हमें भारत सेवक समाज से भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि गन्दी बस्तियों की सफ़ाई करने वालों की एक सहकारी समिति को यह उत्तरदायित्व सौंप देना चाहिये । इसलिये हम सारे मामले पर विचार कर रहे हैं ।

†**श्री राधा रमण :** इस बात को देखते हुए कि दिल्ली नगर-निगम गठित किया जा रहा है क्या यह समस्त क्षेत्र दिल्ली नगर-निगम द्वारा प्रशासित होगा या इस समय की व्यवस्था के अनुसार ही यह प्रशासित होता रहेगा ?

†**श्री करमरकर :** जहां तक इस समय मैं सोच सकता हूं उस क्षेत्र में मकान निर्मित करने का यह विशिष्ट कार्य दिल्ली विकास प्राधिकार के पास रहेगा । अगले वर्ष क्या होगा यह अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है ।

†**डा० सुशीला नायर :** क्या यह सच है कि यमुना बाज़ार क्षेत्र के अधिकांश निवासी नगर में काम करने वाले अत्यन्त निर्धन व्यक्ति हैं और उन्होंने इतनी दूर स्थानान्तरित किये जाने का पर्याप्त विरोध किया है; यदि हां, तो उन्हें इतनी दूर जगहों में अगर भेजा गया तो अपने काम के

---

†मूल अंग्रेजी में

स्थानों पर वापिस आने के लिए क्या सरकार उनके लिये परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

†**श्री करमरकर :** श्रीमान, मेरे विचार में दूरी को देखते हुए यह बात भी विचाराधीन थी । परन्तु मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता हूं कि प्रबन्ध क्या होंगे ।

†**श्री राधा रमण :** क्योंकि यमुना बाज़ार का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है इसलिये क्या इस बाज़ार के पात्र निवासियों के लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में ६०० एकड़ का क्षेत्र पर्याप्त होगा ?

†**श्री करमरकर :** समस्त योजना इस प्रकार है । वहां लगभग दो हज़ार निवासी या झोंपड़े हैं । इन में से हम ने ४०० के लिये किलोखेरी में और लगभग ११०० के लिए झिलमिल ताहपुर में व्यवस्था की है । इन में से, मोटे तौर पर, लगभग १,००० परिवार पहिले ही वहां से जा चुके हैं । क्योंकि हमें यह अभ्यावेदित किया गया था कि यदि इतनी दूर भेजा गया तो इनमें से कुछ छोटे कार्मिकों को कठिनाई होगी इसलिये हम ने ६०० परिवारों की सहायता करने के लिये एक योजना तैयार की है । हमें आशा है कि इस प्रबन्ध से इन सभी व्यक्तियों के लिये पर्याप्त रहने के स्थान की व्यवस्था हो सकेगी ।

†**श्री राधा रमण :** माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि लगभग १००० परिवार सम्भवतः झिलमिल ताहपुर क्षेत्र में भेजे जा चुके हैं । क्या यह सच है कि उनमें से अधिकांश परिवार उसी स्थान पर वापिस आ गये हैं ?

†**श्री करमरकर :** दिल्ली में क्योंकि कई बार कुछ बातें अचानक हो जाती हैं इसलिये यदि पिछले दो या तीन दिन में ऐसी कोई बात नहीं हुई है तो मेरे विचार मे वे जहां हैं वहीं रह रहे हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बच्चों के लिये दूध की व्यवस्था

†***१०६५. श्री कालिका सिंह :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सारे भारत में बच्चों तथा विद्यार्थियों को दूध तथा पोषी खुराक़ देने के लिये केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के सहयोग से कोई योजना तैयार की है; और

(ख) इस प्रकार की खुराक अथवा अल्पाहार के खर्च का कितना अनुपात विद्यार्थियों से फीस के एक भाग के रूप में वसूल किया जायेगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर):** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उत्तर प्रदेश में यमुना नदी पर पुल का निर्माण

***१०६९. श्री लच्छी राम :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में कानपुर-झांसी मार्ग पर काल्पी में यमुना नदी पर पुल बनाने का निश्चय किया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना व्यय होगा; और

(ग) इस पुल का निर्माण-कार्य कब शुरू होगा ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). चाही गई सूचना देने वाला विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७१]**

आन्ध्र में दूध की खपत

†***१०७०. श्री ब० स० मूर्ति :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में दूध की प्रति व्यक्ति खपत बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाहियां की गई हैं; और

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश द्वारा किसी वित्तीय सहायता की प्रार्थना की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) आन्ध्र प्रदेश की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में गव्यशाला तथा पशु विकास के लिए लगभग १७५.१५ लाख रुपये के खर्च की कई योजनायें सम्मिलित की गई हैं । अधिक महत्वपूर्ण योजनायें ये हैं : नगरीय दुग्ध सम्भरण योजना, सूखे दूध के कारखानों को स्थापित करना, हैदराबाद तथा सिकन्दराबाद को दूध का सम्भरण, वर्तमान गव्यशालाओं का पुनर्गठन तथा वर्तमान फार्मों का विस्तार, गोशाला विकास तथा प्रमुख ग्राम योजनायें ।

(ख) आन्ध्र प्रदेश ने १९५७-५८ के लिये अपनी योजनाओं के सम्बन्ध में ९.०५ लाख रुपये देने की प्रार्थना की थी । केन्द्रीय सहायता के रूप में ६.७८ लाख रुपये प्रदान किये गये हैं ।

गैर-सरकारी विमान संचालक

†***१०७१. श्री हेम बरुआ :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरक मार्गों पर गैर-सरकारी विमान संचालकों को कार्य करने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर) :** (क) तथा (ख). इस समय कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है परन्तु, यदि गैर सरकारी विमान सेवा संचालकों से उन जगहों के बीच अननुसूचित सेवाओं के संचालन के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ जो इस समय इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा सम्बद्ध नहीं हैं और निकट भविष्य में कारपोरेशन द्वारा जिनकी सम्बद्ध होने की संभावना नहीं है तो प्रत्येक मामले के गुणदोष के आधार पर इस प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विद्यार्थियों को रियायती टिकट

†*१०७५. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १ मई, १९५८ से उन विद्यार्थियों को रियायती टिकट देना बन्द कर दिया जायेगा जिनकी आयु २५ वर्ष से अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** (क) जी, हा । लेकिन ऐसा केवल रियायती अवधि टिकट के सम्बन्ध में किया जायेगा ।

(ख) ग़ैर-विद्यार्थियों द्वारा रियायती अवधि टिकटों के कुप्रयोग के मामलों का पता लगने के कारण निरोधक कार्यवाहियों में से एक कार्यवाही के रूप में ऐसा किया गया है ।

सान्ता क्रुज हवाई अड्डा

†*१०७६. **श्री नौशीर भरूचा :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री वारियर :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नये सान्ता क्रुज (बम्बई) हवाई अड्डे के निर्माण में बहुत से दोष रह गये हैं;

(ख) क्या मूल निर्माण आरम्भ करने से पहले हवाई अड्डे के निर्माण में विशेषज्ञों से सलाह ली गयी थी; और

(ग) क्या यह सच है कि वहां पर जहाजों के उड़ान भरने और उतरने की उपयुक्त सुविधा नहीं है और "होल्डिंग प्वाइंट्स" की कोई व्यवस्था नहीं है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर) :** (क) हाल ही में समाचार पत्रों में छपी कुछ टिप्पणियों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है ।

(ख) सान्ता क्रुज हवाई अड्डे के विकास के सम्बन्ध में प्रस्ताव बनाते समय देश में उपलब्ध विशेषज्ञों की सलाह, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय विमान समवाय संचालकों की राय भी सम्मिलित है, को ध्यान में रखा गया था ।

(ग) वर्तमान विमान यातायात की आवश्यकता को पूरा करने के लिये विमानों के उड़ान भरने और उतरने की उपयुक्त सुविधायें हैं । जब भी आवश्यकता होगी, पृथक् "होल्डिंग प्वाइंट्स" की व्यवस्था कर दी जावेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विष्णु प्रताप शुगर मिल, खड्डा (उत्तर प्रदेश)

†*१०७७. **श्री सिंहासन सिंह :**
श्री काशीनाथ पांडे :
श्री रामजी वर्मा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २० फरवरी, १९५८ तक उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में गन्ना उत्पादकों ने विष्णु प्रताप शुगर मिल, खड्डा को कितने मूल्य का गन्ना दिया और किसानों को संभरित गन्ने के बदले में कितनी धनराशि दी गयी;

(ख) क्या गन्ने का बकाया मूल्य चुका दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) बकाया को समाप्त करने और गन्ने के मूल्य के मांग पर शीघ्र भुगतान के सुनिश्चित करने के बारे में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) से (घ). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७२]**

डाक सम्बन्धी सुविधायें

*१०७८. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १६ दिसम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ११७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में डाक सम्बन्धी सुविधाओं के विस्तार के आधार का पुनरावलोकन करने के लिये नियुक्त समिति ने क्या अपना कार्य समाप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस समिति की रिपोर्ट की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी;

(ग) समिति की सिफारिशों पर क्या निर्णय किया गया है;

(घ) यदि प्रश्न के उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो समिति ने अपने कार्य में अब तक क्या प्रगति की है; और

(ङ) समिति की रिपोर्ट कब तक प्राप्त हो जाने की आशा है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

(घ) मालूम हुआ है कि यह समिति अपनी रिपोर्ट तथा सिफ़ारिशों को अन्तिम रूप दे रही है।

(ङ) शीघ्र ही।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे स्कूल

†*१०७९. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री १९ दिसम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १३३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे स्कूलों में वर्तमान सुविधाओं का सर्वेक्षण करने के लिये नियुक्त किये गये शैक्षणिक मंत्रणाकारों के दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). शैक्षणिक मंत्रणाकारों के प्रतिवेदन पर अभी भी विचार हो रहा है ।

गोखले समिति का प्रतिवेदन

†*१०८०. **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
श्री टे० सुब्रह्मण्यम :
श्री राम कृष्ण :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्देशीय जल परिवहन के सम्बन्ध में फरवरी, १९५८ के अन्त तक गोखले समिति ने क्या प्रगति की है; और

(ख) सरकार को उनका प्रतिवेदन कब तक प्राप्त हो जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर):** (क) समिति ने अब तक आन्ध्र, मद्रास, उड़ीसा, मैसूर और केरल राज्यों का दौरा किया है । उसने इन राज्यों में जल पथों का निरीक्षण किया और समस्याओं पर राज्य सरकारों, स्थानीय प्राधिकारियों और जनता के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया । उसने यातायात सर्वेक्षण और प्रविधिक जांच की भी व्यवस्था की है ।

(ख) समिति के प्रतिवेदन की तब ही आशा की जा सकती है जब वह सब क्षेत्रों से आवश्यक यातायात और प्रविधिक सामग्री प्राप्त कर ले और उसका अध्ययन कर ले । अतः प्रतिवेदन के प्राप्त होने में एक वर्ष और लग सकता है ।

भारत-रूस विमान सेवा

†*१०८१. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री शोभा राम :
श्री हेम राज :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारत-रूस वायु मार्ग पर एक विमान सेवा चालू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस सेवा के कब से शुरू हो जाने की सम्भावना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर):** (क) और (ख). जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है, 'एयर इंडिया इन्टरनेशनल' के एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत और रूस के बीच विमान सेवा आरम्भ करने के लिये बहुत सी प्रविधिक और वाणिज्यिक बातों पर विचार करने के लिये हाल ही में मास्को का दौरा किया था। इस प्रतिनिधिमंडल का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और उस पर सरकार विचार कर रही है।

रेलवे स्कूल रायगादा[1]

†***१०८२. श्री संगण्णा :** क्या **रेलवे** मंत्री रायगादा में रेलवे स्कूल सम्बन्धी ६ दिसम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या स्कूल को अतिरिक्त स्थान उपलब्ध कर दिया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** जी, हां।

मनीपुर को संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से दूध का उपहार

†***१०८३. श्री ले० अचौ सिंह :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि' में से मनीपुर को आवंटित दूध का अभ्यंश प्रतिसंहृत कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारत-पाकिस्तान मालगाड़ी यातायात

†***१०८४. श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, १९५८ के अन्त में भारत और पाकिस्तान (अमृतसर और लाहौर) के बीच रेलवे माल गाड़ियों का यातायात कुछ समय के लिये निलम्बित रहा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह दोबारा कब आरम्भ हुआ ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) और (ख). जी हां। २५-२-१९५८ और २६-२-१९५८ को उत्तर-पश्चिम रेलवे के 'इंटरचेंज प्वाइंट' पर स्टाक की जांच के लिये और गाड़ियों को संभालने के लिये न आने के कारण अमृतसर और लाहौर के बीच यातायात में कुछ अव्यवस्था हो गई थी।

(ग) २६-२-१९५८ के सायंकाल से।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Railway School Rayagada

बर्मा से चावल

†*१०८५. **श्री हेम बरुआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में भारत को बर्मा से निर्धारित मात्रा से कम चावल मिलेगा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) और (ख). जी, हां। उत्पादन में कमी हो जाने के कारण बर्मा सरकार ने वर्ष १९५८ में २½ लाख टन चावल से अधिक देने में अपनी असमर्थता प्रकट की है। अतः बर्मा से ५ लाख टन चावल आयात करने के लिये उपबन्धित विदेशी मुद्रा की सीमा के भीतर अन्य देशों से कुछ चावल प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

भूमि का कटाव

*१०८६. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूमि के कटाव को रोकने के उद्देश्य से सारे हिमालय क्षेत्र का सर्वेक्षण पिछले कुछ वर्षों से किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) सर्वेक्षण का कार्य कब तक पूरा हो जाने की आशा है;

(घ) इस कार्य पर कुल कितनी राशि व्यय होने का अनुमान है; और

(ङ) इस कार्य में तिब्बत, नेपाल, सिक्किम और भूटान की सरकारों से किस प्रकार का सहयोग मिल रहा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) से (ङ). सभा की टेबिल पर एक विवरण रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७३]**

सिकन्दराबाद में रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिये छात्रावास (होस्टल)

†*१०८७. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **रेलवे** मंत्री २९ जुलाई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ४१० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिकन्दराबाद में रेलवे कर्मचारियों के स्कूल जाने वाले २०० बच्चों के लिये राज सहायताप्राप्त छात्रावास (होस्टल) के निर्माण पर व्यय होने वाली राशि के प्राक्कलन की जांच-पड़ताल पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण-कार्य कब आरम्भ कर दिया जावेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) जी, हां। छात्रावास (होस्टल) के निर्माण पर खर्च में अंशदान के प्रश्न पर अभी विचार हो रहा है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

धान

†*१०८८. **श्री संगण्णा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि गवेषणा परिषद् के मंत्रणा बोर्ड द्वारा अनुमोदित धान उगाने के चीनी तरीके की उत्तम प्रविधि के अनुसार देश के किसी भाग में धान उगाने के बारे में प्रयोग किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो देश के किन क्षेत्रों में; और

(ग) खेती के जापानी तरीके और चीनी तरीके में क्या मुख्य अन्तर है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) इन तरीकों में मुख्य अन्तर पौधों के लगाये जाने के फासले के सम्बन्ध में है । धान उगाने के चीनी तरीके में बतलाई गई पास-पास पौधे लगाने की रीति जापानी तरीके से बिल्कुल भिन्न है । इसके अतिरिक्त जापानी तरीके की तुलना में चीनी तरीके के अन्तर्गत एक गड्ढे में कम संख्या में पौध लगाई जाती है ।

हवाई अड्डे

१४२४. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ में कितने नये हवाई अड्डे बनाये गये और कितने हवाई अड्डे बनाने के लिये प्रारम्भिक कार्यवाही की गई है; और

(ख) देश में इस समय कितने हवाई अड्डे हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर) : (क) १९५६-५७ में उदयपुर (डबोक) में एक हवाई अड्डा बनकर तैयार हो चुका है और काण्डला, हलद्वानी, रक्सौल, जोगबनी, तुलीहल, माल्दा और बेहाला में सात नये हवाई अड्डे बनाने का काम हाथ में लिया गया है ।

(ख) १९५७ के अन्त तक सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के अधीन सिविल हवाई अड्डों की तादाद ८५ थी । (इनमें से बिलोनिया का एक हवाई अड्डा बन्द कर दिया गया है) ।

विदेशी विशेषज्ञ तथा उड्डयन विभाग

१४२५. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड्डयन विभाग ने वर्ष १९५६-५७ में कितने विदेशी विशषज्ञों की सेवाएं प्राप्त कीं;

(ख) इन विशेषज्ञों ने क्या काम किया; और

(ग) सरकार ने इन विशेषज्ञों पर कितना व्यय किया ?

---

† मूल अंग्रेजी में

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर): (क) एक ।

(ख) इस एक्सपर्ट ने भारत में अपने काम के दौरान में खास तौर पर ये काम किये :—

(१) इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन और एयर इण्डिया इन्टरनेशनल कारपोरेशनों के कप्तानों की जांच इस विचार में की कि आया वे पाइलट-इन-कमाण्ड होने के क़ाबिल हैं या नहीं;

(२) पाइलट इंस्ट्रक्टरों और चेक पाइलटों की ट्रेनिंग और पाइलटों की ट्रेनिंग की और जांच के लिये एक स्टेण्डर्ड प्रोसीजर बनाया; और

(३) इंस्ट्रूमेंट रेटिंग सर्टिफिकेट के लिये पाइलटों की जांच ।

(ग) १९५६-५७ के सरकारी वर्ष में ६२६४ रुपये ।

विमान दुर्घटनायें

१४२६. श्री म० ला० द्विवेदी: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ में भारत में कुल कितनी विमान दुर्घटनायें हुईं;

(ख) उन दुर्घटनाओं में कितने भारतीय और कितने विदेशी विमान नष्ट हुए;

(ग) भारतीय विमानों की दुर्घटनाओं के कारण कुल कितनी हानि हुई;

(घ) उन दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति मरे;

(ङ) मरे हुए व्यक्तियों के निकट सम्बन्धियों को क्या कोई प्रतिकर दिया गया; और

(च) यदि हां, तो कुल कितना प्रतिकर दिया गया ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर) : (क) ३५ ।

(ख) ६ भारतीय रजिस्टर्ड जहाज़ और एक ग्लाइडर टूट गये थे । कोई विदेशी विमान नहीं टूटा था ।

(ग) १९५६-५७ में सरकार को ट्रेनिंग के हवाई जहाज़ों के टूटने से ३०,५०० रुपये का नुकसान हुआ था । इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को ९१,५३६ रुपये का नुकसान हुआ । इसमें हवाई दुर्घटनाओं में मरे हुए कर्मचारियों के वारिसों को दिया गया मुआवजा नहीं जोड़ा गया है । फ्लाइंग क्लबों और प्राइवेट हवाई जहाज़ रखने वालों की दुर्घटनाओं की वजह से जो नुकसान हुआ है उसकी रकम मालूम नहीं है ।

(घ) १४ ।

(ङ) और (च). इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने १,७२,००० रुपये मुआवज़ा दिया ।

मद्रास में भारतीय नाविकों के लिये होस्टल

१४२७. श्री म०ला० द्विवेदी : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास में भारतीय नाविकों के लिये होस्टल बनाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ख) यह होस्टल कब तक बन कर तैयार हो जाने की आशा है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) समुद्र के किनारे स्थान प्राप्त हो चुका है और उक्त स्थान पर होस्टल की इमारत के नक्शे और तखमीने भी तैयार हो चुके हैं । किन्तु वास्तविक निर्माण-कार्य चालू करना अभी इसलिये सम्भव नहीं हो सका, क्योंकि मद्रास कारपोरेशन ने उक्त योजनाओं की स्वीकृति इस आधार पर नहीं दी कि इमारत के लिये निश्चित स्थान समुद्री किनारे की जमीन है और इस पर इमारत नहीं बननी चाहिए । कारपोरेशन द्वारा उठाई गई इस आपत्ति का समाधान करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

(ख) इस सम्बन्ध में अभी कोई निश्चित संकेत नहीं दिया जा सकता । लेकिन कारपोरेशन की स्वीकृति मिलते ही जितनी जल्दी सम्भव हो सकेगा होस्टल की इमारत बनाने का हर प्रयत्न किया जायेगा ।

पाकिस्तान में भारतीय नाविक

१४२८. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई भारतीय नाविक विभाजन के बाद अपनी जीविका कमाने के लिये पाकिस्तान गये हैं ; और

(ख) क्या इन भारतीय नाविकों को पाकिस्तान में द्रष्टांक मिलने की वैसी ही सुविधायें हैं जैसी कि भारत में पाकिस्तानी नाविकों को प्राप्त हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

(ख) जी हां । भारत-पाकिस्तान के बीच पासपोर्ट एवं वीज़ा योजना के अन्तर्गत जो सुविधायें पाकिस्तानी नाविकों को प्राप्त हैं परस्पर रूप में वैसी ही सुविधायें भारतीय नाविकों को भी प्राप्त हैं ।

रेलवे यात्री सुविधायें

†१४२९. **श्री राम कृष्ण :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना की कालावधि में निम्नलिखित लाइनों पर क्या यात्री सुविधायें दी गई हैं ;

(१) रिवाड़ी-लोहारु और (२) उत्तर रेलवे पर फीरोज़पुर-जालंधर लाइन ; और

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में इन स्टेशनों पर स्टेशनवार कौन कौन सी यात्री सुविधायें दी जायेंगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)**: (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७४]**

कुओं का निर्माण

†१४३०. **श्री राम कृष्ण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में प्रत्येक राज्य को, कुओं का निर्माण करने के लिये कितना ऋण दिया गया ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या ऋण का पूरी तरह से उपयोग कर लिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) एक विवरण संलग्न है जिस में अपेक्षित जानकारी दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७५]**

(ख) और (ग). जून, १९५८ के बाद जानकारी उपलब्ध होगी ।

उत्तर रेलवे की सहकारी ऋण समिति

†१४३१. **श्री उमराव सिंह :**
श्री रूप नारायण :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के समस्त कर्मचारियों की सहायता करने के लिये कोई सहकारी ऋण समिति है ;

(ख) यदि हां, तो उस समिति का क्या नाम है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) उत्तर रेलवे प्रशासन उस रेलवे की वर्तमान सहकारी ऋण समितियों के क्षेत्राधिकार को उन क्षेत्रों तक फैलाने के लिये पग उठा रहा है जो अब इस के क्षेत्र में नहीं आते हैं ।

कपड़े का रेशा[1]

†१४३२. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई सरकार ने उच्च कोटि के कपड़े के रेशे का उत्पादन करने के लिये "रामी"[2] की खेती करने की एक योजना स्वीकार की है ; और

(ख) क्या भारत सरकार ने अच्छा रेशा देने वाली "कीवान"[3] कही जाने वाले "रामी" की एक किस्म के प्रयोग की संभावना का अध्ययन किया है जो केरल के वनों में बहुतायत से पैदा होती है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) आवश्यक जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जावेगी ।

(ख) हमें "कीवान" कही जाने वाली 'रामी' (सामान्य चीनघास)[4] के किसी प्रकार का पता नहीं है। सम्भवतः 'कीवान' से अभिप्राय 'कैवन' रेशे से है जो सामान्य मृगशृंग (वनवातामकुल)[6] पौधे से निकाला जाता है जो केरल के जंगलों में पाया जाता है। और जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण किस्म के मुलायम रेशे निकलते है। जूट कृषि गवेषणा संस्था द्वारा भारत के विभिन्न भागों से एकत्र किये गये 'सामान्य मृगशृंग' की कुछ किस्मों को संस्था के फ़ार्म में उगाया गया है और उनका अध्ययन हो रहा है ।

---

† मूल अंग्रेजी में

[1]Textile Fibre, [2]Rhemie, [3]Kyoan. [4]Bochmeria nivea. [5]Koivun [6]Melicteres isora Sterculiaceae

आन्ध्र में मीन-क्षेत्रों का विकास

†१४३३. **श्री मं० वें० कृष्ण राव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में मीन-क्षेत्रों के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार को हाल ही में कोई योजनायें भेजी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं की रूपरेखा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) और (ख). आन्ध्र प्रदेश सरकार से हाल ही में कोई नयी योजना प्राप्त नहीं हुई है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित विभिन्न योजनाओं को १९५८-५९ में जारी रखने के बारे में दिसम्बर, १९५७ में सुझाव प्राप्त हुए थे और केन्द्रीय सरकार ने इन को मान लिया था । इन योजनाओं की रूपरेखा इस प्रकार है :

छोटी मछलियों के समुदाय और फिंगरलिंग्स का इकट्ठा करना और वितरण करना और उनका तालाबों और सरोवरों में जमा करना, तालाबों और जलाशयों में मीन-क्षेत्रों का विकास, मछली फार्मों का निर्माण, देशीय नावों और उपकरणों में सुधार; मीन क्षेत्रों की आवश्यक वस्तुएं, अर्थात् टिम्बर, सूत, जाल इत्यादि का सम्भरण ; मछली को सुरक्षित रखने के लिये राजसहायता-प्राप्त दरों पर नमक का सम्भरण ; छोटी मछलियों के समुदाय को इकट्ठा करने और मछलियों के विपणन के लिये यातायात सुविधाओं की व्यवस्था; मछुओं की सहकारिता का संगठन ; और मीन क्षेत्रों का विस्तार, प्रचार और प्रशिक्षण ।

खाद्यान्न की उपलब्धि

†१४३४. **श्री वें० प० नायर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें (१) रासायनिक उर्वरक के प्रयोग (२) बड़ी सिंचाई योजनाओं (३) छोटी सिंचाई योजनाओं (४) सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के परिणाम-स्वरूप १९५६-५७ में प्राप्त खाद्यान्न को अतिरिक्त मात्रा दिखाई गई हो ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: एक विवरण संलग्न है जिस में १९५६-५७ में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध खाद्यान्न का अतिरिक्त संभावित उत्पादन बताया गया है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७३]

अन्तर्राष्ट्रीय पुष्प प्रदर्शनी

†१४३५. **श्री नारायणस्वामी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ९ मार्च से १५ मार्च, १९५८ तक न्यूयार्क, अमरीका में हुई अन्तर्राष्ट्रीय पुष्प प्रदर्शनी में सरकार ने भाग लिया था ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: जी, नहीं । तथापि, न्यूयार्क में भारत के महावाणिज्यदौत्य ने सूचित किया था कि ४१वीं अन्तर्राष्ट्रीय पुष्प प्रदर्शनी ९ मार्च से १५ मार्च, १९५८ तक न्यूयार्क में होगी और उन्हों ने यह प्रार्थना की थी कि देश में उद्यान समितियों या व्यक्ति-

†मूल अंग्रेजी में

गत उद्यानपतियों को इस प्रदर्शनी में भाग लेने के लिये उत्साहित किया जाये जिस से अमरीकी जनता में भारतीय पुष्पों का अच्छा प्रचार होगा। तदनुसार देश में अच्छी उद्यान समितियों और साथों से, यदि सम्भव हो तो, प्रदर्शनी में भाग लेने की प्रार्थना की गयी थी।

रेडियो सेट

†१४३६. **श्री राम कृष्ण :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री भारत में १९५६-५७ और १९५७-५८ में, राज्यवार, रेडियो सेटों की कुल संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर):** डाक तथा तार विभाग द्वारा भारत में रेडियो सेटों की कुल संख्या के बारे में आंकड़े एकत्र नहीं किये जाते परन्तु केवल सर्किलवार, राज्यवार नहीं, जारी किये गये और नये किये गये लाइसेंसों के बारे में आंकड़े एकत्र किये जाते हैं। जारी किये गये और नये किये गये (अर्थात् इस समय की) लाइसेंसों की संख्या से यह भी पता नहीं चलता है कि कितने सेट अनुज्ञप्ति हैं क्योंकि एक ही लाइसेंस से एक से अधिक रेडियो सेट काम कर सकते हैं यदि वे उस ही भवन के अन्दर हों। ३१ मार्च, १९५७ को प्रवृत्त बेतार लाइसेंसों की संख्या १०,७८,००० थी और ३० नवम्बर, १९५७ को १३,११,०८० थी। अन्तिम आंकड़ों का अभी संकलन किया जा रहा है।

प्रवृत्त लाइसेंसों की सर्किलवार संख्या निम्न प्रकार है :

डाक तथा तार सर्किल का नाम	३१-३-१९५७ को प्रवृत्त लाइसेंसों की संख्या	३०-११-१९५७ को प्रवृत्त लाइसेंसों की संख्या
आन्ध्र	४५,८५८	५५,२४९
आसाम	१३,८३२	१७,८९४
बिहार	४७,२०५	५५,७१८
बम्बई	२,४८,८२४	३,०२,४०५
सेन्ट्रल	४६,३३७	५६,१९०
दिल्ली	५८,९९३	७३,३७९
हैदराबाद	३१,३०३	३७,६९३
मद्रास	१,८२,४२९	२,२२,०४६
उड़ीसा	९,८५७	११,८५६
पंजाब	९९,९९२	१,२५,९३१
राजस्थान	४५,०५६	५८,३९९
उत्तर प्रदेश	१,००,७०१	१,१८,४९८
पश्चिमी बंगाल	१,४७,६१३	१,७५,८२२
	१०,७८,०००	१३,११,०८०

†मूल अंग्रेजी में

बम्बई में पेरा जाने वाला गन्ना

†१४३७. **श्री पांगरकर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ के मौसम में बम्बई राज्य में चीनी मिलों में कितनी मात्रा में गन्ना पेरा गया ; और

(ख) किसानों को गन्ने की क्या कीमत दी गई ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) २०·७ लाख टन ।

(ख) ४५ रुपये प्रति टन ।

लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी

†१४३८. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री बर्मन :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी में प्रशिक्षण देने के लिये अब तक क्या व्यवस्था की गई है ;

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से कितने व्यक्ति लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी में प्रशिक्षत किये गये ;

(ग) प्रशिक्षण केन्द्रों के क्या नाम हैं और उन की क्षमता कितनी है ; और

(घ) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये आवंटित धनराशि में से कितनी धनराशि अब तक व्यय हो चुकी है और वह राशि किस प्रकार व्यय की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) से (घ) . सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७७]**

भोजन यान[1]

†१४३९. **श्री हेडा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में कितने नये भोजन यान लगाये गये हैं ;

(ख) ये यान किन किन लाइनों को आवंटित किये गये हैं ; और

(ग) ऐसे कितने बेकार भोजन यान हैं जो अब भी चल रहे हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क)

ब्रोड गेज	मीटर गेज
१०	५

(ख) बड़ी लाइन पर भोजन यानों में ४ ए/सी गलियारे वाली कारें हैं जो तीन गलियारे वाली वातानुकूलित डिलक्स गाड़ियों के साथ चलती हैं और ६ साधारण गलियारे वाली जो गलियारे वाली जनता गाड़ियों, अर्थात् दिल्ली-मद्रास, दिल्ली-हावड़ा और मद्रास,बम्बई के बीच चलने वाली जनता गाडियों के साथ चलती हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Dining Cars.

मीटर लाइन पर भोजन यान बंगलौर सिटी-पूना मेल और इंडो-सीलोन एक्सप्रेस के साथ चलती हैं ।

(ग)	ब्रोड गेज	मीटर गेज
	१५	४

लोक स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र

†**१४४०. श्री रा० च० माझी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में नजफगढ़, सिंगूर और पूनामल्ली के 'रिओरियन्टेशन' प्रशिक्षण केन्द्रों में सामुदायिक परियोजनाओं में विनियोजित लोक स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये प्रत्येक राज्य को कितनी सीटें आवंटित की गई हैं ; और

(ख) क्या इन तीनों केन्द्रों में पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण स्तर एक सा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) संलग्न विवरण में अपेक्षित जानकारी दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७८]**

(ख) जी, हां ; स्थानीय दशा के उपयुक्त कुछ रूपभेदों सहित ।

रेलवे यात्री सुविधायें

†**१४४१. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री १९ दिसम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर रेलवे के नंगल डैम स्टेशन के प्लैट फार्म पर शेड लगाने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** नंगल डैम स्टेशन पर शेड का निर्माण पंजाब सरकार द्वारा लागत के अपने अंश के स्वीकार करने पर निर्भर करता है । इस बीच शेड की रचना के लिये आवश्यक प्रारम्भिक कार्यवाही की जा रही है ।

बेजवाड़ा में रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†**१४४२. श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में बेजवाडा में दक्षिण रेलवे ज़ोन के लिये कितने क्वार्टर बनाये जायेंगे ;

(ख) बेजवाड़ा में ऐसे कितने आवश्यक कर्मचारी हैं जिनको अभी तक क्वार्टर नहीं मिले हैं ; और

(ग) आवश्यक कर्मचारियों [1] को कब तक क्वार्टर दे दिये जायेंगे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) बेजवाडा में १९५८-५९ में कोई नये क्वार्टर बनाने का कार्यक्रम नहीं है ।

(ख) लगभग ८४४ ।

(ग) आवश्यक कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण कार्यक्रम प्रति वर्ष रेलवे के आधार पर बनता है जो निधि की उपलब्धता पर निर्भर है । क्योंकि सब रेलवे में एक बड़ी संख्या में आवश्यक कर्मचारियों को क्वार्टर देने हैं, अतः सब आवश्यक कर्मचारियों को क्वार्टर देने में अभी पर्याप्त समय लगेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Essential Staff.

आन्ध्र में उचित मूल्य वाली दुकानें

†१४४३. **श्री बाली रेड्डी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में पिछले साल से उचित मूल्य वाली कितनी दुकानें खोली गयीं ;

(ख) इन दुकानों पर कितनी मात्रा में और किस दर पर खाद्यान्न का वितरण किया गया है ; और

(ग) ये दुकानें कब तक जारी रहेंगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन):** (क) हैदराबाद और सिकन्दराबाद के दो शहरों में चावल के वितरण के लिये ४७० उचित मूल्य की दुकानें काम कर रही हैं। गेहूं के वितरण के लिये लगभग ५०० व्यापारियों को लाइसेंस दिये गये हैं।

(ख) दिसम्बर, १९५७ और जनवरी, १९५८ में लगभग ४०६ टन चावल दिया गया है और ३००० टन प्रति माह की दर से गेहूं का वितरण किया जा रहा है। व्यापारियों को चावल १६ रुपये ७० नये पैसे प्रति मन और गेहूं १४ पये प्रति मन की दर से दिया जा रहा है।

(ग) गेहूं की बिक्री तब तक होती रहेगी जब तक इसकी आवश्यकता है। चावल की बिक्री तब तक होती रहेगी जब तक राज्य सरकार के पास चावल के भंडार हैं।

कृषि सम्बन्धी और पशु-चिकित्सा कालेज

†१४४४. **श्री बाली रेड्डी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने आन्ध्र के कृषि सम्बन्धी तथा पशु-चिकित्सा कालेजों को कोई सहायता दी थी ;

(ख) किन-किन कालेजों को इस प्रकार की कितनी-कितनी सहायता मिली है ; और

(ग) क्या यह सच है कि आन्ध्र सरकार ने अब तक मिली सहायता के अलावा और भी वित्तीय सहायता मांगी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) जी हां।

(ख) विवरण लोक सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७९]**

(ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने (१) एग्रीकल्चरल कालेज, बापाटला, और (२) कालेज आफ़ वेटिरीनरी साइन्स एण्ड एनीमल हस्बैन्ड्री, उस्मानिया यूनीवर्सिटी, हैदराबाद में प्रशिक्षण की सुविधाओं के और आगे विस्तार के लिये अतिरिक्त अनुदान देने के लिये कहा था। राज्य सरकार को यह सूचित कर दिया गया था कि उन के अनुरोध पर उस कृषि कर्मचारी समिति की सिफारिशों के आधार पर विचार किया जायेगा जिसको भारत सरकार ने प्रशिक्षित कृषि-कर्मियों की उपलब्धता और आवश्यकताओं का पुनरीक्षण करने के लिये नियुक्त किया था। उपर्युक्त समिति का प्रतिवेदन मार्च, १९५८ के अन्त तक उपलब्ध हो जाने की आशा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

डाक-तार कर्मचारियों के लिये अन्तरिम सहायता

१४४५. श्री जगदीश अवस्थी : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग के कुछ कर्मचारियों ने भारत सरकार द्वारा घोषित अन्तरिम सहायता लेना अस्वीकार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं और उन की अस्वीकृति के क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

चथुर्थ श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों की भर्ती में भ्रष्टाचार

१४४६. डा० राम सुभग सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के लखनऊ डिवीजन में खलासी जैसे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती में भ्रष्टाचार का एक मामला पकड़ा गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) एक रेल-कर्मचारी पर इस बात का आरोप है कि उस ने किसी के बदले किसी का चुनाव कराया और अभिलेखों में हेर-फेर किया ।

(ग) यह मामला जांच के लिये स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेण्ट, लखनऊ को दिया गया है ।

भटिण्डा का डाक-घर

†**१४४७. सरदार इकबाल सिंह**: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ दिन पहले सरकार का पंजाब राज्य में भटिण्डा के डाक-घर के लिये पृथक भवन निर्माण करने का प्रस्ताव था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिये कोई कार्यवाही की गई थी और यदि हां, तो क्या ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). भवन के निर्माण पर लगे प्रतिबन्ध से छट प्राप्त कर ली गई है । प्रस्ताव को शीघ्र ही क्रियान्वित करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

स्पीडोमीटर सहित इंजन

१४४८. श्री रघुनाथ सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय रेलवे में अभी ऐसे कितने इंजन हैं जिन में स्पीडोमीटर लगे हुए हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): ११२१ इंजन ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मछली पकड़ना

†१४४९. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मछली पकड़ने की यंत्र-चालित नौकाओं और सुधरे हुए संभार के उपयोग से १९५३–५४, १९५४–५५, १९५५–५६ और १९५६–५७ में लगभग कुल कितनी मछलियां पकड़ी गयी हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : मछली पकड़ने की यंत्र-चालित नौकाओं और सुधरे हुए संभार के उपयोग से मैसूर, केरल, मद्रास और आन्ध्र में पकड़ी गयी समुद्री मछलियों के आंकड़े इस प्रकार हैं :

वर्ष	पौंड
१९५३–५४	१,२१,८५६
१९५४–५५	३,५१,४८७
१९५५–५६	८,३१,३३९
१९५६–५७	९,३५,७३५

बम्बई तट के प्राक्कलित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि लगभग १०० यंत्र चालित नौकाओं के आंकड़े एकत्र करना संभव नहीं हुआ । उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में यंत्रीकरण अभी शुरू ही हुआ है, और इसीलिये संबंधित आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

मध्य प्रदेश में नई रेलवे लाइनें

१४५०. **श्री क० भे० मालवीय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में नई रेलवे लाइनें बनाने के सम्बन्ध में सर्वेक्षण करने के लिये क्या कोई आदेश जारी किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन सर्वेक्षणों के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) यह सर्वेक्षण कार्य कब तक पूर्ण होने की आशा है; और

(घ) यदि वह पूर्ण हो गया है, तो सरकार ने उस के बारे में क्या निर्णय किये हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (घ) . सूचना राज्यों के अनुसार नहीं, रेलों के अनुसार रखी जाती है । फिर भी लोक सभा पटल पर रखी गयी सूची में **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ८०]** बताया गया है कि मध्य प्रदेश में किन-नई रेलवे लाइनों का सर्वे पूरा हो चुका है, किन का सर्वे हो रहा है और किन लाइनों के बनाने की मंजूरी दी जा चुकी है ।

सड़क-परिवहन

†१४५१. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में सड़क परिवहन का विकास करने के लिये कितनी राशि आवंटित की गयी हैं, और

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन पंजाब राज्य में सड़क परिवहन के विकास के लिये कौन-कौन सी योजनायें रखी गयी हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) २२६.३३ लाख रुपये जिस में राज्य के सड़क परिवहन निगमों की पूंजी में अंशदान के लिये रेलवे -योजना में किया गया १०६.६८ लाख रुपये का उपबन्ध भी शामिल है ।

(ख) यह राशि मुख्य रूप से राष्ट्रीयकृत राज्य की यात्री सड़क-परिवहन सेवाओं के विस्तार, पंजाब रोडवेज की केन्द्रीय वर्कशाप और केन्द्रीय भाण्डार के लिये भवनों के निर्माण और उस उपक्रम तथा पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के कुछ अन्य आवश्यक भवनों के लिये थी । पंजाब रोडवेज संबंधी विस्तार कार्यक्रम इस शर्त के रहते हुए अनुमोदित हो चुका है कि राज्य १९५० के सड़क परिवहन निगम अधिनियम के अधीन एक निगम की स्थापना कर दे ।

कानपुर में रेलवे की बकाया धन राशि

१४५२. { **स्वामी रामानन्द शास्त्री :**
श्री स० म० बनर्जी :
श्री तंगामणि :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मयोर मिल्ज कानपुर पर रेलवे का लग भग २ लाख रुपया बाकी है;

(ख) यदि हां, तो वह धन राशि वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) कानपुर की अन्य कौन कौन सी मिलों पर रेलवे का रुपया बाकी है ;

(घ) उन में से प्रत्येक से कितनी धन राशि वसूल करनी है; और

(ङ) इस विषय में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) २२-२-५८ को म्योर मिल कानपुर से १.८४ लाख रुपये मिले थे ।

(ख) स्थानीय रेलवे प्रशासन सम्बन्धित मिलों के सम्पर्क में है और यह रकम वसूल करने की हर कोशिश कर रहा है ।

(ग) से (ङ) . सूचना लोक सभा पटल पर रखे गये बयान में दी गयी है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ८१]**

रेलवे के स्कूल

†१४५३. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ में कितने रेलवे स्कूलों का स्तर ऊंचा उठा कर उन्हें हाई स्कूलों से उच्चतर माध्यमिक-बहुप्रयोजनीय बनाया गया है और कितनों को १९५८–५९ में बनाया जाने वाला है;

(ख) इस सम्बन्ध में खड़गपुर के साउथ ईस्टर्न रेलवे हाई स्कूल की क्या स्थिति है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि उस का स्तर ऊंचा उठाया जा चुका हो तो क्या उस में प्रयोगशाला, स्थान आदि की समुचित व्यवस्था है ;

(घ) यदि नहीं, तो क्या यह कार्य किया जाने वाला है; और

(ङ) अब तक कुल कितने नये पाठ्य-क्रम लागू किये गये हैं और क्या १९५८, १९५९ और १९६० में निरन्तर कुछ नये पाठ्यक्रम लागू करते जाने का कोई प्रस्ताव है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) १९५७–५८ में दो हाई स्कूलों को बहुप्रयोजनीय स्कूलों में बदला जा चुका है और चार के संबंध में १९५८-५९ में कार्यवाही होने की संभावना है।

(ख) से (ङ) . खड़गपुर के साउथ ईस्टर्न रेलवे हाई स्कूल में आरम्भ में स्कूल की नवीं कक्षा में, बहुप्रयोजनीय योजना के अधीन "मानव-शास्त्र" और "विज्ञान" समूहों के विषयों को, जिन्हें पश्चिमी बंगाल सरकार ने उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में निर्दिष्ट कर रखा है, १-१-१ ९५७ से लागू किया है। ऐच्छिक विषयों के दो और समूहों, जैसे "वाणिज्य" और "प्रविधिक" को लागू करने और प्रयोगशालाओं, प्रविधिक मिस्त्री खानों, स्थान और अध्यापक वर्ग के रूप में सुविधायें प्रदान करने का प्रश्न विचाराधीन है।

राज्यों में बिजली की खपत

†**१४५४. श्री कालिका सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५१ के बाद से अब तक भारत के भिन्न-भिन्न औद्योगिक खपत को छोड़ कर, घरेलू और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये बिजली की वार्षिक प्रति व्यक्ति खपत कितनी है और इन वर्षों में देश की पूरी औसत वार्षिक खपत कितनी थी;

(ख) यदि द्वितीय योजना में शामिल विद्युत परियोजनायें निर्धारित कार्य-क्रम के अनुसार १९६१ में पूरी हो जायें तो क्या स्थिति होगी; और

(ग) १९५१ से १९५७ तक विभिन्न राज्यों में औद्योगिक प्रयोजनों के लिये वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितनी थी ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में यह दिखाया गया है कि विभिन्न भूतपूर्व एवं पुनर्गठित राज्यों में घरेलू और वाणज्यिक प्रयोजनों में प्रति व्यक्ति बिजली की वार्षिक खपत कितनी थी। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ८२]**

(ख) देश में बिजली की पूरी प्रतिव्यक्ति खपत, औद्योगिक खपत समेत, १९६०–६१ के अन्त तक ५० प्रतिशत बढ़ जाने की आशा है।

(ग) लोक-सभा पटल पर रखे गये विवरण में अपेक्षित जानकारी दी हुई है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ८२]**

हिमाचल प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग

१५५५. श्री पद्म देव : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) १८ अप्रैल से ३१ दिसम्बर, १९५७ तक की अवधि में हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की प्रशासकीय मद के अन्तर्गत कितना व्यय हुआ ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस व्यय में से क्षेत्रीय परिषद् और सरकार द्वारा अलग अलग कितनी राशि खर्च की गयी।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) २०,९४,०७८ रुपये।

(ख) ऊपर लिखी राशि में से ५,१३,७८५ रुपये क्षेत्रीय परिषद् और १५,८०,२९३ रुपये हिमाचल प्रदेश प्रशासन का हिस्सा है।

लेम्बूछरा बेसिक कृषि स्कूल, त्रिपुरा

†**१४५६. श्री दशरथ देब** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लेम्बूछरा बेसिक कृषि स्कूल, त्रिपुरा के छात्रों को कितनी राशि छात्रवृत्ति में दी जाती है;

(ख) क्या सरकार को ऐसा कोई अभ्यावेदन मिला है कि वह राशि बढ़ा दी जाये; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) भारत सरकार की आदर्श योजना के अनुसार प्रति प्रशिक्षार्थी को ३०) रुपये प्रति माह।

(ख) जी हां।

(ग) १९५७–५८ के व्यय के ब्यौरेवार प्राक्कलनों में त्रिपुरा प्रशासन ने प्रति प्रशिक्षार्थी ३०) रुपये प्रति माह की दर से गुजारा भत्ता देने की व्यवस्था की थी जिसे भारत सरकार ने मान लिया था ? इस के पश्चात्, पुनरीक्षित प्राक्कलनों में प्रशासन ने ५०) रुपये प्रति माह की बढ़ी हुई दर तय की क्योंकि उन्हों ने खाने, किताबों और आनुषंगिक व्यय के लिये ३०) रुपये की राशि को अपर्याप्त माना। सावधानी से विचार करने के बाद इस प्रस्ताव को नहीं माना गया है क्योंकि यह छात्रवृत्ति पूरा जीवन- निर्वाह-व्यय पूरा करने के लिये नहीं वरन् केवल उपयुक्त प्रशिक्षार्थियों को आकृष्ट करने के लिये थी।

त्रिपुरा में मोटर-दुर्घटनायें

†**१४५७. श्री दशरथ देब** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में १९५७–५८ में मोटर दुर्घटना में कुल कितने व्यक्ति मरे;

(ख) क्या किसी सार्वजनिक संगठन ने इन दुर्घटनाओं के कारणों की जांच करने की मांग की थी;

(ग) क्या कोई जांच की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इस जांच का क्या फल निकला है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) १३।

(ख) त्रिपुरा की प्रादेशिक परिषद् के एक सदस्य, श्री नृपेन्द्र कुमार चक्रवर्ती ने दुर्घटनाओं के कारणों की जांच करने के लिये गैर-सरकारी सदस्यों की एक जांच समिति नियुक्त करने की मांग की थी।

(ग) पुलिस ने दुर्घटनाओं की जांच की थी। गैर-सरकारी सदस्यों की जिस जांच समिति द्वारा जांच का सुझाव दिया गया था उस के पृथक रूप से नियुक्त किये जाने की आवश्यकता नहीं समझी गयी।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) १३ व्यक्तियों के मृत्यु के सम्बन्ध में पुलिस ने १२ मामले चलाये थे। तब से १ मामले में निर्णय हो चुका है, ६ विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं और पांच के बारे में जांच हो रही है।

क्विलोन-एरणाकुलम रेलवे लाइन के श्रमिक

†१४५८. **श्री कोडियान** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्विलोन-एरणाकुलम् रेलवे लाइन के निर्माण-कार्य में ३१ दिसम्बर, १९५७ को कुल कितने अस्थायी श्रमिक लगे थे;

(ख) उन में से कितनों को उस लाइन पर स्थायी नौकरी में रख लिया गया है;

(ग) क्या इस लाइन पर नियुक्तियों की विभिन्न श्रेणियों के लिये स्थायी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिये कुछ प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो भरे गये स्थान कितने हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) ३०,१७।

(ख) ३८०।

(ग) स्थायी पदों में १४ प्रतिशत अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिये सुरक्षित किये गये हैं।

(घ) २१।

दिल्ली के लिये गन्दी बस्तियों सम्बन्धी मंत्रणा-निकाय

†१४५९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के लिये गन्दी बस्तियों संबंधी मंत्रणा निकाय की, जिस की स्थापना नवम्बर, १९५६ में हुई थी कोई बैठक हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उन बैठकों में किन विषयों पर चर्चा हुई और क्या निर्णय हुए हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां। इस निकाय की दो बैठकें हुई हैं, एक १० नवम्बर, १९५६ को, और दूसरी ४ दिसम्बर, १९५६ को हुई थी।

(ख) चर्चा का विषय यह था कि जमुना बाजार की गन्दी बस्ती से हटाये जाने वाले लोगों के लिये बदले में कहां स्थान की व्यवस्था की जाय। गन्दी बस्तियों सम्बन्धी मंत्रणा निकाय ने इन बैठकों में यह मुख्य सिफारिशें की हैं :

(१) पुनर्वास मंत्रालय जमुना बाजार क्षेत्र से हटाये जाने वाले सभी पात्र विस्थापित अनधिकृत कब्जे वाले लोगों के लिये बदले में दूसरे स्थान की व्यवस्था करे।

(२) किलकरी और झिलमिला ताहिरपुर की नयी बस्तियों के रहने योग्य बनते ही सरकारी और गैर-सरकारी कर्मचारियों को, जिन के ५३० परिवार हैं, जमुना बाजार क्षेत्र से हटा दिया जाये।

(३) जमुना बाजार क्षेत्र में जो १८२ पंडे अनधिकृत रूप से कब्जा जमाये हैं, केवल उन पंडों को वहां रहने दिया जाय जिन्हें शमशान घाटों और नहाने के घाटों पर वास्तव में धार्मिक कृत्य करने पड़ते हैं, और बाकी को वहां से निकाल दिया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) जमुना बाजार क्षेत्र में अनधिकृत रूप से रहने वाले मोचियों को रात्रि-कक्षाओं में चप्पल और जूते बनाने का प्रशिक्षण दिया जाये ताकि झिलमिला ताहिरपुर भेजे जाने के बाद वे ढंग से रोजी कमा सकें;

(५) जमुना बाजार क्षेत्र में अनधिकृत रूप से रहने वाले धोबियों, भंगियों, और अन्य निम्न कर्मचारियों को नयी सरकारी बस्तियों के आसपास निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली जमीनों में रखा जाये जहां स्वास्थ्य मंत्रालय की गंदी बस्तियों की सफाई संबंधी निधि में से इन लोगों के लिये क्वार्टर बनाये जायें; और

(६) जमुना बाजार क्षेत्र में अनधिकृत रूप से रहने वाले मजदूरों को फिर से बसाने का प्रश्न रेलवे मंत्रालय से उठाया जाय ।

तार-घर व सार्वजनकि टेलीफोन कार्यालय

१४६०. श्री लच्छी राम : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला झांसी (उत्तर प्रदेश) के गुरसराय और गरौठा मंडियों के व्यापारियों तथा वहां के निवासियों की ओर से वहां तार-घर व सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) इन दोनों स्थानों पर तार-सुविधाओं की मन्जूरी दे दी गयी है । प्रत्येक स्थान के लिये टेलीफोन सुविधा देने का प्रस्ताव अधिक हानिकर है, एवं इस की मंजूरी गारंटी के बिना नहीं दी जा सकती ।

सोनपुर में डाकघरों का खोला जाना

†**१४६१. श्री कुम्भार** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सम्बलपुर डाक-मंडल में सोनपुर सब-डिवीजन के गांवों में रहने वाले लोगों ने संबंधित डाक-प्राधिकार से वहां डाक-तार-घर खोलने के लिये कहा है;

(ख) क्या उन गांवों में डाक घर खोलने की सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी हां ।

(ख) और (ग). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ८३]**

आन्ध्र प्रदेश में बहुप्रयोजनीय खण्ड

†**१४६२. श्री हेडा :** क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में इस वर्ष कितने बहुप्रयोजनीय खण्ड मंजूर किये गये हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इन की क्रियान्विति संबंधी कार्यों में आदिम जातियों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे)**. (क) १९५७–५८ में किसी नये बहुप्रयोजनीय खंड की मंजूरी नहीं दी गयी। १९५६–५७ में आंध्र प्रदेश के लिये ऐसे ४ खंड मंजूर किये गये थे।

(ख) जी हां।

विकास खण्डों में सामान को डिब्बों में बन्द करने का कुटीरोद्योग

†१४६३. **श्री ब० स० मूर्ति** : क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विकास खण्डों में कुटीरोद्योग के रूप में सामान को डिब्बों में बन्द करने के उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) इन उद्योगों में लगे व्यक्तियों को क्या वित्तीय सहायता और प्रविधिक जानकारी दी गयी है ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे)**: (क) सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों में जहां भी व्यवहार्य होती हैं सामान को डिब्बों में बन्द करने की तदर्थ लघु योजनायें आरम्भ की जाती हैं। अग्रिम योजनाओं में, जहां इस उद्योग को आरम्भ करने के लिये उपयुक्त परिस्थितियां पाई जाती हैं, इस मंत्रालय ने खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के बिक्री और निरीक्षण निदेशालय के जरिये विशेषज्ञों द्वारा जांच और योजनायें तैयार कराई जाने की व्यवस्था की है।

(ख) ऐसे उद्योगों में लगे व्यक्तियों को ऋण दिये जाते हैं। प्रविधिक जानकारी राज्य सरकारों द्वारा और खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के बिक्री और निरीक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध की जाती है जो उन्हें इस उद्योग का प्रशिक्षण देने के लिये एक योजना भी चलाते हैं।

डाकखानों के निरीक्षक

†१४६५. **श्री इगनेस बेक** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ में डाक घरों और रेल-डाक सेवा के निरीक्षकों के पदों के लिये कितने प्रतियोगितामूल रिक्त स्थानों का विज्ञापन किया गया ;

(ख) अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कुल कितने स्थान सुरक्षित हैं ; और

(ग) बिहार से अनुसूचित आदिम जातियों के कितने अभ्यार्थी प्रतियोगिता में बैठे और कितने चुने गये ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) फरवरी, १९५७ की परीक्षा के लिये सभी मंडलों डाक-खानों के निरीक्षक पद के लिये १५८ और रेल-डाक-सेवा के निरीक्षक पद के लिये ४६ रिक्त स्थानों की घोषणा की गयी थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सभी मंडलों में डाक-खानों के निरीक्षक-पद के २२ और रेल-डाक सेवा के निरीक्षक पद के १२ रिक्त स्थान अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सुरक्षित रखे गये थे ।

(ग) बिहार से केवल डाक-खानों के निरीक्षक पद की परीक्षा में अनुसूचित आदिम जातियों के दो अभ्यर्थी बैठे थे लेकिन उन में से कोई अर्हता नहीं प्राप्त कर सका ।

मध्य रेलवे में अनुसूचित जातियों के कर्मचारी

†१४६५. **श्री दलजीत सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे में १९५७–५८ में अब तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने प्रतिशत अभ्यार्थी द्वितीय या तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के रूप में भर्ती हुए हैं या चुने गये हैं ; और

(ख) सरकार ने उनके लिये कितने प्रतिशत स्थान सुरक्षित किये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) द्वितीय या तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के चुनाव में प्रतिशत के हिसाब से स्थान सुरक्षित नहीं रखे जाते । जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि मध्य रेलवे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने प्रतिशत लोग इन श्रेणियों में चुने गये, द्वितीय श्रेणी में तो कोई भरती की ही नहीं गयी लेकिन तृतीय श्रेणी के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है :—

	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां
तृतीय श्रेणी	८.८ प्रतिशत	.७ प्रतिशत

(ख) द्वितीय श्रेणी—द्वितीय श्रेणी के स्थान सामान्यतया तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति से भरे जाते हैं लेकिन इस समय पदोन्नतियों में इसमें स्थान सुरक्षित नहीं रखे जाते । लेकिन जहां द्वितीय श्रेणी में सीधी भरती की जाती है, वहां यह प्रतिशत लागू की जाती है —

अनुसूचित जातियां	१२½ प्रतिशत
अनुसूचित आदिम जातियां	५ प्रतिशत
तृतीय श्रेणी	
अनुसूचित जातियां	
अखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतियोगिता द्वारा	१२½ प्रतिशत
मध्य रेलवे पर स्थानीय अथवा क्षेत्रीय, अभिनति द्वारा	१३ प्रतिशत
अनुसूचित आदिम जातियां	
अखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतियोगिता द्वारा . .	५ प्रतिशत
मध्य रेलवे पर स्थानीय अथवा क्षेत्रीय अभिनति द्वारा . .	७ प्रतिशत

†मूल अंग्रेजी में

मध्य रेलवे में भ्रष्टाचार

†१४६६. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य रेलवे पर भ्रष्टाचार सम्बन्धी कितने मामले अब भी विचाराधीन हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : पन्द्रह ।

पंजाब में चावल

†१४६७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७-५८ में पंजाब से कुल कितने मन चावल अन्य राज्यों को भेजा गया ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: १० मार्च, १९५८ तक केन्द्रीय सरकार के खाते लगभग १५.५ लाख मन ।

भारतीय पशु-चिकित्सा गवेषणा संस्था, इज्जतनगर

†१४६८. **श्री कुन्हन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री इज्जतनगर की भारतीय पशु-चिकित्सा गवेषणा संस्था के प्रशासनिक और गवेषणा कर्मचारियों की सूची लोक-सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ८४**]

गांवों में डाकखाने खोलना

†१४६९. **श्री बि० दास गुप्त** :
श्री घोषाल :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुरुलिया जिले (पश्चिमी बंगाल) के ग्रामीण क्षेत्रों में १९५७ में कितने गांवों में नये डाक-घर खोले गये हैं ; और

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में डाक-खाने खोलने के उस जिले के कितने अभ्यावेदन अभी सरकार के विचाराधीन हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) १९५७ में तो एक भी नहीं खोला गया लेकिन १-१-५८ और २८-२-५८ के बीच ४ डाकखाने खुले हैं ।

(ख) पन्द्रह । इन सभी प्रस्तावों की जांच की जा रही है और आशा है कि १९५८-५९ में इन्हें अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ।

मदुरै के डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†१४७०. **श्री तंगामणि** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदुरै के तल्लाकुला क्षेत्र में मदुरै के डाक-तथा तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाये गये हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) और (ख). **जी, हां,** उन जगहों पर जहां स्थान उपलब्ध था। अन्य स्थानों पर और भी क्वार्टरों का निर्माण करने के लिये जगहें ली जा रही हैं।

डाकखानों के निरीक्षक

†१४७२. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में डाक-खानों के कितने निरीक्षक हैं ;

(ख) उन में से कितनों के कार्यालय अभी गैर-सरकारी भवनों में हैं ; और

(ग) उनका महीने में कितना किराया जाता है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) चवालीस।

(ख) चौंतीस के कार्यालय उनके घरों में ही हैं और उन्हें इस प्रयोजन के लिये ५) रुपये प्रति माह मकान-किराया भत्ता दिया जाता है।

(ग) क्योंकि डाक खानों के निरीक्षक इन्हें गैर-सरकारी तौर पर किराये पर लेते हैं इसलिये इस विषय पर सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

पंजाब में श्रम सहकारी समितियां

†१४७३. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७–५८ में पंजाब की श्रम-सहकारी समितियों को सहायता देने के लिये केन्द्रीय सरकार ने कितनी राशि आवंटित की है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: पंजाब या किसी अन्य राज्य की श्रम सहकारी समितियों की सहायता के लिये केन्द्रीय सरकार कोई पृथक आवंटन नहीं करती और राज्य सरकारों को जो राशियां आवंटित की जाती हैं उनमें श्रमिकों और औद्योगिक श्रमिकों की सहकारी समितियों की आवश्यकता-भर राशियां भी शामिल रहती हैं। लेकिन पंजाब में लुधियाना की लुधियाना इन्डस्ट्रियल वर्कर्स कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड को १९५७–५८ में ५५,४४३ रुपयों की राशि (२२,२७० रुपये ऋण के रूप में और ३१,१७३ रुपये राज्य-सहायता के रूप में) का राज-सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के अधीन १३२ दो कमरों वाले छोटे मकानों का निर्माण करने की उनकी १९५५–५६ में मंजूरी दी गयी परियोजना के सम्बन्ध में आंशिक भुगतान किया गया।

स्थगन प्रस्ताव

२० मार्च को छुट्टी घोषित न करना

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे कुछ माननीय सदस्यों से एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है। यह प्रस्ताव दिल्ली प्रशासन द्वारा २० मार्च को सवेतन छुट्टी घोषित न करने के निश्चय के बारे में है। मैं नहीं समझता कि ऐसी बात पर भी कोई स्थगन प्रस्ताव रखा जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : श्रीमान् २०, मार्च को दिल्ली में निर्वाचन हैं और उद्योगों में श्रमिकों को छुट्टी नहीं दी गई है। जब सचिवालयों में छुट्टी है तो औद्योगिक संस्थाओं में क्यों न हो? दिल्ली में उद्योगों में लगभग ५०,००० कर्मचारी हैं। उन्हें केवल दो तीन घण्टे की छुट्टी दी गई है। लोगों को बहुत दूर दूर से आना है, इसलिये जब तक पूरी छुट्टी नहीं होगी, वे मतदान कैसे कर सकेंगे? मतदान के लिये पूरी तरह आजादी होनी चाहिये। मैं माननीय मंत्री से इन बातों का जवाब चाहता हूं।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : छुट्टी की घोषणा कल की गई थी जब कि चुनाव कल होने जा रहे हैं। मुझे पता लगा है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की छुट्टी है लेकिन लोक-सभा के कर्मचारियों को छुट्टी नहीं दी जा रही है। १९५३ या १९५४ में लोक-सभा की बैठक सवेरे ८.१५ से १.१५ तक होती थी। क्या कल हम ऐसा नहीं कर सकते ताकि कर्मचारी दोपहर के बाद मतदान के लिये जा सकें? चूंकि चुनाव राजधानी में ही हो रहे हैं और दिल्ली एक केन्द्र-प्रशासित क्षेत्र है, इसलिये कल की छुट्टी होना जरूरी है।

†**अध्यक्ष महोदय** : लेकिन स्थगन प्रस्ताव से इसका क्या मतलब है?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : यद्यपि इस स्थगन प्रस्ताव में स्पष्टतया तो लोक-सभा के कर्मचारियों का उल्लेख नहीं किया गया है किन्तु मैं समझता हूं कि उनका भी इससे सम्बन्ध है।

खैर, मैं यह नहीं कहता कि यह प्रबन्ध किन्हीं लोगों को मतदान से वंचित करने के लिये या किसी खास दल को मत न देने के लिये किया गया है या यह प्रस्ताव ऊपर से लोगों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिये किया गया है। वास्तव में यद्यपि दफ्तर बन्द किये जा रहे हैं किन्तु उन्हें वैसे सारा दिन काम करना पड़ेगा। निर्वाचन के प्रयोजनों के लिये लगभग १४,००० कर्मचारी रखे गये हैं। लोगों को सारे के सारे दिन तक काम करना पड़ेगा। उन्हें रोज़ से भी अधिक काम करना पड़ेगा।

जहां तक श्रमिकों का सम्बन्ध है हमने सरकारी संस्थापनों को हिदायतें जारी कर दी हैं कि वे उन्हें अपने मतदान के लिये उचित सुविधायें दें। और इसके लिये जितना रुपया लगे, उसके पैसे उन्हें दिये जायें। जहां तक गैर-सरकारी प्रबन्ध के अधीन आने वाले औद्योगिक उपक्रमों का सम्बन्ध है, श्रम मंत्रालय ने उनसे कहा है कि इसके लिये उचित सुविधायें लोगों को दी जायें। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को सारी बातें बता दी थीं। उन्होंने कहा कि सरकार ने कहा है कि सरकारी उपक्रमों के कर्मचारी जितना समय मत डालने के लिये लगायें, उतने समय का वेतन उन्हें नहीं दिया जायेगा। यह वक्तव्य गलत है।

हमने गैर-सरकारी उद्योगों से भी प्रार्थना की है। इसी प्रकार से हमने गणतंत्र दिवस को भी किया था। हम उनसे केवल अपील ही कर सकते हैं और जब चाहे औद्योगिक छुट्टी की अधिसूचना जारी नहीं कर सकते।

किसी भी तरह देखा जाये लेकिन स्थगन प्रस्ताव के इस परिस्थिति में लाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। यदि किसी को मत का अधिकार है तो वह अपने वेतन की परवा किये बिना ही मत देने जायेगा और ऐसे सदस्य को मत देगा जिससे उसकी सहानुभूति हो। तब भी किसी प्रकार से विधि का खण्डन न होगा। किन्तु जो प्रबन्ध हम ने लोगों को समय देने के लिये किये हैं वह मैं समझता हूं पर्याप्त हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री स० म० बनर्जी उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने दोनों पक्षों को सुना है और मैं नहीं समझता कि यह मामला लोक महत्व का है। माननीय मंत्री बता चुके हैं कि सरकारी उपक्रमों के कर्मचारी को मत देने के लिये उचित समय दिया जायेगा और उसके पैसे भी नहीं काटे जायेंगे। स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्य इस दिन छुट्टी चाहते हैं, चाहे मतदान करने में कितना ही समय लगे। उनका एकमात्र उद्देश्य छुट्टी करवाना है। मैं इसके हक में नहीं हूं। लोकतंत्रात्मक प्रणाली में निर्वाचन तो रोज होते ही रहते हैं किन्तु छुट्टी हर बार नहीं की जा सकती।

जहां तक संसद् सचिवालय के कर्मचारियों का सम्बन्ध है उन्हें मतदान करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायगा। उन्हें मतदान में जितना समय लगेगा, उसका उन्हें पूरा वेतन दिया जायेगा। मैं इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं देता।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन-शुल्क) नियमों में संशोधन

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन-शुल्क) अधिनियम, १६५५ की धारा १६ की उपधारा (४) के अन्तर्गत औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन-शुल्क) नियम, १६५६ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं:—

(१) एस० आर० ओ० संख्या ४०३१, दिनांक २१ दिसम्बर, १६५७।

(२) एस० आर० ओ० संख्या ४१००, दिनांक २८ दिसम्बर, १६५७।

(३) एस० आर० ओ० संख्या ४१०१, दिनांक २८ दिसम्बर, १६५७।

(४) एस० आर० ओ० संख्या ६७, दिनांक ११ जनवरी, १६५८।

(५) एस० आर० ओ० संख्या ६८, दिनांक ११ जनवरी, १६५८।

(६) एस० आर० ओ० संख्या ३६५, दिनांक १ फरवरी, १६५८।

[पुस्तकालय में रखी गयीं। देखिये संख्या एल० टी०–६०५/५८]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

आकाशवाणी में कलाकारों की कथित छंटनी

†**श्री मोहम्मद इलियास** (हावड़ा) : नियम १६७ के अधीन मैं सूचना तथा प्रसारण मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं तथा प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें:—

"आकाशवाणी के कलकत्ता स्टेशन के वर्ग 'ग' के ६०० कलाकारों की कथित छंटनी।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सूचना तथा प्रसार मंत्री (डा० केसकर)** : छंटनी के आरोप का मैं यह उत्तर देना चाहता हूं। नैमित्तिक कलाकार आकाशवाणी के कर्मचारी नहीं होते। उनके नाम सूची में रखे जाते हैं तथा जब भी प्रसारण के लिये उनकी आवश्यकता होती है उन्हें बुला लिया जाता है। उनमें से अधिकतर लोग तो नियमित रूप से कहीं नौकरी में लगे हुए होते हैं और आकाशवाणी से उनकी छंटनी का प्रश्न ही नहीं उठता ।

आकाशवाणी के सभी स्टेशनों में ऐसी सूचियां रहती हैं। जो लोग प्रसारण की इच्छा रखते हैं उनकी ध्वनि समिति जांच लेती है और फिर सूचियां तैयार की जाती हैं। समिति उनकी योग्यतानुसार उन्हें वर्गीकृत करती है। ऐसी सूचियों में रखे गये कलाकारों को आवश्यकता के समय किसी कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर दिया जाता है। यह बात स्पष्ट की जा चुकी है कि सूची पर रखे जाने से ही कलाकार को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। कलाकार भी जब उसे बुलाया जाये तो इन्कार कर सकता है ।

कलाकारों को उनकी योग्यतानुसार 'क', 'ख', 'ग', तीन वर्गों में रखा जाता है। ऐसा प्रबन्ध है कि यदि मांग की जाये या आवश्यकता हो तो उनकी परीक्षा उन्हें उच्च वर्ग में रखने के विचार से दोबारा हो सकती है। अनुभव से यह पता लगा कि 'ग' वर्ग के कलाकारों को कार्यक्रम में हिस्सा देकर संगीत का स्तर इतना नीचा गिरता गया है कि इस के विरुद्ध हमारे पास बड़ी शिकायतें आईं और लोगों का मनोरंजन नहीं हो सका। शिकायतों के कारण हमने समस्त समस्या का अध्ययन किया और यह निर्णय किया गया कि प्रयोग के तौर पर 'ग' वर्ग के कलाकारों को अधिक समय का कार्यक्रम न दिया जाये क्योंकि उनके कार्यक्रम से लोग तंग आ जाते हैं और दूर भागते हैं।

किन्तु इन कलाकारों को उत्साहित करने के लिये तथा इन की कला में सुधार करने के लिये और इन्हें उच्च श्रेणी में रखने के लिये यह भी निर्णय किया गया कि समय समय पर संगीत गोष्टियां और सभायें हों जिनमें ऐसे कलाकार आयोजित किये जायें जहां वे अपनी कला का प्रदर्शन करें क्योंकि विचार यह है कि इसमें जो कलाकार अच्छा प्रदर्शन करे उसे उच्च वर्ग में रखने के प्रश्न पर विचार किया जाये ।

अतः यह स्पष्ट है कि इन कलाकारों की छंटनी आदि का कोई भी प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। समस्या केवल उनका सुधार करने की है ताकि वह अपनी कला में योग्यता प्राप्त कर सकें और लोगों को भी उच्च स्तर का संगीत सुनने को मिल सके। वैसे भी 'ग' वर्ग के कलाकारों का कार्यक्रम तीन मास में केवल एक बार से ज्यादा नहीं आता। कभी कभी तो छः छः महीने तथा वर्ष में केवल एक बार ही उनको बुलाया जाता है। वह अपने जीवन यापन के लिये इस पर आश्रित नहीं रह सकते अतः किसी भी कठिनाई का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

प्रसारण संस्था होने के नाते आकाशवाणी का जनता के प्रति यह कर्तव्य है वह संगीत के कार्यक्रमों में एक उचित स्तर से नीचे न गिरे। जब निम्न स्तरों की निरंतर आलोचना होती रहेगी तब सुधार के लिये अवश्य ही कोई न कोई कार्यवाही करनी पड़ती है। वर्ग 'ग' के कलाकारों को अधिक समय कार्यक्रम न देने की यह प्रक्रिया सामान्य ही है और ऐसा समस्त स्टेशनों पर होता है—यह नहीं कि सिर्फ कलकत्ते में ऐसा हुआ है। जो कलाकार स्तर सुधारते रहते हैं उन्हें आगे बढ़ा दिया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अतः वर्ग 'ग' के कलाकारों की सूची में परिवर्तन करने को छंटनी का नाम देना गलत होगा। बल्कि आकाशवाणी ने तो समूह-गान कार्यक्रमों में इन कलाकारों को भाग लेने की अनुमति देकर इनके साथ भलाई की है। यदि खाली श्रोताओं की शिकायतों का ध्यान रखा जाता तो उन्हें बिल्कुल ही हटा दिया गया होता।

रेलवे डाक सेवा के तीन कर्मचारियों की हत्या के बारे में वक्तव्य

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : श्रीमान्, इससे पहले कि माननीय मंत्री वक्तव्य दें मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी प्रश्न पर मैं ने तथा श्री रघुनाथ सिंह ने अल्प-सूचना प्रश्न भी दिये हैं। अतः मैं यह प्रार्थना करता हूं कि माननीय मंत्री उनका उत्तर भी वक्तव्य के साथ दें।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि अल्प सूचना प्रश्न अभी गृहीत नहीं हुआ है और उसमें ऐसी बातें हुईं जिसका मंत्री महोदय उल्लेख नहीं करें तो मैं बाद में उनका उत्तर देने को कहूंगा।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : यह वक्तव्य रेलवे डाक सेवा के तीन कर्मचारियों की हत्या के बारे में है जिन्हें आगरा तथा टूंडला के बीच १२ मार्च १९५८ को ३ ए० टी० एफ० सवारी गाड़ी में मार दिया गया था।

सरकारी रेलवे पुलिस के सहायक मुख्य निरीक्षक ने जो तथ्य इस सम्बन्ध में बताये हैं वह यह हैं :—

जिस यात्री गाड़ी में यह दुर्घटना हुई वह आगरा छावनी से १२-३-१९५८ को १०-३० म० प० चली। रेलवे डाक सेवा का डिब्बा इंजन से पांचवा तथा गार्ड के डिब्बे से छटा था। राजा की मंडी के बाहरी सिगनल पर गाड़ी तीन मिनट रुकी और आगरा नगर के बाहरी सिगनल पर ३२ मिनट। दूसरे स्टेशनों पर सामान्य अवधि के लिये रुकी। टूंडला में गाड़ी १२-३० बजे रुकी जहां इस चोरी तथा हत्या का प्रथम बार पता चला। वहां डाक वाला डाक देने गया किन्तु डिब्बा भीतर से बन्द था। उस ने दरवाजा खटखटाया किन्तु अन्दर से कोई आवाज न आई। दूसरी ओर का दरवाजा भी रेलवे की चाबी से बन्द किया हुआ था। दरवाजा खुलवाया गया और पता चला कि डाक गार्ड भगवान सिंह तथा पोर्टर शिवशरण सिंह को छुरा घोंप कर मार दिया गया है। दूसरा पोर्टर माही लाल जो टूंडला रेलवे डाक सेवा का कर्मचारी था वह भी उस के पास के डिब्बे में कत्ल किया हुआ मिला। माही लाल ड्यूटी पर तो नहीं था किन्तु अपने साथियों के साथ टूंडला ११ बजे तक पहुंच जाने के लिये यात्रा कर रहा था।

सारे डाक के थैले बिखरे पड़े थे तथा बीमे किये गये पार्सलों तथा लिफाफों की चीजें गुम थीं। कुल मिला कर ३००० रुपये की हानि का अनुमान लगाया जाता है।

उत्तर प्रदेश सी० आई० डी० ने अनुसन्धान अपने हाथ में लिया है तथा जिला पुलिस उनकी सहायता कर रही है।

†**श्री ब्रज राज सिंह** (फ़िरोज़ाबाद) : क्या मुआवजा देने का आदेश दे दिया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो स्वाभाविक रूप से होना ही। माननीय मंत्री के वक्तव्य के बारे में श्री तंगामणि और श्री विट्ठल राव ने यह सुझाव दिया था कि उनके द्वारा पूछे गये अल्प-

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

सूचना प्रश्नों का भी उसमें उत्तर दे दिया जाये। यह सुझाव सभी मंत्रियों पर लागू होता है। मेरा यह सुझाव है कि भविष्य में जब कभी कोई मंत्री यहां किसी सूचना के दिये जाने पर वक्तव्य दें तो उसे यह ध्यान रखना चाहिये कि इस वक्तव्य में वे सारी बातें भी शामिल कर ली जायें, जो अल्प-सूचना या अन्य प्रश्नों में पूछी गई हों और जिनकी सूचना उस तारीख तक उनको मिल चुकी हो। उन्हें सिर्फ़ उन्हीं बातों को नहीं बताना चाहिये जो उनसे उस समय पूछी गईं हों। उन्हें वक्तव्य को यथा संभव विस्तृत बनाना चाहिये ताकि इसी विषय पर पूछे गये प्रश्नों का जवाब उसमें आ जाये।

†**श्री शाहनवाज खां** : अभी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इसी कारण हम ने संक्षेप से वक्तव्य दिया है ताकि पुलिस की कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

सरकारी भू-गृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा सरकारी भू-गृहादि (अनधिकृत क़ब्ज़ाधारियों का निष्कासन) विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपे जाने सम्बन्धी सहमति प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी। माननीय मंत्री अपना भाषण जारी रखें।

†**निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : श्रीमान्, मैंने जो कल प्रस्ताव रखा उसके बाद से लोक-सभा में माननीय सदस्यों ने पर्याप्त बातें कही हैं। कई लोगों ने विधेयक के उपबन्धों के सम्बन्ध में कई बड़ी मुख्य बातें कही हैं और कुछ ने बहुत छोटी छोटी बातें कही हैं। मैं विधेयक के कतिपय पहलुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। प्रकटतया कल जो बातें माननीय सदस्यों ने कही हैं मैं उन सब का उत्तर तो न दे सकूंगा और न ही इस अवस्था में यह आवश्यक है। जब यह विधेयक संयुक्त समिति को सौंपा जा रहा है जिसमें कि ४५ सदस्य होंगे तो सब को यह आशा रखनी चाहिये कि उन सब की बातों पर वहां पूरा पूरा ध्यान दिया जायगा। अतः अब मैं केवल कुछ ही मुख्य मुख्य बातों पर ध्यान दूंगा।

कल एक तो यह बात कही गयी थी कि यदि हम सब पहलुओं पर ध्यान दें तो शायद ऐसे विधेयक की आवश्यकता ही न रहे। वास्तव में एक माननीय सदस्य ने मेरे भाषण के पश्चात अपना विचार बदल लिया था और उन्होंने इस विधेयक की आवश्यकता को स्वीकार किया—मैं श्री भरूचा का उल्लेख कर रहा हूं। श्री दी० चं० शर्मा ने कहा कि हमें विधि का मार्ग इस प्रकार छोटा करके इस प्रकार की शक्तियां लेकर समस्याओं को जो हमारे सामने आती हैं सुलझाने के लिये कार्यवाही नहीं करनी चाहिये।

मैं समझता हूं कि कल मैं ने अपने भाषण में पर्याप्त आंकड़े तथा तथ्य दिये थे ताकि यह सिद्ध करूं कि यह समस्या भारी है और सरकारी भू-गृहादि से अवैध कब्ज़ाधारियों के निष्कासन के लिये विशेष शक्तियों की आवश्यकता है। मैं ने बताया था कि दस लाख की क्षति हुई है जिन की वसूली करनी है और कई सरकारी भवनों पर कलकत्ता तथा बम्बई में अनधिकृत कब्ज़ाधारी कब्ज़ा जमाये बैठे हैं और उससे पता चलता था कि यह समस्या बड़ी क्लिष्ट एवं कठिन है। कल मैंने एक और बात भी कही थी जो बड़ी महत्वपूर्ण है। मैंने बताया था कि दिल्ली में आज ९५०० अनधिकृत भवन हैं और उनमें १५००० लोग बैठे हैं। उन्हीं लोगों के लिये निर्माण कार्य तेज़ करने के लिये भी तो कुछ करना है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

इस विधेयक का सम्बन्ध अनधिकृत कब्जाधारियों के सरकारी भू-गृहादि से निष्कासन से ही नहीं है बल्कि किराये की वसूली से भी है। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसका उल्लेख कल मैं ने नहीं किया। जहां तक बकाया किराये की वसूली का प्रश्न है मैं यह बताना चाहता हूं कि विभिन्न मंत्रालयों ने १.४२ करोड़ रुपये की रकम लेनी है। यह रकम ऐसे लोगों से वसूल करनी है जो सरकारी भू-गृहादि पर कब्जा किये हुए हैं। राष्ट्रीय खजाने में धन की वृद्धि के लिये हम यह कार्यवाही उचित समझते हैं क्योंकि यह बकाये की रकम बहुत बड़ी रकम है।

अतः कोई यह नहीं कह सकता कि यह समस्या साधारण है। वास्तव में हमें बड़ी भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसी कारण हमें असाधारण शक्तियों की आवश्यकता है और हम अनधिकृत व्यक्तियों के निष्कासन के लिये तथा किराये की वसूली के लिये उपयुक्त व्यवस्था बनाना चाहते हैं। इस विधेयक की बड़ी जरूरत है। इसी कारण सरकार ने यह विधेयक यहां रखा है। हमें यह भी स्मरण रखना चाहिये कि गत लगभग बीस वर्षों से हमारे यहां कुछ ऐसी व्यवस्था चली ही आ रही थी। इस प्रकार के अधिकार सरकार प्रथम बार तो नहीं मांग रही है। काफी समय से इस प्रकार के अधिकारों की आवश्यकता महसूस होती रही है और सरकार को अधिकार देने के उद्देश्य से यह विधान प्रस्तुत किया गया है। हम सरकारी भू-गृहादि (निष्कासन) अधिनियम, १९५० के स्थान पर यह नया विधान क्यों लगा रहे हैं, यह मैंने कल अपने भाषण में बता दिया था। पिछले कुछ महीनों में हमारे देश के कुछ उच्च न्यायालयों ने यह मत प्रकट किया है कि इस अधिनियम के कुछ उपबन्ध संविधान के उपबन्धों के अनुकूल नहीं है। इस संबंध में मैं पहले ही सविस्तार बता चुका हूं और पुनः उसे कहने की आवश्यकता नहीं।

एक माननीय सदस्य द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि केवल इस कारण से हमें तुरन्त इस प्रकार के विधेयक को प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हमें विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों को उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत करके उसका निर्णय प्राप्त करना चाहिये था। यह युक्ति देखने में तो बड़ी सरल दिखाई देती है, परन्तु इसमें बहुत सी व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। उच्चतम न्यायालय में जाने के लिये हमें दो उच्च न्यायालयों की अनुमति प्राप्त करनी पड़ती उसके बाद इस मामले की तैयारी करनी पड़ती। उसके बाद उच्चतम न्यायालय सुनवाई के लिये तिथि निर्धारित करता। विधि मंत्रालय ने हमें परामर्श दिया कि इस विवादस्पद मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय प्राप्त करने में हमें दो वर्ष लग जायेंगे। इस हालत में हम दो वर्ष तक क्या करते? ऐसी स्थिति में कोई अन्य मार्ग नहीं था। जिन प्रयोजनों के लिये यह अधिनियम था उनकी पूर्ति इससे नहीं हो सकती थी अतः सभी मामले वर्षों तक पड़े रहते। अतः कलकत्ता उच्च न्यायालय और पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय के निर्णयों को मान कर हमने यह विधेयक प्रस्तुत किया है; इस विधेयक से उच्च न्यायालयों द्वारा बताई गयी अधिनियम की अनेक त्रुटियां दूर हो जायेंगी।

मेरा विचार है कि हम में से कोई भी यह नहीं समझता होगा कि सरकारी गृहादि पर अनधिकृत कब्जा करना कोई मूल अधिकार है और यदि अनधिकृत रूप से अधिकार करने वालों को हटाने के लिये कोई कार्यवाही की जाये तो वह देश के नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा। परन्तु कलकत्ता और पंजाब के उच्च न्यायालयों ने जो बात कही है वह यह है जब यह ठोस अधिकार देश के नागरिकों को प्राप्त है जैसाकि कल श्री पट्टाभिरामण ने भी कहा, तो सार्वजनिक हित के दृष्टिकोण से इस अधिकार पर समुचित प्रतिबन्ध रखा जाना चाहिये। और सार्वजनिक हित की बात तो सब को स्वीकार है। अब प्रश्न यह है कि यह मुनासिब प्रतिबन्ध क्या होना चाहिये। उच्च न्यायालय का, जिस का कि मैं ने उल्लेख किया है, कहना है कि इस अधिनियम द्वारा जो प्रतिबन्ध लगाये गये हैं वे मुनासिब नहीं हैं।

[श्री क० च० रर्डी]

प्रश्न यह था कि सदन के समक्ष एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया जाये, जोकि संसद् और प्रत्येक सम्बद्ध व्यक्ति की दृष्टि में ठीक हो। उस में मुनासिब प्रक्रिया हो और न्यायापालिक अधिकारियों के पास अपील की व्यवस्था हो और प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह सन्तोष रहे कि उस के मूल अधिकारों पर मुनासिब प्रतिबन्ध ही लगाये गये हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के बारे में भी कुछ कहा गया है। यह बात सत्य है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि विधेयक के उपबन्ध संविधान के अनुच्छेद १४ का उल्लंघन करते हैं और उन में भेदभाव की बात है। साथ ही अपने निर्णय में उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद ने यह भी कहा कि सरकारी भू-गृहादि से अनधिकृत कब्जाधारियों का शीघ्र और प्रभावशाली ढंग से निष्कासन बहुत ही प्रशंसनीय उद्देश्य है। और इस में कोई सन्देह नहीं कि सरकार आवश्यकता के समय अपनी सम्पत्ति पर शीघ्र कब्जा करना चाहती है। यह मूलभूत बात तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्वयं स्वीकार की है। आगे चल कर उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि इसी शीघ्रता की आवश्यकता के कारण सरकारी और गैरसरकारी भू-गृहादि के कब्जाधारियों में मुनासिब अन्तर रखा जाय। संविधान के अनुच्छेद १४ के बारे में कई बार उच्चतम न्यायालय ने अपनी व्यवस्था दी है। फरवरी १९५८ के एक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा है :

> "यह बात तो सुनिश्चित ही है कि अनुच्छेद १४ के अन्तर्गत कोई वर्गीय विधान नहीं बनाया जा सकता, परन्तु यह विधान के उद्देश्य से समुचित वर्गीकरण के विरुद्ध नहीं है। समुचित वर्गीकरण की कसौटी पर खरा उतरने के लिये दो शर्तें पूरी होनी चाहियें, अर्थात् (१) वर्गीकरण ऐसे स्पष्ट अन्तर पर होना चाहिये जो उस वर्ग से सम्मिलित तथा उस के बाहर की वस्तुओं या व्यक्तियों का स्पष्ट अन्तर कर सके (२) अन्तर का उस उद्देश्य के साथ, जिसे इस विधान द्वारा पूरा करना है, समुचित सम्बन्ध हो। वर्गीकरण भौगोलिक उद्देश्यों अथवा कब्जों इत्यादि के आधार पर किया जा सकता है, परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि विचाराधीन अधिनियम के लक्ष्य और वर्गीकरण के आधार में सम्बन्ध अवश्य होना चाहिये।"

आप देखेंगे कि सरकारी और गैरसरकारी भू-गृहादि के कब्जाधारियों के वर्गीकरण का स्पष्ट आधार है। और दोनों में जो अन्तर रखा गया है उस का वर्तमान विधेयक के उद्देश्य से न्यायसंगत सम्बन्ध है। इसलिये इस आधार पर निर्माण किये जा रहे इस विधान को इस आधार पर अवैध अथवा शक्तिपरस्तात् नहीं कहा जा सकता कि यह अनुच्छेद १४ के उपबन्धों का उल्लंघन करता है। यदि इस मामले को किसी गैर सरकारी सम्बद्ध पक्ष द्वारा या सरकारी तौर पर उच्चतम न्यायालय में ले जाना पड़ा, तो हम इस पर विचार करेंगे। अभी हमें यही परामर्श दिया गया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो मत प्रकट किया है उस में अधिक सार नहीं है।

इस विधेयक के प्रयोजन से बिल्कुल असम्बद्ध बहुत सी बातें माननीय सदस्यों ने शरणार्थियों की शोचनीय अवस्था के बारे में कही हैं। कहा गया है कि वे बहुत बुरी हालत में रह रहे हैं। यह भी कहा गया है कि शरणार्थियों को किसी सरकारी भू-गृहादि से निकालने से पूर्व उन्हें बदले में कोई अन्य स्थान दिया जाना चाहिये। जब तक उन्हें कोई दूसरा स्थान न दिया जाये तब तक उनको निष्कासित न किया जाये। यह भी कहा गया है कि पहले एक बार जब श्री गाडगिल द्वारा ऐसा ही एक विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा था तो संसद् को यह आश्वासन दिया गया था

कि 'अनधिकृत कब्जाधारी शरणार्थियों' का बेदर्दी से निष्कासन नहीं किया जायेगा। उनकी सुविधा का पूरा विचार रखा जायेगा और जहां तक संभव होगा उन्हें बदले में स्थान भी दिया जायेगा। और कुछ विशेष मामलों में मुआवजा भी दिया जायेगा। मेरे माननीय मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव और दो एक अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है कि सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों को कार्यान्वित नहीं किया गया। उनकी ओर ध्यान न देते हुये उन्हें समाप्त कर दिया गया है।

मेरा नम्र निवेदन है कि यह बात नितान्त असत्य है। मेरे समक्ष एक विवरण है, जिसमें उस समय के मंत्री महोदय द्वारा संसद को दिये गये विभिन्न आश्वासनों की सूची है। मैं उपलब्ध जानकारी के आधार पर कह सकता हूं कि उन सभी आश्वासनों को बहुत कुछ हद तक कार्यान्वित किया गया है। इस सम्बन्ध में मैं संसद् के कुछ मिनट लेकर, पढ़ कर सुनाना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाहियां की गई हैं ताकि संसद् का यह विचार न रहे कि आश्वासनों के सम्बन्ध में कुछ किया ही नहीं गया।

१९५२ के सर्वेक्षण में जिन लोगों का नाम सम्मिलित था उन सबको बदले में स्थान दिया गया। एक आवण्टन समिति बनाई गई थी। और उनकी सिफारिशों के अनुसार क्षेत्रों के आधार पर योजनायें बनी और कार्यान्वित हुईं। बदले में स्थान देते समय यह भी ध्यान रखा गया कि यथासंभव शरणार्थियों को उनके कारबार या नौकरी के स्थान के निकट ही बदले का स्थान दिया जाय। लगभग २७,७०० लोगों को पुनर्वास बस्तियों में बदले में जगह दी गई थी या पुनर्वास सहायता दी गई। नवम्बर, १९५५ में गिराये गये या गिराये जाने वाले मकानों और झोंपड़ियों के लिये प्रसादतः भुगतान किया गया। १५ लाख की नकद सहायता और १,६६,००० की मकान या झोपड़ी सहायता और ३३९००० रुपये की मकान सामग्री सरकार द्वारा दी गई। ऐसी इमारतों में जिनकी मरम्मत कराके म्युनिसपल उपविधियों के अनुकूल बनाया जा सकता था, उचित मरम्मत कराके उनके स्वामियों को दे दिया गया। प्रत्येक मामले का समिति ने सविस्तार परीक्षण किया था। नवम्बर, १९५५ में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 'न हानि न लाभ' के आधार पर धरना देने वालों को भूमि के आवण्टन के आदेश निकाले गये। गैर सरकारी भूमि पर काबिज किसी भी शरणार्थी ने सरकार से सहायता की प्रार्थना नहीं की। बकाया और क्षति की रकमों को बट्टे खाते डालने के मामलों में तो श्री गाडगिल के आश्वासनों से भी कहीं अधिक सहायता दी गई। श्री गाडगिल के आश्वासनों का पूरा ध्यान रखा गया और उन्हें समुचित ढंग से कार्यान्वित किया गया। संसद् की आश्वासन समिति ने इस मामले का अच्छी तरह निरीक्षण किया और दिसम्बर, १९५६ में उसने अपना मत दिया कि श्री गाडगिल के आश्वासनों को पूरी तरह कार्यान्वित किया गया है। इस हालत में यह कहना कि आश्वासन पूरे नहीं किये गये कोई अच्छी बात प्रतीत नहीं होती।

हमसे पूछा गया कि इस अवसर पर भी क्या कुछ आश्वासन दिये जायेंगे ? मुझे इन लोगों की स्थिति से पूर्ण सहानुभूति है। सरकार के किसी व्यक्ति के हृदय में इन लोगों के प्रति सहानुभूति का अभाव नहीं है। यही कारण है कि काफी बड़े पैमाने पर इमारतें बनाई जा रही हैं और पुनर्वास कार्य किया जा रहा है। यह भी प्रयत्न किया जा रहा है कि लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करके कल्याणकारी राज्य की दिशा की ओर प्रगति की जाये। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है मैं इस समय इसे नहीं लेना चाहता। मेरा निवेदन है कि गत कुछ वर्षों में पुनर्वास मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों ने इन बेचारे अभागे शरणार्थियों को बसाने के लिये बड़े पैमाने पर अनेक बस्तियां बसाई हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने कई आवास योजनाओं को भी कार्या-

[श्री क० च० रेड्डी]

न्वित किया। और जैसा कि सदन को पता है कि सरकारी अधिकारियों के लिये भी काफी इमारतें बनाई जा रही हैं। इसके अलावा, कई औद्योगिक बस्ती योजनाओं को भी कार्यान्वित किया गया; मेरा तात्पर्य सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजनाओं, अल्प आय वर्ग आवास योजनाओं, गन्दी बस्तियां साफ करने की योजनाओं और बागान श्रम आवास योजनाओं से है। यह कहना उचित नहीं कि सरकार इस गहन समस्या को उपेक्षा की दृष्टि से देख रही है, और स्थिति को सम्भालने के लिये समुचित और सन्तोषजनक कदम नहीं उठा रही है। यह तो ठीक ही है कि यह समस्या पांच अथवा दस वर्षों में पूरी नहीं की जा सकती। इसे तो भ्रान्त आत्मतुष्टि की भावना के बिना, जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिये, आगे बढ़ाते ही रहना चाहिये।

यह सब किया जा रहा है। परन्तु यदि आप यह कहें कि मैं आपको इस सम्बन्ध में यह आश्वासन दूं कि प्रत्येक अनधिकृत कब्जाधारी के निष्कासन के मामले में बदले में स्थान अवश्य दिया जायेगा, तो यह मेरे लिये संभव नहीं। मैं यह जिम्मेदारी नहीं ले सकता। और न ही मैं इस प्रकार का कोई उपबन्ध विधेयक में सम्मिलित करता हूं कि इस प्रकार की कोई सहायता अवश्य दी जायेगी। विधेयक के विभिन्न उपबन्धों के सम्बन्ध में विभिन्न बातें कही गई हैं। एक मुख्य बात विधेयक की व्याप्ति के सम्बन्ध में कही गई है। एक प्रश्न पूछा गया है कि दिल्ली विकास प्राधिकार के अधिकार वाले या उसके द्वारा ठेके पर दिये गये भू-गृहादि को और दिल्ली नगर-पालिका निगम व अनुसूचित क्षेत्र समिति के भू-गृहादि को इस विधेयक के अन्तर्गत क्यों ले लिया गया है? यह बात सत्य है कि इस विधेयक का उद्देश्य विशेष तौर पर केन्द्रीय सरकार के भू-गृहादि से अनधिकृत कब्जाधारियों को निकालना है। केवल दिल्ली के लिये यह अपवाद है अन्य स्थानीय निकायों की सम्पत्तियों को इस विधेयक के अन्तर्गत नहीं लिया गया है।

दिल्ली में, इमारतें बनाने का विशाल कार्यक्रम है, और इसका विस्तार भी हो रहा है। माननीय सदस्यों को पता है कि दिल्ली को सुयोजित और समुचित ढंग से विकसित करने के लिये हमें विभिन्न प्राधिकारों का निर्माण करना पड़ा है। अभी हाल ही में संसद् ने दिल्ली विकास प्राधिकार अधिनियम पारित किया था। उसके कई एक उपबन्धों से तो माननीय सदस्य परिचित हैं ही। यदि दिल्ली विकास प्राधिकार को कहीं नया उपनगर या नई बस्ती बसाने के लिये या अपने कार्य के लिये कुछ भूमि आदि की आवश्यकता होगी, तो उस भूमि को अदालतों इत्यादि द्वारा प्राप्त करने में वर्षों लग जायेंगे। आप सोच सकते हैं कि इससे दिल्ली के विकास पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसीलिये दिल्ली की विशेष स्थिति स्वीकार करके उसे इस विधयक के उपबन्धों के अधीन रखा गया है।

यह भी कहा गया है कि विधेयक के अन्तर्गत हम जो सम्पदा अधिकारी नियुक्त करेंगे, वे योग्य व्यक्ति सिद्ध नहीं होंगे वे तानाशाही ढंग से अपनी जिम्मेदारियां निभायेंगे और मनमाने ढंग से अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे। इस भय का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता। ये सम्पदा अधिकारी गजटेड अधिकारी होंगे और उन्हें अपने कर्तव्यों का पूरा ज्ञान होगा। और इस सम्बन्ध में प्रक्रिया को बहुत स्पष्ट कर दिया जायेगा। विधेयक के विभिन्न उपबन्धों में प्रक्रिया निश्चित कर दी गई है और उसी के अनुसार कार्य करना होगा। तानाशाही ढंग से कार्य करने का प्रश्न तो पैदा ही नहीं होता।

एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि सम्पदा अधिकारी नियम भी बना सकता है। यह नितान्त गलत बात है। वह ऐसा नहीं कर सकता। वास्तव में, विधेयक के खण्ड १३ के अन्तर्गत नियम बनाने का अधिकार सरकार का है, और वे सब संसद के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे

संसद् ३० दिन तक उन पर विचार कर सकती है और उचित समझे तो उनमें परिवर्तन भी कर सकती है। अन्य बात जो मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं यह है कि इन सम्पदा अधिकारियों के ऊपर भी सरकारी अफ़सरों का नियंत्रण है। ऐसी बात नहीं है कि उन पर कोई नियंत्रण नहीं होगा और वे जो चाहेंगे करते रहेंगे। इसके साथ ही यह संरक्षण भी है कि इन सम्पदा अधिकारियों के निर्णयों के विरुद्ध अपील भी हो सकती है। और असन्तुष्ट व्यक्ति न्यायपालिका अधिकारी के पास न्याय के लिये जा सकता है। इस प्रकार के यह सब संरक्षण मौजूद हैं। अतः यह कहना कि सम्पदा अधिकारी मनमानी करेंगे, निराधार बात है।

एक प्रश्न और भी पूछा गया था कि यह सम्पदा अधिकारी, राजस्व अधिकारियों का काम भी करेंगे। इस सम्बन्ध में "स्वेच्छाचारी अधिकारी" का शब्द प्रयोग किया गया है। मेरा कहना है कि ऐसा नहीं है। वह तो केवल प्रमाणपत्र देगा और कागजात को राजस्व अधिकारी या जिलाधीश के पास भेज देगा। यह जिम्मेदारी राजस्व अधिकारी की है कि उस पर कोई समुचित कार्यवाही करे। इसलिये ये सब धारणायें गलत हैं कि ये अधिकारी अयोग्य होंगे, मनमानी करेंगे और अपने काम को ठीक ढंग से नहीं करेंगे।

नोटिस देने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में कुछ सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि ढोल बजा कर अथवा दरवाजे पर चपकाने के अतिरिक्त सम्बन्धित या मुख्य व्यक्ति को डाक द्वारा अथवा अन्य उपलब्ध ढंग द्वारा भी नोटिस देना चाहिये। उस पर यह कहा गया है कि यह करना न करना तो सम्पदा अधिकारी के स्वविवेक पर निर्भर होगा। परन्तु यदि आपको अनधिकार कब्जाधारियों का पता ही न हो या उनका पता लगाया ही न जा सकता हो तो क्या किया जा सकता है। हमें वहां जाकर किसी प्रकार नोटिस तो देना ही है। परन्तु यदि हमें पता हो कि वह अमुक व्यक्ति हैं तो उन्हें लिखित नोटिस अवश्य दिये जायेंगा। इसलिये यह सब संरक्षण है जो कि विधेयक में दिये गये हैं।

मैं प्रक्रिया सम्बन्धी उपबन्धों का उल्लेख नहीं करूंगा, इसमें काफी समय लग जायेगा, मैं पहले ही अपना समय समाप्त कर चुका हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि उन सभी संदेह की बातों के सम्बन्ध में जिनका कि हमारे माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है, सरकार खण्ड १३ के अन्तर्गत विस्तृत नियम बनायेगी। संयुक्त समिति भी इस पर विचार कर अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकती है। इन नियमों को, जैसा कि मैंने अभी बताया है, संसद् के समक्ष रखा जायेगा और वह ३० दिन तक इस पर विचार कर सकेगी और उनमें आवश्यक परिवर्तन भी कर सकेगी। इसलिये इस सम्बन्ध में मेरे माननीय मित्र श्री दी० चं० शर्मा को जो मूल आपत्ति थी, उसमें कोई वास्तविक सार नहीं है।

सदन में आने वाले प्रत्येक विधेयक के लिये इस प्रकार के अधीनस्थ विधान की व्यवस्था करनी पड़ती है। यह इस विधेयक की कोई नवीनता नहीं है। जो नियम बनते हैं वह रोजाना प्रयोग और प्रशासन के प्रयोजन से बनाये जायेंगे। हमने इन मामलों को अधीनस्थ विधान पर छोड़ दिया है तो इस बात पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

अब और मामलों पर समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं। जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा था कि सविस्तार सुझाव प्रस्तुत किये गये थे और उनमें से बहुत से बड़े लाभदायक हैं। संयुक्त समिति उन पर सविस्तार विचार करेगी और उन सब पर खूब ध्यान देगी। मुझे आशा है कि संयुक्त समिति से वापस आने पर यह विधेयक इतने सुधरे रूप में होगा कि वाद विवाद में इसकी आलोचना करने वाले माननीय सदस्य भी आसानी से इसे स्वीकार कर लेंगे।

[श्री क० च० रेड्डी]

इन शब्दों से मैं सभा से सिफारिश करता हूं कि इस सहमति प्रस्ताव को स्वीकार किया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य-सभा की १२ मार्च, १९५८ की बैठक में स्वीकृत तथा इस सभा को १४ मार्च, १९५८ को संमुचित प्रस्ताव में की गई इस सिफारिश से सहमत है कि यह सभा सरकारी भू-गृहादि (अनधिकृत क़ब्ज़ाधारियों का निष्कासन) विधेयक, १९५८ के बारे में दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और यह संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में काम करने के लिये लोक-सभा के निम्नलिखित सदस्य नामनिर्देशित किये जायें :—

श्री नि० वि० माईति, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्री नवल प्रभाकर, श्री विश्वनाथ रेड्डी, श्री रामी रेड्डी, श्रीमती मफीदा अहमद, श्री झूलन सिंह, श्री भीला राउत, श्री छ० म० केदरिया, सरदार अ० सि० सहगल, श्री शंकर पांडियन, श्री शिवनंजप्पा, श्री अजित सिंह सरहदी, श्री शोभा राम, श्री सं० अ० मेंहदी, श्री बाल्मीकी, श्री सिंहासन सिंह, श्री पद्म देव, श्री राने, श्री पाणिग्रही, श्री कोडियान, श्री मोहन स्वरूप, श्री ब्रजराज सिंह, श्री सुबिमन घोष, श्री जयपाल सिंह, श्री महन्ती, श्री बाजपेयी, श्री दातार, श्री अनिल कु० चन्दा और श्री क० च० रेड्डी ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सामान्य आय व्ययक—अनुदानों* की मांगें

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांग संख्या १, २, ३, ४, ५ और १०६ पर चर्चा होगी । इसके लिये ६ घंटे का समय निर्धारित किया गया है ।

इन विभिन्न मांगों पर बहुत से कटौती प्रस्ताव हैं । जो माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं वे कृपया उन प्रस्तावों की संख्या १५ मिनट के अन्दर सभा पटल पर दे दें जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं । यदि वे माननीय सदस्य यहां उपस्थित हुये और उनके प्रस्ताव अन्यथा नियमानुकूल हुये तो मैं उन्हें प्रस्तुत करने को कहूंगा ।

भाषणों के लिये दलों के नेताओं को २०से३० मिनट दिये जायेंगे और अन्य सदस्यों को १५मिनट।

वर्ष १९५८–५९ के लिये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सम्बन्ध में निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१.	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	६०,८९,०००
२.	उद्योग	२४,६६,७४,०००
३.	नमक . .	१,४४,८७,०००
४.	वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े . . .	७३,१६,०००
५.	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	१,७४,७५,०००
१०६.	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय . .	११,८६,०७,०००

†मूल अंग्रेजी में

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत की गई

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : हमारी योजना की सफलता और असफलता का सारा दारोमदार वित्त मंत्रालय और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय पर ही है । लेकिन वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय अपने इस दायित्व के प्रति सतर्क नहीं है। अभी तक हमें वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूरा प्रतिवेदन नहीं मिला है, केवल सारांश ही दिया गया है ।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : एक प्रतिवेदन हमेशा मांगों की चर्चा से पहले रख दिया जाता था लेकिन इस बार मांगें निर्धारित समय से कुछ पहले प्रस्तुत कर दी गई हैं । प्रतिवेदन का समय ऐसा ही रखा गया कि वह मांगों की निर्धारित तिथि से पहले सुलभ हो सके । प्रतिवेदन अभी प्रैस में है । इसीलिये यह सारांश प्रस्तुत किया गया है ।

†**श्री प्रभात कार** : यह क्रम बदला जा सकता था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री को ध्यान रखना चाहिये कि भविष्य में सामान्य चर्चा के पहले ही सभी प्रतिवेदन माननीय सदस्यों को मिल जायें । प्रतिवेदनों के बिना, सामान्य चर्चा उपयोगी भी नही हो सकती । सभी माननीय मंत्रियों को इसका ध्यान रखना चाहिये ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : अगले वर्ष ऐसी भूल नहीं होगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यही नहीं, बल्कि मैं चाहता हूं कि सभी मंत्रालयों के प्रतिवेदन माननीय सदस्यों को मांगों की सामान्य चर्चा से काफ़ी पहले मिल जाने चाहियें जिस से कि वे उसका अध्ययन भी कर सकें ।

†**श्री प्रभात कार** : वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री मंत्रालय के सम्बन्ध में चर्चा करते समय हमारा ध्यान सब से पहले विदेशी मुद्रा के संकट की ओर भी जाता है । यह संकट वाणिज्य मंत्रालय की लापरवाही का ही नतीजा है ।

वाणिज्य मंत्रालय ने विदेशी मुद्रा के लिये कोई भी एक योजना बनाकर काम नहीं किया है । १९५६ में बड़ी उदारता से अनुज्ञप्तियां दी गई थीं और अब कहीं जाकर उस पर प्रतिबंध लग रहे हैं । वाणिज्य मंत्रालय ने अभी तक, विदेशी मुद्रा के नियंत्रण की कोई व्यवस्था नहीं की थी । उसे यह भी मालूम नहीं है कि कितनी अनुज्ञप्तियों का उपयोग हो रहा है और कितनों का नहीं ।

माननीय मंत्री ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए सभा में कहा था कि सरकार स्वीकृत आयात अनुज्ञप्तियों का फर्मवार या समवायवार लेखा नहीं रखती । उन्होंने यह भी स्वीकार किया था कि १९५६ और १९५७ में आयात के लिये जारी की जाने वाली कुल अनुज्ञप्तियों के बारे में सूचना अभी संग्रह की जा रही है । हमारी अर्थ-व्यवस्था योजना-पूर्ण है, लेकिन मंत्रालय ने फिर भी वास्तविक स्थिति का पता लगाने का प्रयास नहीं किया है । विदेशी मुद्रा का संकट इसी कारण उत्पन्न हुआ है ।

हम एक ओर तो विदेशी मुद्रा के संकट की गुहार मचाते हैं और दूसरी ओर अनावश्यक वस्तुओं के आयात के लिये अनुज्ञप्तियां मंजूर करते जाते हैं । मंत्रालय ने १९५६ में जर्मन सिलवर के बर्तनों के आयात के लिये भी अनुज्ञप्तियां मंजूर की थी । क्या योजना की पूर्ति के लिये वे आवश्यक हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्रभात कार]

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने घड़ी बनाने के उद्योग को कोई भी प्रोत्साहन नहीं दिया है। हमारे देश में यह उद्योग है ही नहीं। लेकिन, दूसरी ओर घड़ियों के आयात पर प्रतिबन्ध लग जाने के कारण घड़ियों का तस्कर व्यापार होने लगा है, और सरकार को राजस्व की और विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है।

योजना-काल में भी २ से ३ करोड़ रुपये के मूल्य की शराबों, मोतियों और प्रसाधन सामग्री का आयात हुआ है। और यह भी एक ऐसे काल में जब कि विदेशी मुद्रा की भारी कमी है। इन वस्तुओं का आयात १९५५-५६ और १९५६-५७ में भी हुआ है। लगभग ३० करोड़ रुपये के मूल्य के रेशमी वस्त्रों, सिगारों और सिगरेटों का भी आयात हुआ है।

एक ओर तो विलास की वस्तुओं के आयात की मंजूरी दी जाती है, और दूसरी ओर जनता से योजना के लिये त्याग करने को कहा जाता है।

भारतीय औद्योगिक प्रतिनिधि मंडल ने सितम्बर से नवम्बर १९५७ तक अमरीका, कनाडा और अन्य देशों का दौरा किया था। उस ने कहा है कि विदेशी पूंजी के बिना भारत का विकास नहीं किया जा सकता और हमें अगले २५ वर्ष तक तो काफ़ी विदेशी पूंजी की आवश्यकता बनी ही रहेगी।

लेकिन चीन को देखिये। उस ने सात या आठ वर्षों में ही केवल १,०५९ करोड़ रुपये के विदेशी ऋणों की सहायता से इतनी अच्छी प्रगति कर ली है। चीन ने अपने विदेशी मुद्रा के संकट पर भी पार पा लिया है। जब कि चीन की जनसंख्या हम से ड्योढ़ी है। इसी संबंध में श्री पी० सी० महालनोबिस ने लिखा है कि चीन के उदाहरण से यह सिद्ध हो जाता है कि भारत भी कुछ सौ करोड़ विदेशी मुद्रा की सहायता से ही वे बुनियादी उद्योग खड़े कर सकता है, जो उसे आर्थिक रूप में स्वतंत्र बना देंगे।

हम कुछ इस तरह से बातें करने लगे हैं जैसे योजना के लक्ष्यों को पूरा करना असम्भव ही है। लेकिन, श्री चिन्तामणि देशमुख ने स्वयं ही स्वीकार किया है कि अनुज्ञप्तियों की मंजूरी के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था। यह कार्य केवल कुछ व्यक्तियों का ही है। हमें इस की जांच करानी चाहिये कि विदेशी मुद्रा का यह संकट इस प्रकार पैदा करने का दायित्व किन लोगों पर है। हमें इसकी जांच करानी चाहिये कि टी० टी० कृष्णमाचारी एण्ड सन्स् नामक समवाय की वित्तीय स्थिति आज क्या है और आज से छः-सात वर्ष पहले क्या थी। कम्युनिस्ट पार्टी पर योजना की तोड़ फोड़ का लांछन लगाते जाने से कुछ भी नहीं बनेगा।

हम पिछले कई वर्षों से इस बात पर जोर देते हैं कि राज्य को व्यापार करना चाहिये। अब कहीं जाकर सरकार ने उसे माना है। लेकिन, उसकी स्थिति क्या है?

बिरला के समवाय प्रतिवर्ष ८० करोड़ रुपये का व्यापार करते हैं, जब कि राज्य व्यापार निगम का व्यापार केवल १० करोड़ रुपये का ही रहता है। हमारे जैसे विशाल देश में इतने से व्यापार से क्या लाभ हो सकता है?

चाय उद्योग की हालत देखिये। भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने अपने एक ज्ञापन में बताया है कि संसार भर में चाय का जितना निर्यात होता है उसका आधे

से अधिक इंगलैंड में ही खप जाता है और इसलिये संसार व्यापी पैमाने पर चाय का मूल्य लन्दन में निर्धारित होता है। भारत में जितनी भी चाय खपती है, उस का ७० प्रतिशत केवल चार बड़ी बड़ी व्यावसायिक संस्थाओं के हाथ में है।

योजना की पूर्ति के लिये जरूरी है कि इस एकाधिकार को समाप्त किया जाये। चाय के निर्यात पर केवल राज्य व्यापार निगम का ही नियंत्रण रहना चाहिये। १९५६-५७ में जितनी भी चाय बिकी थी उसका ९५.८५ प्रति शत चाय ब्रिटिश समवायों का ही था, भारतीय समवायों ने कुल मिलाकर ४.१५ प्रतिशत की ही बिक्री की थी। इन चार ब्रिटिश समवायों ने चाय की दलाली में ही १ करोड़ २५ लाख रुपये कमाये थे। यदि राज्य व्यापार निगम इसका नियंत्रण करे, तो हमें इस के निर्यात से विदेशी मुद्रा मिल सकती है। इस के अलावा, चाय का विदेशी बाजार भी हमारे हाथ से निकल रहा है, क्योंकि हम सब से अच्छी चाय का निर्यात नहीं कर रहे हैं। राज्य व्यापार निगम ने इसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया है। चाय हमारी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के लिये बहुत महत्व रखती है।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने राष्ट्रीय छोटे उद्योग निगम को भी कोई अधिक सहायता नहीं दी है। अभी हम पूंजीगत वस्तुओं का आयात तो कर रहे हैं, पर भारत में ही मशीनों के हिस्से, पुर्जे बनाने के सम्बन्ध में क्या किया गया है? १९३९ से १९४६ तक के काल में ऐसे पुर्जे भारत में ही तैयार किये जाते थे और वे आयात किये जाने वाले पुर्जों से किसी बात में कम नहीं थे, लेकिन सरकार ने हावड़ा, वैलजली रोड़ और अन्य स्थानों के इन उद्योगों को कोई भी बढ़ावा नहीं दिया है। मंत्रालय को इसकी जांच करनी चाहिये।

हम ने तैयार वस्त्रों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। अब देश स्वतंत्र हो जाने के बाद तो उन के लिये विदेशी बाजार पाना और भी आसान हो गया है। इन का निर्यात बन्द कर देने से हमारे कई हज़ार दर्जियों का काम छिन गया है। मंत्रालय को इस सम्बन्ध में भी कुछ करना चाहिये।

हमने समवाय विधि का संशोधन तो कर दिया है, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। समवाय विधि प्रशासन विभाग को वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन क्यों रखा गया है? अच्छा तो यह हो इस के लिये वित्त मंत्रालय में एक विशेष विभाग खोल दिया जाये।

लेकिन, वह आज वाणिज्य मंत्रालय के अधीन ही है। लेकिन उस के काम का अनुमान तो मूंदड़ा के मामले से ही लगाया जा सकता है। इन समवायों की ओर १९५५ में ही मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया गया था, लेकिन मंत्रालय हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा था। यदि यह मंत्रालय सचमुच पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने में दिलचस्पी रखता है, तो इसे निजी और सरकारी समवायों की कार्यवाहियों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिये।

निजी उद्योगपति अब कहने लगे हैं कि उन्होंने तो पहले ही कहा था कि योजना पूरी करना सम्भव नहीं होगा और विदेशी मुद्रा का संकट आयेगा। यह इसीलिये कि सरकार ने योजना की कार्यान्विति में गलतियां की हैं। निजी उद्योगपति तो चाहते ही हैं कि द्वितीय

[श्री प्रभात कार]

पंचवर्षीय योजना असफल हो जाये, लेकिन वाणिज्य मंत्रालय को तो उन के हाथों में नहीं खेलना चाहिये ।

†**श्री विमल घोष** (बैरकपुर) : अभी भी विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में हमारी स्थिति संतोषजनक नहीं है । हां, उस में कुछ सुधार अवश्य हुआ है, और वह भी इन कारणों से--- एक तो विदेशी सहायता, और दूसरे आस्थगित भुगतान के आधार पर किये गये आयातों, और तीसरे आयात सम्बन्धी प्रतिबन्धों के कारण ।

इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि हमारी स्थिति बिलकुल सुधर ही गयी है । ये सभी उपाय तो कुछ समय के लिये काम-चलाऊ रूप में ही अपनाये जा सकते हैं । हम हमेशा के लिये तो विदेशी सहायता पर आश्रित नहीं रह सकते । विदेशी ऋणों के रूप में मिलने वाली इन निधियों को उत्पादक विनियोजनों में लगाना चाहिये, जिस से कि उनकी अदायगी भी हो सके और हमारे देश में पूंजी निर्माण की क्रिया भी आरम्भ हो जाये । कल माननीय मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि इन निधियों का उत्पादन ढंग से ही उपयोग किया जा रहा है । हमें यह समझ लेना चाहिये कि केवल उत्पादक उपभोग करना एक बात है और ऐसा उत्पादक करना दूसरी बात है जिस से हमारा उत्पादन उपभोग से अधिक हो जाये । हमें अतिरिक्त उत्पादन का निर्यात करना चाहिये ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

हमें कुछ ऐसी वस्तुओं का निर्यात करना चाहिये, जिस से इन ऋणों की अदायगी के लिये विदेशी मुद्रा भी मिल सके। इसलिये, हमें निर्यात योग्य वस्तुओं का अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करना चाहिये ।

यदि अगले तीन या चार वर्षों में हमारे भुगतान-संतुलन की स्थिति में कोई बड़ा सुधार नहीं होता, तो हम आयातों का आस्थगित भुगतान भी नहीं कर सकेंगे । क्या तीन या चार वर्षों में हमारा देश यथेष्ट अतिरिक्त निर्यात करने में सफल हो जायेगा ?

भुगतान संतुलन का आधार व्यापार संतुलन ही होता है । लेकिन, हमारा व्यापार संतुलन संतोषजनक नहीं है । इतने अधिक प्रयास के बाद भी, विभिन्न शुल्कों के कारण हमारे निर्यात में कोई वृद्धि नहीं हुई है । इतना ही नहीं, अप्रैल-सितम्बर १६५६ की तुलना में अप्रैल- सितम्बर १६५७ में हमारे निर्यातों में २१ करोड़ रुपये के निर्यात की कमी हो गई है ।

इसका कारण बताया जाना चाहिये कि निर्यात-संवर्धन के इतने प्रयासों के बाद भी हमारे निर्यातों में कमी होती जा रही है । कहा जा सकता है कि मंदी का प्रभाव पड़ा है, लेकिन हमें यह पहले से सोच लेना चाहिये था । कोरियाई युद्ध के समय व्यापार की शर्तें हमारे लिये अनुकूल थीं ।

---

† मूल अंग्रेजी में

यह तो सही है कि देश के विकास के लिये आयात करना ही पड़ेगा। लेकिन हमें उस परिस्थिति का सामना करने के लिये तैयार रहना चाहिये। हमारे देश में मुद्रा-स्फीती के कारण देश की आंतरिक खपत बढ़ती जा रही है। इसलिये आवश्यक है कि हम अपने देश में खपत से अधिक उत्पादन करने का प्रयास करें, और अतिरिक्त उत्पादन को निर्यात में लगा दें। हम ने यह नहीं किया है और इसलिये यह संकट पैदा हो गया है।

सरकार ने इसके लिये आयातों में भारी कटौती कर दी है। लेकिन इस से निर्यातों में वृद्धि नहीं हो सकेगी। उस के लिये तो हम अतिरिक्त उत्पादन ही करना चाहिये। पिछले वर्ष हम ने उपभोग वस्तुओं की अपेक्षा पूंजीगत वस्तुओं का आयात कहीं अधिक किया है।

हमें यह भी महसूस करना चाहिये कि गत दो या तीन या चार वर्षों में भी हमारे निर्यात व्यापार के ढ़ंग में कोई परिवर्तन नहीं आया है। अभी भी हमारे यहां से मुख्यतया चाय, जुट और सूती कपड़े का ही निर्यात होता है। गत डेढ़ वर्ष में चाय और जूट के निर्यात में कमी हो गई है। सूती कपड़े के निर्यात में हम कोई वृद्धि नहीं कर पाये हैं। अब अन्य कम विकसित देशों में भी उद्योग विकसित होने के कारण निर्यात की कुछ सम्भावनायें घट गई हैं।

अब अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की हालत बदल रही है। हम निर्यातों में अधिक संवर्धन नहीं कर सकेंगे। इसलिये हमें आयात में कटौती कर के नहीं, बल्कि अपने देश में अतिरिक्त उपभोग वस्तुओं का उत्पादन और उनका निर्यात बढ़ाकर ही इस परिस्थिति का सामना करना चाहिये। आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का यही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। निर्यात के लिये अतिरिक्त उपभोग वस्तुयें नहीं मिलती।

इस नीति का दूसरा बुरा प्रभाव यह पड़ता है कि उपभोग वस्तुओं का आयात प्रतिबन्ध कर देने से देश के उन उद्योगों को बड़ी हानि होती है जो मुख्यतः आयातित कच्चे माल पर ही निर्भर रहते हैं। इस से उत्पादन में कमी होती है और बेरोजगारी बढ़ती है।

औद्योगिक विकास की हमारी योजना त्रुटिपूर्ण रही है, नहीं तो आयातों को प्रतिबन्धित करने के बाद, आयातों पर निर्भर रहने वाले उद्योगों को निर्यात संवर्धन के लिये प्रयुक्त किया जा सकता था।

इस संकट से उबरने का एक रास्ता यही है कि हमारा भुगतान संतुलन सामान्यतया संतुलित रहना चाहिये। यदि भुगतान-संतुलन संतुलित नहीं होगा, तो घाटे का अर्थ व्यवस्था से देश के विकास में सहायता नहीं मिल सकेगी। यह एक अनिवाय आर्थिक नियम है। इस लिये हमें यह देखना चाहिये कि हम इस के लिये अब कितना और कर सकते हैं। परम्परागत निर्यातों के संवर्धन से हमारी समस्या हल नहीं होगी। उस से तो हम सदा ही आयातों के लिये विदेशी सहायता के लिये निर्भर बने रहेंगे।

हमारे देश में पूंजीगत वस्तुओं के अलावा भी ५५० करोड़ से ६०० करोड़ रुपयों की अन्य वस्तुओं का आयात होता है। ऋणों की अदायगी के लिये हमें १०० से १५० करोड़ रुपयों की आवश्यकता पड़ेगी ही। फिर, पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिये क्या गुंजाइश रह जायेगी ? उस के लिये हमें विदेशी सहायता पर ही आश्रित रहना पड़ेगा। इसलिये उचित यही है कि हम अतिरिक्त उत्पादन करके ही निर्यात संवर्धन का प्रयास करें।

[श्री विमल घोष]

हम अभी तक अर्द्ध-औद्योगिककृत देश ही बन पाये हैं। हम अपनी औद्योगिक रूप से पूरी तरह विकसित देश नहीं हैं। इसलिये हमें उपभोग वस्तुओं के निर्यात को भी विकसित करने का प्रयास करना चाहिये।

सब से पहले तो हमें खाद्यान्नों के मामले में आत्म-निर्भर बनना चाहिये। हम अभी खाद्यान्नों का निर्यात नहीं कर सकते, लेकिन राज्य व्यापार निगम द्वारा कच्ची धातुओं और खनिजों के निर्यात में वृद्धि तो की जा सकती है।

हमने अभी तक जो नीति अपनाई है, उस से संकट ही पैदा होगा। सही नीति यही होगी कि अतिरिक्त निर्यात में वृद्धि की जाये। निर्यात के क्षेत्र में योजना का पुनरीक्षण किया जाना चाहिये।

†**श्री हेडा** (निज़ामाबाद) : सूती कपड़ा उद्योग से संबंधित उत्पादन शुल्क में जो कमी की गई है, उस के लिये सारा देश माननीय मंत्री का कृतज्ञ है।

इस से सूती कपड़े का उपभोग भी बढ़ेगा और मज़दूरों को अधिक रोज़गार भी मिल जायेगा।

सूती कपड़ा उद्योग के इस संकट से यह तो पता चल ही गया है कि उस उद्योग की कौन सी इकाइयां कार्य-क्षम हैं और कौन सी नहीं। इसका दायित्व सरकार पर ही है कि जो सक्षम इकाइयां नहीं है उन की ओर उचित ध्यान दे और उन्हें आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर बनने में सहायता दे।

हमारे देश के अर्थ-व्यवस्था में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल का फैडरेशन बड़े बड़े पूंजीपतियों का प्रतिनिधित्व करता है। लोक तंत्र के लिये आवश्यक है कि हम उस के साथ भी विचार-विमर्श करें और फिर उस के बाद ही पूरे देश के लिये उचित नीति निर्धारित करें।

हमें लोक-सभा में भी बड़े बड़े पूंजीपतियों का एक प्रतिनिधि लाना चाहिये था। उन के विचार सुनने में कोई हर्ज नहीं है।

लेकिन अब बड़ बड़े पूंजीपतियों और उद्योगपतियों ने इस फैडरेशन को एक अच्छा मंच बना लिया है और वे वहां से अपना दृष्टिकोण रख सकते हैं। सरकार को भी उन के दृष्टिकोण का पता लग सकता है। उस के बाद सरकार उचित नीतियां निर्धारित कर सकती है।

इस वर्ष भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल के फैडरेशन ने अपनी वार्षिक बैठक में सरकारी क्षेत्र की बड़ी आलोचना की है।

इस वर्ष फेडरेशन ने एक और भी नई चीज की है। उस ने इस वर्ष एक विशेष आयोजन किया था। एक विशेष बैठक में वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री को भी आमंत्रित किया गया था। अच्छा हो यदि वे विरोधी दल के कुछ सदस्यों को उस विशेष बैठक में आमंत्रित किया करे। इस से तमाम मामलों पर वाद-विवाद का अच्छा अवसर मिल सकेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेरा आशय यही है कि फेडरेशन के सदस्यों को सरकारी क्षेत्र के पक्ष में दिये जाने वाले तर्क भी सुनने चाहिये ।

हम ने अपनी आयात निर्यात नीति में परिवर्तन कर दिया है और इस का प्रभाव भी अच्छा पड़ा है। हमें वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का वार्षिक प्रतिवेदन नहीं मिला है, इसलिये हमारे पास उस से सम्बंधित आंकड़े नहीं हैं ।

फिर भी अन्य तथ्यों के आधार पर यह तो कहा ही जा सकता है कि हमारे भुगतान-संतुलन की स्थिति में सुधार हुआ है । आयातों पर प्रतिबन्ध लगाने का भी अच्छा प्रभाव पड़ा है । लेकिन हमें उन कच्चे मालों के आयात पर प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिये जिन से हमारे कुछ उद्योग चलते हैं। हमारी द्वितीय योजना की सब से मूल बात तो उत्पादन में वृद्धि करना ही है। माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया था कि यदि किसी उद्योग को इस से कठिनाई पड़ेगी, तो उसकी जांच की जायेगी ।

ऐसे कच्चे मालों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने से आन्ध्र के कुछ धातु उद्योगों को बड़ी कठिनाई हो गई है । उनका उत्पादन गिर गया है और दूसरी ओर साख वाले आयातकों को उन कच्चे मालों के आयात के लिये अनुज्ञप्तियां मिलने से वे खूब मुनाफा बना रहे हैं। मूल्य भी बहुत ऊंचे चढ़ गये हैं।

अब तांबे के आयात किये हुये पिण्डों का मूल्य १७१ रुपये हो गया है, जब कि उनकी लागत १२८ रुपये पड़ती है । इसलिये हमें उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले कच्चे मालों का आयात इस तरह नहीं रोकना चाहिये। हां, राज्य व्यापार निगम उनकी ओर से इनका आयात कर सकता है ।

इसी नीति के कारण मोटर निर्माण उद्योग पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है । उसका उत्पादन गिर रहा है । सरकार को इन उद्योगों से सहानुभूति रखनी चाहिये।

हमारी निर्यात संवर्धन परिषदें बड़े अच्छे ढंग से कार्य कर रही हैं। लेकिन मेरे राज्य में कुछ कठिनाई अवश्य महसूस की जा रही है।

विज़ग , श्रीकाकुलम और कोरापट ज़िलों में कच्चा मैंगनीज़ बहुत है लेकिन वह घटिया किस्म का है। इसलिये इसका निर्यात नहीं करने दिया जाता । इसलिये हमें वहां मैंगनीज़ के परिस्करण के कारखाने खड़े करने में मदद देनी चाहिये । तब हम इसका निर्यात कर सकेंगे और मूल्य भी अच्छा मिलेगा। साथ ही, लोगों को रोज़गार भी मिल जायेगा।

कच्चे लोहे के निर्यात के संबंध में भी, कार्कानाडा और मसुलीपट्टम के बीच निर्यात का कार्यक्रम पर्याप्त नहीं रहता । पत्तनों की क्षमता का पूरा पूरा उपयोग नहीं हो पाता । इसलिये, वहां पत्तनों और रेलवेज़ में सह-कार्य पैदा करना चाहिये । कच्चे माल की क़िस्म में सुधार करने से हमें अधिक विदेशी मुद्रा मिल सकती है।

सरकार उच्च विशेष प्रशिक्षण के लिये विदेश जाने वाले लोगों पर कुछ विदेशी मुद्रा तो खर्च करती है, लेकिन उन्हें किसी विषय विशेष में विशेषज्ञता प्राप्त नहीं करने देती। मेरा विचार है कि हमें इस में उनकी सहायता करनी चाहिये । विदेशी मुद्रा की कमी बताकर, उनको रोकना नही चाहिय ।

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसाट): वस्त्र उद्योग पर शुल्क में जो कमी की गई है वह मिल मालिकों के हित में ही नहीं है वरन् उपभोक्ताओं और श्रमिकों के हित में भी है क्योंकि खपत्त कम होने पर मिलें बंद होती तो मिलों के श्रमिक बेरोज़गार हो जाते । अतः यह ठीक ही किया गया है ।

चाय पर निर्यात शुल्क के सम्बंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि बढ़िया चाय की तो काफी खपत हो जाती है किन्तु साधारण चाय के लिए कठिनाई है तथा पांच या छः बाग बंद भी हो चुके हैं । अतः इस सम्बन्ध में कुछ करना चाहिये ।

कल यह कहा गया था कि वस्त्रोत्पादन शुल्क को विद्युत चालित करघों के शुल्क के अनुकूल बनाया गया है किन्तु १०० विद्युत चालित करघों से अधिक करघों वाले कारखानों पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जा रहा है । वस्तुतः उसका लाभ तो मिश्रित मिलों को जा रहा है जहां से धागा खरीदा जाता है अतः इन कारखानों का शुल्क तो कम होना चाहिये ।

चाय के संबंध में एक और बात मैं यह कहना चाहता हूं कि गत वर्ष २०० लाख पाउंड अतिरिक्त चाय का उत्पादन हुआ था और अब तो, पूर्वी अफ़्रीका के देश इस व्यापार में हमारे नये प्रतियोगी बन गये हैं । किन्तु विदेश में चाय का पर्याप्त प्रचार नहीं किया जा रहा यद्यपि चाय बोर्ड ने उपकर द्वारा एक करोड़ रुपया एकत्र कर लिया है । मेरा निवेदन है कि विदेश में चाय के प्रचार के लिये एक विभाग खोला जाए ताकि इस व्यापार की प्रतियोगिता में ठहर सकें ।

मैं वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि मूंदड़ा का कुख्यात मामला तो अब सब के सामने है किन्तु ऐसे ही छोटे मोटे अन्य मामले और भी हैं । हाल ही में कागज़ उद्योग ने अंशों के मामले में ऐसी धांधली की है कि उन के अंशों की कीमत १३५ रुपये होते हुए भी वे १७५ रुपये तक में बिके हैं । यदि उस उद्योग पर सट्टेबाज़ों का नियंत्रण हो जाए किन्तु वे सच्चे उद्योगपति हों तो मुझे कोई आपत्ति नहीं हो सकती । परन्तु वे उद्योगपति नहीं हैं और इस कारण समवाय नष्ट हो जाएगा ।

समवाय विधि की जांच करने वाली समिति ने यह सिफारिश की है कि उस की धारा २५० में संशोधन कर के सरकार को यह आदेश देने का अधिकार दिया जाए कि लगभग ३ वर्ष के विहित काल के लिए वे लोग मत न दे सकें जिन्हें अंश हस्तांतरित किये गये हों । इस से सट्टेबाज़ लोग प्रबंध में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे । जो कि लोक-हित के विरुद्ध है ।

समवाय विधि विभाग से श्रेष्ठिचत्वर और पूंजी निर्गम विभागों को पृथक कर दिया गया है । मेरा निवेदन है कि उन्हें समवाय विधि विभाग के साथ ही जोड़ देना चाहिये अन्यथा इस विभाग का कार्य संचालन भली प्रकार नहीं हो सकता ।

प्रधान मंत्री ने कहा है कि विदेशी मुद्रा में प्रतिकूलता योजना की कार्यान्वित के कारण पैदा हुई है । किन्तु श्री त्यागी और श्री प्रभातकार ने जो आंकड़े बतायें हैं उन से पता लगता है कि योजना के लिये आवश्यक वस्तुओं के स्थान पर अनेक अनावश्यक तथा विलास की वस्तुओं के आयात पर विदेशी मुद्रा नष्ट की गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कुछ चाय बागान के अंशों को समेटने के कारण भी विदेशी मुद्रा का व्यय हुआ है क्योंकि वे बागान स्टार्लिंग समवायों के थे। योजना आयोग ने भी विदेशी मुद्रा की आज कल की बुरी स्थिति का वर्णन एक विवरण में किया था जिसे सभा में प्रस्तुत किया गया था।

अब प्रधान मंत्री ने बताया है कि योजना आयोग पुनः जांच कर रहा है और तीन चार दिन में हमें स्थिति बताई जायेगी। मैं समझता हूं कि यह पर्याप्त नहीं है और इस बात की जांच होनी चाहिये कि अनावश्यक वस्तुओं के आयात के लिये अनुज्ञप्तियां क्यों जारी की गई थीं। जो अनुज्ञप्तियां अभी तक प्रयोग नहीं की गई उन्हें प्रयोग नहीं करने देना चाहिये।

गत कुछ वर्षों में हमारे उद्योग में बहुत प्रगति हुई थी और उत्पादन ८ से १० प्रतिशत तक बढ़ गया था किन्तु १९५७ में ४ प्रतिशत घट गया है। तदनुसार पूंजी विनियोजन में भी ७७ करोड़ रुपये की कमी हुई है। यह स्थिति केवल उस क्षेत्र की है जिस के लिये पूंजीनिगम अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है। सरकार को पूंजी विनियोजन की कमी की जांच करनी चाहिये।

इसी से रोजगार तथा जीवन स्तर के प्रश्नों का सम्बन्ध है मैंने कहीं पढ़ा है। श्री हेडा ने भी इस ओर निर्देश किया था कि उत्पादन की कमी का कारण कच्ची सामग्री का अपर्याप्त संभरण है। इस विषय की जांच होनी चाहिये।

हथ करघा बोर्ड का कार्य इस आधार पर चल रहा है कि जिन राज्यों में अधिक प्रगति होती है जो अधिक उपक्रम करते हैं उन्हें अधिक सहायता दी जाती है। मेरा विचार है कि जिन राज्यों में हथकरघा उद्योग के विकास की गुंजाइश है उन की अधिक गुंजाइश है किन्तु संगठन की क्षमता नहीं है उन की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये। मेरा राज्य भी इसी श्रेणी के अन्तर्गत आता है।

बंगाल में हथकरघा उद्योग की साड़ियों आदि की विख्यात किस्मों का उत्पादन होता है किन्तु हथकरघा बोर्ड बंगाल के हथकरघा उद्योग की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहा। बंगाल की समस्या केवल आर्थिक नहीं वरन् सामाजिक और राजनैतिक है और वहां हथकरघा उद्योग के विकास से शरणार्थी लोगों को रोजगार मिल सकता है तथा उन का जीवन स्तर ऊंचा हो सकता है अतः हथकरघा उद्योग को उस ओर ध्यान देना चाहिये।

हावड़ा के इंजीनियरिंग उद्योग को अच्छे उपकरण मिलने चाहिये और उस के उत्पादों को उच्च स्तर पर लाने के लिये सहायता मिलनी चाहिये तथा उन की खपत की व्यवस्था भी होनी चाहिये।

आज कल हरेक औद्योगिक इकाई आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहा है। जैसे साइकिल उद्योग और मोटर उद्योग छोटे से छोटा पुर्ज़ा भी अपने यहां बनाते हैं। मेरे विचार से इस चीज़ को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये वरन् उन्हें छोटे इंजीनियरिंग कारखानों से पुरज़े खरीदने के लिये कहना चाहिये। इस से हावड़ा, पंजाब और देहरादून के इंजीनियरिंग कारखानों को प्रोत्साहन मिलेगा।

छोटे पैमाने के उद्योगों सम्बन्धी फोर्ट दल ने यह सुझाव दिया था कि छोटे पैमाने के उद्योगों के उत्पादों की खपत की व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है। खपत की व्यवस्था के अभाव के कारण ये उद्योग विनष्ट हो रहे हैं। उन्हें सस्ते भाव पर कच्ची सामग्री मिलनी चाहिये और ग्रामीण लोगों को उन के उत्पादों का प्रयोग सिखाना चाहिये। इस से खपत की व्यवस्था बहुत अच्छी हो सकती है।

[श्री अ० चं० गुह]

मैं समझता हूं कि बरहामपुर की रेशम गवेषणा संस्था को स्थानान्तरित करने की प्रस्थापना को कार्यान्वित नहीं किया जायेगा क्योंकि उस में न केवल स्थानीय हित है वरन् रेशम उद्योग के विकास के लिये भी यह आवश्यक है।

अब हमारा राष्ट्रीयकृत उद्योग क्षेत्र भी है, और उस क्षेत्र में राज्य ही एकाधिकारी उत्पादक है। इस लिये एक उपभोक्ताओं का परिषद् बनाना चाहिये जो मूल्य आदि निर्धारित किया करे।

गत बार मैंने इस ओर निर्देश किया था कि सीमेंट का मूल्य जो ११ या १२ रुपये तक बढ़ा दिया गया था वह उत्पादन शुल्क के समान था जो कि केवल यह सभा ही लगा सकती है। इस वर्ष उस की बजाये ५ रुपये उत्पादन शुल्क लगाया गया है। ऐसी सभी चीज़ों पर सरकार का एकाधिकार है। इन के मूल्य निर्धारण में उपभोक्ताओं से भी परामर्श लेना चाहिये और उपभोक्ता परिषद् तथा मूल्य निर्णायक परिषदें स्थापित करनी चाहिये।

अन्त में मैं पुनः यह कह देना चाहता हूं कि स्थापित उद्योगों के सम्बन्ध में विशेष ध्यान रखना चाहिये अन्यथा उद्योगों को तबाही का सामना करना पड़ेगा।

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : कपड़े की मिलों पर उत्पादन शुल्क में जो कमी की गई है उस के लिये मैं भी आभार प्रकट करता हूं किन्तु मैं श्री गुह की इस बात का समर्थन करता हूं कि विद्युत चालित करघों का सम्बन्ध मिश्रित कारखानों के साथ है अतः उन्हें बहुत हानि है।

भारत कृषि प्रधान देश है और जिन कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ रहा है वे इसी कारण है कि उद्योग और कृषि में संतुलन नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र में भी बेरोजगारी है किन्तु कृषि क्षेत्र में तो यह बहुत ही अधिक है। अतः वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का बहुत महत्व है और उसे सभी प्रकार के उद्योगों के विकास के लिये भरसक प्रयत्न करना चाहिये तथा इस के लिये यथा संभव सभी साधन जुटाने चाहियें। विदेशी मुद्रा के व्यय के सम्बन्ध में अधिक सावधानी की आवश्यकता है।

अपने पिछले अनुभव से हम ने विशेष बात यही सीखी है कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का वित्त मंत्रालय के साथ समन्वय होना चाहिये। अब जो मंत्री वित्त मंत्रालय का प्रभार लेंगे वे वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के मंत्री रहे हैं और उन का निजी जीवन भी बहुत संयत है अतः हम उन से स्थिति में सुधार की आशा करते हैं।

मैं मंत्रालय की आयात तथा निर्यात नीति से पूर्णतः सहमत हूं। प्रतिबंधात्मक नीति में इसी प्रकार की सख्ती बरतते रहना चाहिये और किसी भी दवाब से उस में ढील नहीं आनी चाहिये।

मेरा यह सुझाव है कि आयात मंत्रणा परिषद और निर्यात मंत्रणा परिषद् की बैठकें इकट्ठी होनी चाहिये ताकि आयात में अभिरुचि रखने वालों को निर्यात की तथा निर्यात वालों का आयात की पूर्ण स्थिति का पता लग जाये।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के कार्य के सम्बन्ध में हमें बहुत प्रसन्नता है। इस ने बहुत प्रगति की है किन्तु इस के प्रतिवेदन में कच्ची फिल्मों के उद्योग के बारे में कुछ नहीं कहा गया। यदि इस उद्योग को पूर्णतः विकसित किया जाये तो हमारी बहुत विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है क्योंकि कच्ची फिल्म की खपत की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे दर्जे पर है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अमरीका जैसे देश में भी २० प्रतिशत उद्योग सरकारी उद्योग क्षेत्र में हैं और भारत में तो अभी ७ प्रतिशत उद्योग ही सरकारी क्षेत्र में हैं। अतः गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र को घबराना नहीं चाहिये। टर्की ने साम्यवादी न होते हुये भी चाय और सिगरेट के उद्योग को राष्ट्रीयकृत कर रखा है। हम भी यदि इन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करें तो बहुत लाभ हो सकता है। अतः इस पर विचार करना चाहिये।

काफी उद्योग का विस्तार होना चाहिये और इस के निर्यात को अधिकाधिक बढ़ाना चाहिये।

हम अभी तक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का रेशम तैयार नहीं कर सकते अतः रेशम बोर्ड को कुछ लोग जापान चीन और इटली में काम सीखने के लिये भेजना चाहिये।

विद्युत चालित करघों की विपत्ति के बारे में सभी लोग तथा उद्योगपति भी एकमत हैं और यदि मैं माननीय मंत्री को यह बात मनवा सकूं तो यह बहुत श्रेयकर होगा।

देश में विद्युत चालित करघे कुल २५,००० हैं जिन में १०१ करघों के कारखाने केवल २६०० हैं। इन की स्थिति इस वर्ष के आय-व्ययक की घोषणा के बाद बहुत खराब हो गई है। मिश्रित मिलों पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने से जो परिणाम निकला है वह हमारे सामने है? कहां तो हमें ५७३६० लाख गज़ कपड़े के उत्पादन की आशा थी वह केवल ५३४०० लाख गज़ हुआ है। कल की घोषणा से मिश्रित मिलों को तो लाभ होगा किन्तु विद्युतचालित करघों को हानि होगी क्योंकि करघों ने धागा मिश्रित मिलों से लेना है। मिश्रित मिल को धागा जिस मूल्य पर मिल सकता है करघों को उस मूल्य से १३२·६८ रुपये अधिक देने पड़ेंगे। हिसाब लगाने पर पता लगेगा कि १०० करघों के कारखाने को केवल धागे के लिय वर्ष भर में १७४, १४४ रुपये अधिक देने पड़ेंग। इसके अतिरिक्त मिश्रित मिलें अपने लिये तो अच्छा कता हुआ धागा रखती है। विद्युत चालित कारखानों को प्रति वर्ष के उत्पादन पर १,८९,४०० रुपय कम मिलेंगे: अतः यदि मेरे ये आंकड़े ठीक हैं तो मेरा निवेदन है कि विद्युत चालित करघों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाये।

दिसम्बर, १९५७ में जब कि उत्पादन शुल्क बढ़ाया गया था तो इस बात को अनुभव किया गया था कि और बम्बई के मिल मालिकों ने मंत्री को तार दिया था कि बढ़िया और अतिबढ़ियां कपड़े के सम्बन्ध में विद्युतचालित करघों को बहुत लाभ होगा अतः सरकार को कुछ उपचार करना चाहिये जिस से मिश्रित मिलों को हानि न हो। उन्होंने विद्युत चालित करघों के साथ प्रतियोगिता से बचने के लिये उत्सुकता प्रकट की थी।

कानूंगों वस्त्र जांच समिति ने कहा है कि केवल १९६० तक संरक्षण देना चाहिये। इसी समिति की शिफारिश से बम्बई सरकार ने एक विद्युत चालित करघा जांच समिति नियुक्त की थी जिस ने यह सिफोरिश की थी कि यदि विद्युत चालित करघों को मिलों के साथ रखना है तो ये उत्पादन शुल्क बना रहना चाहिये।

मेरा माननीय मंत्री से निवेदन है कि वे इन तथ्यों की ओर सहानुभूति पूर्वक ध्यान दें। मेरा सुझाव है कि सरकार मिश्रित मिलों को निम्न मूल्यों और लागत के अन्तर की छूट उत्पादन शुल्क में दे दें। इस से सरकार को हानि नहीं होगी और विद्युत चालित करघे विनाश से बच जायेंगे।

†**श्री कासलीवाल** (कोटा): इस मंत्रालय की कार्यक्षमता के लिये बधाई देने में भी अन्य सदस्यों का साथ देता हूं। मैं उन की इस बात से सहमत हूं कि यह मंत्रालय न केवल देश औद्योगीकरण तथा अर्थ-व्यवस्था के लिये वरन् समाज के जीवन के लिये बहुत महत्वपूर्ण है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कासलीवाल]

विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में सभी ने चिन्ता प्रकट की है । सरकार ने आयात पर प्रतिबन्ध तथा निर्यात में वृद्धि करने की नीति को अपनाया है। निर्यात बढ़ाने के लिये बहुत कुछ किया जा रहा है किन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह दीर्घकालीन नीति है। अगले दो तीन वर्षो में और बहुत सी वस्तुओं का उत्पादन होगा । अतः मंत्रालय को अभी विचार करना चाहिये कि तृतीय योजना में निर्यात नीति क्या होगी ।

इस समय तो आधे से अधिक निर्यात पटसन, सूती वस्त्र, और चाय का होता है। अब इस्पात के कारखानों में कच्चा लोहा और इस्पात भी तैयार होने लगेगा । इन वस्तुओं के निर्यात के लिये मंत्रालय की योजनायें क्या हैं ?

हमें बताया गया था कि ट्रक और कारें भी निर्यात की जाया करेगी। इस वर्ष कितने ट्रक और कारें निर्यात की गई हैं। इंजीनियरिग कारखानों के माल के निर्यात के लिये जो प्रयत्न किये जा रहे हैं वे क्या हैं ।

राज्य व्यापार निगम की कार्यदक्षता पर मैं बधाई देता हूं और मेरा सुझाव है कि अन्य बहुत सी वस्तुयें जो अव्यवस्थित ढंग से निर्यात की जाती है इस निगम द्वारा निर्यात करनी चाहिये। हमारा उद्देश्य समाज की समाजवादी व्यवस्था बनाना है अतः निर्यात आयात के बड़े बड़े अधिकरण समाप्त कर देने चाहिये ।

हमें यह बताया जाये कि हमारे व्यापार करार और संधियां किस प्रकार की हैं । इस बारे में जो पत्रिका दी गई है वह तो १६५३ के सम्बन्ध में हैं। श्री कृष्णमाचारी ने बताया था कि हमारे व्यापारिक करार हमारी आयात सम्बन्धी आवश्यकताओं पर निर्भर करते हैं न कि हमारी निर्यात स्थिति पर। वस्तुतः इन करारों का आधार हमारा निर्यात होना चाहिये । श्री मनुभाई शाह के एक लेख में बताया गया है कि व्यापार करार वाले देशों को केवल १० करोड़ रुपये का माल निर्यात किया जाता है। यह राशि तो बहुत कम है। हमें अधिक विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है ।

इन शब्दों के साथ मैं वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं ।

†**श्री घोषाल** (उलुबेरिया) : मैं केवल इस संबंध में कुछ कहूँगा कि सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र दोनों में उद्योगों का विकास या विस्तार जिस ढंग पर हो रहा है वह ढंग दोषपूर्ण है। कल प्रधान मंत्री ने इस बात की शिकायत की कि लोगों का दृष्टिकोण विभिन्न समस्याओं की ओर वर्ग के आधार पर है। पर यह बात गलत है। स्वयं सराकार प्रान्तीयता के आधार पर उद्योग का वितरण प्रान्तों में कर रही है। ऐसे उद्योगों को ऐसे क्षेत्रों में खोला जा रहा है जहाँ कच्चा माल भी उपलब्ध नहीं है। यदि कच्चा माल उपलब्ध हो तो चीजें सस्ती बने और जनता को भी लाभ हो। एक उदाहरण अखबारी कागज बनाने के नेपा मिल्स का है। यह मिल १०,००० टन या १२,००० टन से अधिक का उत्पादन नहीं कर सकती क्यों कि इसे बिजली मिलने में कठिनाई है यदि यह मिल दामोदार घाटी निगम क्षेत्र में खोली गयी होती तो काफी बिजली मिलने पर इस मिल की उत्पादन शक्ति का पूरा लाभ उठाया जा सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कलकत्ते की एक फर्म ने दुर्गापुर में एक औषधि कारखाना खोलने के लिए आवेदन पत्र दिया था पर सरकार ने उस मांग को यह कह कर ठुकरा दिया कि केन्द्रीय उपसाधन कारखाना इन औषधियों का निर्माण करेगा। बंगाल राज्य सरकार ने भी इसकी सिफारिश की थी पर केन्द्रीय सरकार ने उसकी बात नहीं मानी।

देश के पूंजीपति भी औद्योगिक उन्नति में सहयोग नहीं कर रहे हैं। चाय उद्योग को ही लीजिए। तीन-चौथाई चाय के बागान विदेशियों के हाथों में हैं वही चाय का नियंत्रण करते हैं। बागान जांच आयोग ने सिफारिश की थी कि चाय बोर्ड को उसके बाजार आदि पर नियंत्रण करना चाहिए पर न जाने क्यों सरकार इस संबंध में हिचकिचा रही है। जूट उद्योग की बात ले लीजिए। उत्पादन नीति में गतिरोध उत्पन्न करके भारतीय जूट मिल असोसियेशन ने इस के नियंत्रण पर एकाधिकार स्थापित कर लिया है। १९५७ में जूट का उत्पादन काफी हुआ था फिर भी पश्चिमी बंगाल में जूट के अनेक कारखाने बन्द हो गये है। अतः सरकार को इस मामले में जांच करनी चाहिए।

राष्ट्र निर्माण की ऐसी स्थिति में गैर-सरकारी अपने लाभ को तनिक भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सूती वस्त्र उद्योग को लीजिए। बंगाल में बहुत सी मिलें १९५३ से बन्द हैं। अन्य मिलों में भी करघों की संख्या कम होती जा रही है। सरकार ने निर्यात के संबंध में भी नीति बहुत उदार बना दी है पर फिर भी दाम कम नहीं हुये है। फिर भी न जाने क्यों अति उत्पादन तथा माल जमा होने की बात कही जाती है।

रसायनिक उद्योग के संबंध में मैं बताना चाहता हूँ कि बंगाल केमिकल एण्ड फार्मेस्युटिकल वर्क्स कलकत्ता की स्थापना १९०१ में हुई थी। यह कारखाना कई बार छोटे-छोटे कारणों के आधार पर बन्द कर दिया जाता है जिससे राष्ट्रीयता प्रगति में बहुत बाधा पड़ती है। सरकार को इस संबंध में ध्यान देना चाहिए और कम से कम दो प्रकार के रसायनों—उर्वरक तथा भारी रसायनों—के उत्पादन का काम तो बढ़ना ही चाहिए। हमारे देश में खाद्य उत्पादन की वृद्धि काफी हद तक उर्वरकों पर निर्भर है। इससे उत्पादन बढ़ेगा और साथ ही देश की जनता के रहन-सहन का स्तर भी ऊंचा होगा।

अब मैं पश्चिमी बंगाल में कुछ उद्योगों की सम्भावनाओं के बारे में बताऊंगा। नमक उद्योग की बात लीजिए। जापान हमारे नमक का बड़ा गाहक है। काण्टई कारखाने में २.९ लाख टन नमक तैयार होता है। पश्चिमी बंगाल सरकार ने धूप की गर्मी से भाप बनाकर नमक बनाने की एक योजना पेश की थी पर सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। सीमेण्ट उद्योग के बारे में सरकार की नीति है कि क्षेत्रीय आधार पर सीमेण्ट के कारखाने खोले जायेंगे पर मैं देखता हूँ कि बंगाल में अभी तक एक भी सीमेण्ट कारखाना नहीं खोला गया है। दुर्गापुर में एक सीमेण्ट कारखाने के खोलने की आज्ञा बिड़ला कम्पनी को दी गयी है। मैं पूछता हूं कि सरकार स्वयं क्यों नहीं कारखाना खोलती। साथ ही विचार है कि इस सीमेण्ट के कारखाने के लिए चूने का पत्थर बिहार से लाया जायेगा। मैं पूछता हूं कि पुरलिया की खानों से क्यों चूने का पत्थर नहीं लिया जायेगा? तत्पश्चात मैं रेशम कीड़ा पालन उद्योग को लेता हूँ। केन्द्रीय सरकार हर साल इसके लिए उपबन्ध करती है पर पश्चिमी बंगाल सरकार उस राशि को ठीक प्रकार से व्यय नहीं कर पाती। इस उद्योग का हालत बहुत खराब है। अतः केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में कदम उठाना चाहिए।

[श्री घोषाल]

चूंकि यह बात स्पष्ट है कि हम अपने देश की अर्थ-व्यवस्था को कृषि के बजाय औद्योगिक क्षेत्र की ओर नहीं पलट सकते अतः हमें छोटे पैमाने के तथा कुटीर उद्योगों का विकास करना चाहिए। बड़ी-बड़ी परियोजनाओं की बिजली बड़े-बड़े उद्योगों को दी जा रही है। यह नीति ठीक नहीं है। हावड़ा के आस-पास बहुत से उद्योग हैं जिनको सस्ती बिजली की आवश्यकता है। अतः सरकार को चाहिए कि परियोजनाओं की सस्ती बिजली इन छोटे-छोटे उद्योगों को दी जाये।

अंत में, मैं यह कहना चाहता हूँ कि वाणिज्य तथा उद्योग का विकास उद्योग के छोटे-बड़े होने पर या कारखानों की संख्या पर निर्भर नहीं है, उद्योग का विकास तभी ठीक होगा जब सरकार ठीक नीति का अनुसरण करे।

श्री कोरटकर (हैदराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहली मेरी शिकायत इस मंत्रालय के खिलाफ यह है कि इसने पिछले साल की भान्ति इस साल अपनी रिपोर्ट हमारे सामने पेश नहीं की है। अगर यह रिपोर्ट हमारे हाथों में आ जाती तो हम और भी अच्छी तरह से इस मंत्रालय की मांगों पर विचार कर सकते थे। एक चार सफे की समरी हमारे पास भेजी गई है जोकि काफी नहीं है। जिस तरह से दूसरे मंत्रालयों की रिपोर्टें हमें दी जाती है, उसी तरह से इस मंत्रालय की रिपोर्ट भी हमें दी जानी चाहिये थी।

जिस तरह से इसने रिपोर्ट देने में सुस्ती दिखाई है, उसी तरह की सुस्ती यह मंत्रालय इंडस्ट्रियल प्रोडकशन के बारे में दिखा रहा है। यद्यपि हमें रिपोर्ट नहीं दी गई है तथापि अर्थ मंत्री जी के भाषण के साथ जो अर्थ समीक्षा का एक पैम्फलेट हमको दिया गया था उससे यह मालूम होता है कि पिछले दो सालों के मुकाबले में इस साल इंडस्ट्रियल प्रोडकशन में काफी कमी हुई है। १९५१ को इंडस्ट्रियल प्रोडकशन की अगर इकाई मान लिया जाए तो १९५४-५५ में यह अंक १२२ था, १९५५-५६ में १३३ और १९५६-५७ में १४४ हुआ और अब जाकर १४८.९ हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि जहां पिछले तीन सालों में बराबर १० प्रतिशत की इंडस्ट्रियल प्रोडकशन में वृद्धि होती रही है वहां इस साल, यानी द्वितीय पंच वर्षीय योजना के काल में, जबकि यह कहा जाता है कि इंडस्ट्रियल प्रोडकशन पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, यह अंक घट कर केवल ४ अंक पर या यों कहिये कि साढ़े तीन प्रतिशत रह गया है। यह जो इंडस्ट्रियल प्रोडकशन में कमी हुई है, यह चिन्ताजनक है और दिल को धक्का लगाने वाली है। यदि इसी तरह से यह कमी होती गई तो इस योजना में इंडस्ट्रीस पर ज्यादा तवज्जह देने से क्या फल हमारे सामने आयेगा, नहीं कहा जा सकता। इस तरह से अच्छे परिणामों की आशा नहीं की जा सकती है। मैं आशा करता हूं कि इस कमी को रोकने के बारे में कुछ न कुछ अवश्य किया जाएगा और यह देखा जाएगा कि इसमें वृद्धि हो।

अपनी तरफ से मैं इसको बहुत अधिक भयानक चीज नहीं मानता। इसका कारण यह है कि पिछली पंचवर्षीय योजना के आखिरी साल में यानी १९५५-५६ में जबकि बहुत सी स्कीमें पूरी हो चुकी थीं और द्वितीय योजना का पहला साल शुरू हो चुका था, जो कुछ भी उन स्कीमों के कारण उत्पादन में वृद्धि हुई थी, वह इस योजना के समाप्ती पर और दूसरी के शुरू होते ही दिखाई देनी लाजिमी थी। बाद में जब दूसरी योजना के कार्यकलाप आरंभ होते

हैं तो किसी कदर कमी होना भी लाजिमी है १९५७-५८ इस कमी का यह भी एक कारण हो। लेकिन यही एक कारण नहीं हो सकता है। इसके और भी कारण हो सकते हैं। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस ओर अवश्य ध्यान दे और उत्पादन में कमी न होने दे।

अब मैं इस मंत्रालय को दो बातों के लिए बधाई देना चाहता हूं। गत साल दो बड़े करार इसने किए हैं। एक करार तो सोवियत यूनियन के साथ किया है जोकि हैवी मशीनरी बनाने के बारे में है और दूसरा जेक गवर्नमेंट के साथ ढलाई की मशीनें और फोर्जिंग प्लांट लगाने के बारे में है। ये जो करार अमल में आये हैं, इनका स्वागत किया जाना चाहिए। इसको मैं मंत्रालय की दूरदर्शिता का द्योतक मानता हूं। आने वाले सालों में बड़ी मात्रा में लोहा पैदा होने वाला है उसको किसी काम में लगाना, अच्छे काम में यूटिलाइज करने की कोशिश करना, अच्छी बात है और इसके लिए मंत्रालय धन्यवाद का पात्र है।

निर्यात के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है। इस चीज को मैं भी चन्द एक शब्दों में दोहरा देना चाहता हूं। पिछले साल में जो जो चीजें यहां पर विचारार्थ पेश की गई हैं, उनमें फारेन एक्स्चेंज का सवाल प्रमुख था। उस वक्त हमें यह बताया गया था कि अगले साल हम और भी अधिक माल निर्यात करने की कोशिश करेंगे। यह निर्यात ऐसी चीज है जोकि किसी देश के हृदय की गति को कायम रखता है और देश को स्वस्थ और जिन्दा रखता है। इसकी ओर हमारा अधिक ध्यान होना चाहिए। इसके बारे में जो भी आंकड़े अर्थ समीक्षा में दिए गए हैं, वे उत्साह जनक नहीं है। अर्थ समीक्षा में बताया गया है कि पिछले साल के सितम्बर तक निर्यात २६७ करोड़ का हुआ था और उसके पिछले वर्ष सारा निर्यात ६३७ करोड़ का हुआ। इस वर्ष के २६७ करोड़ के निर्यात को हम कितना भी बढ़ा कर देखें यह इस साल मार्च के आखिर तक, ६३७ करोड़ हो जाएगा, इसकी सम्भावना नजर नहीं आती है। कल अर्थ मंत्री महोदय ने इस बात को हमारे सामने रखा था कि निर्यात पिछले छः महीनों में ज्यादा हुआ है। यह बहुत ही संतोष की बात है। लेकिन उसके साथ ही साथ उन्होंने यह नहीं कहा कि यह निर्यात १९५६-५७ से भी ज्यादा होगा। इससे मालूम होता है। कि निर्यात अगर बहुत अधिक होगा तो यह ६०० करोड़ तक पहुंच जाएगा, इससे अधिक नहीं। साल भर की कार्रवाइयों के बाद और तमाम एश्योरेंसिस देने के बावजूद भी तथा निर्यात को बढ़ावा देने का हर सम्भव प्रयत्न करने के बाद भी अगर १९५६-५७ के निर्यात के मुकाबले १९५७-५८ का निर्यात कम रहता है तो सचिवालय के लिए यह शोभा की बात नहीं होगी। यह किसी के लिए भी भलाई वाली बात नहीं हो सकती है। इसकी चिन्ता हमको भी तथा मंत्रालय को भी होनी चाहिए। इस वर्ष हर सम्भव प्रयत्न किया जाना चाहिए और निर्यात को बढ़ावा देने की हर कोशिश की जानी चाहिए। इस वर्ष भी अगर निर्यात पिछले वर्ष की अपेक्षा कम रहे, तो यह चिन्ता का विषय हो जाता है। यह अच्छा लक्षण नहीं है। इस ओर आपको अवश्य ध्यान देना चाहिये।

आपने एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल्स बनाई हैं। उद्योग तथा व्यापार के पर्चे में इन काउंसिल्स के रेजोल्यूशंस रहते हैं, रिकोमेंडेशंस रहती हैं और बड़ी-बड़ी स्पीचिस दे दी जाती हैं वे भी रहती हैं लेकिन इनसे कुछ हो नहीं सकता है। मेरा कहना केवल इतना है कि इन एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल्स में खाली स्पीचिस कर देने से और प्रस्ताव पास कर देने पे और रिपोर्ट शाया कर देने से ही काम नहीं चल सकता है, उससे निर्यात नहीं बढ़ सकता है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए दूसरी प्रकार की कार्रवाइयां करने की आवश्यकता है और मैं आशा करता सचिवालय उस ओर भी ध्यान देगा।

[श्री कोरटकर]

निर्यात करने के लिए हमारे पास तीन प्रमुख चीजें हैं और वे हैं, चाय, जूट और कपड़ा। इन तीनों पर माननीय सदस्यों ने काफी प्रकाश डाला है और मैं इनके बारे में अधिक नहीं कहना चाहता। चाय के बारे में मैं केवल इतना कहना चहाता हूं कि यह एक ऐसा व्यापार है जोकि प्रधानतः भारत के ही हाथ में था। लेकिन कुछ कारणों से आज धीरे-धीरे इसमें भी हमारी स्थिति मजबूत नहीं है, क्षति होती जा रही है। यह क्षति क्यों हो रही है, इस ओर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। यहां पर इस साइड से भी और उस साइड से भी यह कहा गया है और मैं इससे इस वक्त अपनी सहमति प्रकट करता हूं, कि चाय की ट्रेड को कम से कम इस वक्त के लिए स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के हाथ में सरकार को दे देना चाहिए। इससे सरकार के सामने यह चीज अच्छी तरह से खुल कर आएगी की चाय की ट्रेड में कमी क्यों हो रही है और जिन कार्रवाइयों को करने की आवश्यकता है, इस ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, वे की जा सकें और यह ट्रेड हमारे हाथ में रहे और जो फारेन मार्किट है, वह हमारे हाथ में रहे। इससे एक तो आपको विदेशी विनिमय अधिक मिल सकेगा और दूसरे आपका निर्यात भी ज्यादा हो सकेगा। दूसरी चीज उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपके सामने जूट की रक्खी है। जूट के बारे में भी यह देखने में आ रहा है कि निर्यात बराबर कम होता चला जा रहा है। सितम्बर सन् १९५६ तक जो छमाही खत्म होती थी उस छमाही में ५६.७ करोड़ रुपये का जूट का निर्यात हुआ था। अगली छमाही में जो मार्च सन् १९५७ को खत्म होती थी उस वक्त तक जूट का निर्यात एक दम बढ़ कर ६९ करोड़ रु० का हो गया था। यह एक बहुत ही अच्छी और अभिनन्दनीय बात हुई थी लेकिन यकायक फिर पिछले साल यह निर्यात एकदम कम हो गया है और सितम्बर सन् १९५७ के आंकड़ों से यह मालूम होता है कि मार्च से सितम्बर की छमाही में ६९ करोड़ से एकदम यह निर्यात कम होकर ४७ करोड़ टन रह गया है यानी करीब करीब २२ करोड़ की कमी ई है और यह एक बड़ी चिन्ता की चीज है। अगर महीनेवार आंकड़ों को देखा जाय तो यह मालूम होता है कि दिसम्बर १९५७ में ८८ हजार टन जूट की गांठे बाहर गई थीं जब कि जनवरी १९५८ में एकदम ८८ हजार से गिर कर ७५ हजार टन रह गई हैं यानी एकदम यह गिरावट हो रही है और इस गिरावट के सम्बन्ध में जांच पड़ताल करने की बहुत जरूरत है क्योंकि जूट एक ऐसा पदार्थ है जिससे फारेन एक्सचेंज हमारे देश को बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय खत्म हो रहा है। वे अपनी बात जल्दी समाप्त करें।

श्री कोरटकर : चूंकि घंटी बज चुकी है इसलिए मैं उन तमाम बातों को जिनका कि कि मैं जिक्र करना चाहता था न कह कर केवल खास २ बातों को ही कहूंगा। कपड़े के बारे में कल जो इस सदन में एनाउंसमेंट हुआ वह बहुत अच्छा हुआ है और उसका मैं अनुमोदन करता हूं। बहुत से माननीय सदस्यों ने उस ऐलान का स्वागत किया है और मैं भी उसका स्वागत करता हूं लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि अगर यही ऐलान कल से पहले कर दिया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। कपड़ा व्यावसाइयों ने इसके लिए बहुत शोर मचाया और अन्य लोगों ने भी उसकी मांग की और शोर मचाया और कपडा उद्योग में लगे ३०, ४० हजार मजदूर बेकार हो गये। इतना सब कुछ होने के बाद जो यह चीज की गई तो यह कोई बहुत शोभा की बात नहीं है और अगर यह घोषणा पहले हो जाती तो ज्यादा अच्छा रहता।

शक्कर उद्योग के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह उद्योग बहुत तेजी के साथ हमारे देश में बढ़ रहा है। इन दस सालों के अन्दर शक्कर का उत्पादन हमारे देश में करीब करीब दूना हो गया है जब कि संसार के अन्य देशों की अपेक्षा यह देश बहुत कम शक्कर खाने वाला है और अभी भी अनेक और देशों के मुकाबले यह केवल एक दसवां हिस्सा शक्कर खाता है। जितनी तेजी के साथ शक्कर उद्योग इस देश में बढ़ रहा है उतनी तेजी के साथ शक्कर की खपत भी हमारे देश में बढ़ेगी, यह नहीं कहा जा सकता। पिछले दो सालों में २० नये चीनी के कारखानों की स्थापना की इजाजत दी गई है और ३० चीनी के कारखानों के विस्तार की इजाजत दी गई है। जब देश में शक्कर का उत्पादन आगामी ५, १० वर्षों के भीतर काफी बढ़ने वाला है तो इस मंत्रालय को इस बात का खयाल रखना चाहिए कि यह जो ज्यादा शक्कर पैदा होने वाली है वह पड़ी न रह जाय और बाहर के देशों में उसका निर्यात करने के लिए कोई माकूल स्कीम बनानी चाहिए।

मैं शुगर एसोसियेशन को धन्यवाद देता हूं कि पिछले साल उन्होंने नो प्राफिट नो लास बेसिस पर १३ करोड़ को शक्कर बाहर भेजने का प्रयत्न किया है लेकिन यह पर्याप्त न होगा और सरकार को इस बात के लिए पूरी तरह इंतजाम करना चाहिए कि शक्कर की उत्पत्ति जिस तेजी के साथ बढ़ रही है उसको देखते हुए वह उसके निर्यात की व्यवस्था करे और इस चीज के ऊपर उसके लिए गौर करना बहुत जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, बाकी चीजों को छोड़कर मैं आंध्र प्रदेश की जनता की तरफ से कुछ अपनी मांगें भी सचिवालय के सामने रख देना चाहता हूं और सबसे बड़ी चीज निजामाबाद में जो न्यूजपेपर फैक्टरी खोलने का विचार सचिवालय के सामने है उसको जल्दी से जल्दी कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

बोधन, डिस्ट्रिक्ट निजामाबाद में एशिया की सबसे बड़ी शुगर फैक्टरी है और लाखों टन फोक वहां पर जला दिया जा रहा है। उसके लिए केन्द्रीय सरकार के सामने एक बड़ी भारी स्कीम है कि वहां इस फोक को काम में लाकर न्यूजपेपर, अखबारी कागज का कारखाना खोल दिया जाय जिसकी कैपेसिटी कम से कम शायद १ हजार टन मासिक के करीब होगी। यह चीज २ साल से चल रही है और अभी तक जहां तक मेरा ख्याल है खतोकिताबत के आगे नहीं गई है जो कि हमारे लिए एक तरह का दाग है। खासतौर से इसकी ओर मैं इसलिए और भी तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने एक दूसरी ऐसी ही फैक्टरी के लिए प्राइवेट सैक्टर में इजाजत दी है और अगर प्राइवेट सेक्टर की फैक्टरी पहले खुल जायगी और वहां पर पहले काम शुरू कर दिया जायगा, पता नहीं कहां तक सही है लेकिन मैंने सुना है कि उसके लिए बहुत सी कार्यवाहियां आगे बढ़ चुकी हैं और अगर यह फैक्टरी पहले खुल जायगी और पबलिक सैक्टर में खुलने वाली फैक्टरी उससे पीछे रह जायगी तो यह भी कोई हमारी नीति को देखते माकूल बात नहीं होगी। उसके अतिरिक्त सारे वक्त हिन्दुस्तान को अखबारी कागज की बहुत सख्त जरूरत है। कल ही हमारे प्रधान मंत्री महोदय ने इस चीज को सामने रखते हुए यह कहा था कि किताबें यहां पर सस्ती होनी चाहियें और किताबें तभी सस्ती हो सकती हैं जब कि अखबारी कागज का उत्पादन काफी मात्रा में होने लगे। इसलिए गवर्नमेंट को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

इसके बाद दो छोटी २ मांगें आंध्र प्रदेश की तरफ से मैं और रखना चाहता हूं। लोहे के कारखाने की स्थापना के बारे में मैंने पहले भी कहा है और उसको फिर दुहराने की

[श्री कोरटकर]

जरूरत नहीं है लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि लोहे का चौथा कारखाना अगर कभी खुलने वाला ह तो उसके लिए दक्षिण में ही स्थान देना चाहिए। दक्षिण में एक कारखाना खुलने की बहुत जरूरत है। अब कोई कहेगा कि यह कारखाना मैसूर में हो और कोई कहेगा कि आंध्र में कायम हो लेकिन मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। वैसे मैं यह बतलाना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में आंध्र गवर्नमेंट ने भी एक प्रपोजल भेजा है कि यह लोहे का कारखाना राजमुन्द्री में खोला जाय और बस्तर की आयरन ओर को काम में लाया जा सकता है और यह चीज भी मैं सरकार के सामने रखना चाहता हूं.....

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य खत्म करें।

श्री कोरटकर : दो कारखानों के लिए मैं और कहना चाहता हूं....

उपाध्यक्ष महोदय : जो आपने कहे हैं पहले उनको तो लग जाने दीजिये बाद में दूसरों के लिये कहियेगा।

श्री कोरटकर : फर्टिलाइजर फैक्टरी की स्कीम बहुत दिनों से सरकार के सामने है और मैं चाहता हूं कि रामागुंडम या सेंगारानी में फर्टिलाइजर फैक्टरी खोली जाय। दूसरे विजिगापट्टम में डीजल मैराइन इंजन्स का कारखाना खोला जाय। केन्द्रीय सरकार के सामने खुद ये दोनों चीजें हैं और मेरा निवेदन है कि उस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही शीघ्र की **जाय।**

इस मंत्रालय के जो खर्च के अनुदान रक्खे गये हैं उनको स्वीकार किया जाय और उन पर कोई कटमोशन स्वीकार न किया जाय।

†**श्री शंकरय्या** (मैसूर): उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में उद्योग की वृद्धि हुई है। पर बड़े दुख की बात है कि गैर-सरकार क्षेत्र हमेशा शिकायत करता रहता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। विशेष रूप से, मूंदड़ा काण्ड के बाद तो सरकारी क्षेत्र को काफी बदनाम किया जा रहा है। गैर-सरकारी क्षेत्र को. वास्तव में, बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना है। यदि दोनों क्षेत्रों में सहयोग से काम हो तो बहुत लाभ हो सकता है। समवाय विधि प्रशासन विभाग तथा विनियोजन के संबंध में भी काफी वाद-विवाद चल रहा है। मूंदड़ा काण्ड के बाद तो लोगों में काफी गलतफहमी पैदा हो गई है। ऐसी स्थिति में सरकार को ऐसी नीति का अनुसरण करना चाहिए कि दोनों को सहायता देने की मध्यवर्ती नीति को अपनाया जाये। सरकार दोनों क्षेत्रों को धन दे। दोनों को अपना काम चलाने की छूट दे दे पर ऊपरी नियंत्रण सरकार स्वयं अपने हाथ में रखे। यह कोई नयी नीति नहीं है। मैसूर राज्य सरकार इस नीति का पालन कर रही है। अतः यदि सरकार इस नीति का अनुसरण करे तो काफी लाभ हो सकता है।

उद्योगों के मामले में मैसूर अग्रणी रहा है। संयुक्त स्कन्ध समवाय बना दिये गये हैं जिनमें सरकार के ५१% अंश है। सरकार धन देती है और समवाय को स्वतंत्रता पूर्वक काम करने की छूट देती है पर नियंत्रण अपना स्वयं रखती है। परिणाम यह है कि गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों में काफी सहयोग है। हिन्दुस्तान एअरक्रैफ्ट, मैसूर चीनी कारखाना, मैसूर कागज मिल सब इसी आधार पर चलाये जा रहे हैं और उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है। अतः मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार भी इसी नीति का अनुसरण क्यों नहीं कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकार को यह नहीं करना चाहिए कि वह सभी उद्योगों को अपने हाथों में लेने की कोशिश करें बल्कि उसे गैर-सरकारी उपक्रमों को मदद करने की नीति अपनानी चाहिए।

टेल्को के बारे में श्री फीरोज गांधी ने बहुत सी बातें बताईं। सभा ने भी जोरदार शब्दों में मांग की कि इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय। पर यह नीति गलत है। मैंने माना कि सरकार ने इस संस्था को इंजनों के निर्माण के लिए जो धन दिया है उसका उपयोग यह संस्था इंजनों के निर्माण में न करके अन्य कामों में कर रही है। ठीक है, यदि सरकार उसी धन से, जो टेल्को को सरकार ने दिया है, टेल्को के अंश खरीद कर उसकी अंशधारी बन जाये तो बहुत अच्छा हो। प्रबन्ध तथा कार्य आदि उसी के हाथ में रहे और नियंत्रण सरकार करे। सरकार के प्रतिनिधि इस उद्योग के सरकारी हितों की रक्षा करेंगे। यह बहुत उत्तम उपाय है। इसी प्रकार की अन्य अनेक संस्थायें हैं जैसे जेसप्स आदि। उनके बारे में भी सरकार को यही नीति अपनानी चाहिए इससे धन का अपव्यय नहीं होगा और देश के अधिकतम लाभ की दृष्टि से उद्योग को चलाया जा सकेगा।

कच्ची फिल्मों के उद्योग के संबंध में मैं यह बताना चाहता हूँ कि इनके आयात में हमें काफी विदेशी विनिमय का व्यय करना पड़ता है। मैसूर राज्य सरकार ने एक फ्रांसीसी फर्म की सहायता से एक फिल्म कारखाना खोलने का निश्चय किया था। सभी बातें तै हो गई थीं केवल करार पर हस्ताक्षर होने बाकी थे पर इसी बीच केन्द्रीय सरकार ने कहा कि वह स्वयं एक फिल्म कारखाना खोलना चाहती है। ठीक है, केन्द्रीय सरकार ही खोले पर ध्यान रहे कि मैसूर राज्य और मैसूर की जनता से छीन कर इस उद्योग को मैसूर के बाहर न शुरू किया जाये सरकार से मेरा निवेदन है कि वह इस करखाने को मैसूर में ही स्थापित करे।

हथकरघा उद्योग के बारे में कुछ कहने के पूर्व मैं सिल्क उद्योग के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। पिछले ५ वर्षों से इस उद्योग में कुछ वृद्धि हुई है। यद्यपि सरकार ने इस सम्बन्ध में काफी धन दिया पर योग्य तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी के कारण उतनी उन्नति नहीं हो सकी जितनी होनी चाहिए थी। इस उद्योग के संबंध में भी मैसूर राज्य अग्रणी रहा है और लगभग ८० प्रतिशत कच्चा रेशम मैसूर में ही पैदा होता है। सिल्क के लिये विदेशी व्यापार में भी बहुत गुंजाइश है। अतः इस उद्योग की वृद्धि के लिये सरकार को और अधिक ध्यान देना चाहिये। सिल्क बोर्ड के कार्यालय को बम्बई से हटा कर बंगलौर में कर दिया गया था पर उसे फिर हटा कर बम्बई भेजने का विचार है। यदि इसे बम्बई भेज दिया जाय तो उद्योग को बहुत हानि होगी क्योंकि बंगलौर में रह कर यह बोर्ड इस उद्योग की उन्नति के लिये तथा अपनी योजनाओं की कार्यान्विति के लिये बहुत कुछ सहायता कर सकेगी। अतः सिल्क बोर्ड को बंगलौर में ही रहने दिया जाये।

हथकरघा उद्योग की काफी उन्नति हुई है फिर भी अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई है। केवल हथकरघा सप्ताह मनाने से कोई लाभ नहीं होगा। अभी बहुत से बुनकर हथकरघा सहकारी समितियों के सदस्य भी नहीं बने हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि इस का क्या कारण है? केन्द्रीय क्रय-विक्रय समिति की स्थापना ४ वर्ष पूर्व हुई थी। ३ या ४ लाख रुपये वह व्यय कर चुकी है पर अन्य समितियों तथा क्रय-विक्रय समिति में अच्छा सम्बन्ध नहीं स्थापित हो पाया है। विशेषतया हमारे राज्य में हथकरघा उद्योग का अच्छा विकास नहीं हो पाया है। बुनकरों को घाटा हो रहा है। मिल उप कर निधि का प्रयोग गलत कामों के लिये किया जा रहा है। अतः इसे रोका जाना चाहिये और इस निधि को इस उद्योग की वृद्धि के लिये लगाया जाना चाहिये।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए:—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	१२३	श्री त्रि० कु० चौधरी	मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीयकृत व्यापार निगमों सम्बन्धी नीति	राशि घटा कर १ रु० कर दी जाये
१	१५६	श्री दा० रा० चावन	उद्योगों के संतुलित खण्डीय विकास की आवश्यकता	राशि घटा कर १ रु० कर दी जाये
१	१५७	श्री दा० रा० चावन	औद्योगिक विकास में खण्डीय असमानता के कारण उत्पन्न असमानतायें	राशि घटा कर १ रु० कर दी जाये
१	१५८	श्री जगदीश अवस्थी	संतुलित निर्यात नीति के विकास में असफलता	राशि घटा कर १ रु० कर दी जाये
१	४७९	श्री नौशीर भरूचा	आयात अनुज्ञप्तियों के जारी करने की नीति	राशि घटा कर १ रु० कर दी जाये
१	१७९	श्री दा० रा० चावन	वस्त्रउद्योग की समस्यायें	१०० रुपये
१	१८०	श्री दा० रा० चावन	जूट उद्योग की समस्यायें	१०० रुपये
१	१८१	श्री दा० रा० चावन	कोयला परियोजना के निकट उर्वरक कारखाना स्थापित करने में असफलता	१०० रुपये
१	१८२	श्री दा० रा० चावन	कोल्हापुर में अल्युमीनियम कारखाना स्थापित करने में असफलता	१०० रुपये
१	१८३	श्री दा० रा० चावन	महाराष्ट्र और गुजरात में कुछ चीनी मिलों को आयात अनुज्ञप्तियां न देना	१०० रुपये
१	२०५	श्री तंगामणि	मूगफली तथा अन्य तेलों के निर्यात की आज्ञा न देना	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	२०६	श्री तंगामणि	. कपड़ा मिल की मशीनों के लिये बिना इस्तेमाल किये गये लाइसेंसों को रद्द करने में असफलता	१०० रुपये
१	२१६	श्री बि० दास गुप्त	. सचिवालय तथा अन्य विभागों में पदाधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतनों तथा भत्तों में असमानता को कम करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१	२४९	श्री वें० प० नायर	. वनस्पति तेल के निर्यात सम्बन्धी नीति	१०० रुपये
१	२५०	श्री वें० प० नायर	. व्यापार वृद्धि के लिये दलों को बाहर भेजने सम्बन्धी नीति	१०० रुपये
१	२७२	श्री वें० प० नायर	. भारतीय चाय का उचित मूल्य पर संभरण करने में असफलता	१०० रुपये
१	२७३	श्री वें० प० नायर	. कलकत्ते और कोचीन में चाय के नीलाम पर कुछ संस्थाओं के एकाधिकार को रोकने में असफलता	१०० रुपये
१	३०५	श्री वें० प० नायर	. आयात व निर्यात के महानिदेशक के कार्यालय का संचालन	१०० रुपये
१	३०६	श्री वें० प० नायर	. उपभोग वस्तुओं के आयात के लिये उचित नीति का न अपनाना	१०० रुपये
१	३०७	श्री वें० प० नायर	. तदर्थ अनुज्ञप्तियों तथा उपभोक्ता आयात अनुज्ञप्तियों का दुरुपयोग	१०० रुपये
१	३०८	श्री वें० प० नायर	. आयात की उपभोक्ता अनुज्ञप्तियों का दुरुपयोग	१०० रुपये
१	३०९	श्री वें० प० नायर	. लाल पुस्तक में ५ से १० लाख तक के मूल्य की अनेक मदों का एक ही क्रम में रखना	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	३१०	श्री वें० प० नायर	अत्यावश्यक वस्तुओं के लिये आयात अनुज्ञप्तियां न देने के कारणों को न बताना	१०० रुपये
१	३११	श्री वें० प० नायर	आयात अनुज्ञप्तियों के व्यापार को रोकने में असफलता	१०० रुपये
१	३१२	श्री वें० प० नायर	आयात अनुज्ञप्तियों को देने में विलम्ब	१०० रुपये
१	३२०	श्री वें० प० नायर	भारत तथा अन्य देशों के व्यापारिक करार को कार्यान्वित करने की नीति	१०० रुपये
१	३२१	श्री व० प० नायर	मोटर निर्माण के सम्बन्ध में नीति	१०० रुपये
१	३२२	श्री वें० प० नायर	भूतकाल में दिये गये आयात अनुज्ञप्तियों की जांच न करवाना	१०० रुपये
१	३२३	श्री वें० प० नायर	आयात व निर्यात अनुज्ञप्तियां की समवाय वार सूची न रखना	१०० रुपये
१	३२४	श्री वें० प० नायर	आयात और निर्यात के राज्य व्यापार निगम का व्यापार बढ़ाने में असफलता	१०० रुपये
१	३२५	श्री वें० प० नायर	व्यापार की मात्रा बढ़ाने में असफलता	१०० रुपये
१	३२६	श्री वें० प० नायर	कोचीन पत्तन से लौह अयस्क का निर्यात करने में असफलता	१०० रुपये
१	३२७	श्री वें० प० नायर	वस्तु विनिमय के आधार पर अमरीका, ब्रिटेन व जापान से मशीनों की बातचीत करने में असफलता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	३३७	श्री प्र० के० देव	. उड़ीसा में बीड़ी की पत्तियों के व्यापार पर से एकाधिकार हटाने की आवश्यकता	१०० रुपये
१	४८०	श्री नौशीर भरूचा	. वस्त्र मिलों को बन्द होने से रोकने में असफलता	१०० रुपये
१	४८१	श्री नौशीर भरूचा	. समवायों के संचालन व बन्द होने की जांच के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत प्रभावी प्रक्रिया बनाने में असफलता	१०० रुपये
२	१२५	श्री घोषाल .	. सूती वस्त्र के विकास सम्बन्धी नीति .	राशि घटा कर १ रु० कर दी जाये
२	१५९	श्री बि० दासगुप्त	. जल्दी में और अधिक औद्योगीकरण के कारण छोटे उद्योगों के विकास की सम्भावनाओं का समाप्त होना	राशि घटा कर १ रु० कर दी जाये
२	१६०	श्री जगदीश अवस्थी	. छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये उचित उपबन्ध करने में असफलता	राशि घटा कर १ रु० कर दी जाये
२	१६१	श्री जगदीश अवस्थी	. ग्रामोद्योगों के विकास के लिये उचित उपबन्ध न करना	राशि घटा कर १ रु० कर दी जाये
२	१६२	श्री जगदीश अवस्थी	. चाय, उद्योग के विकास में असफलता .	राशि घटा कर १ रु० कर दी जाये
२	४३	श्री स० म० बनर्जी	. कपड़ा मिलों को बन्द होने से रोकने में असफलता	१०० रुपये
२	४४	श्री स० म० बनर्जी	. जूट मिलों को बन्द होने से रोकने में असफलता	१०० रुपये
२	४५	श्री स० म० बनर्जी	. उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग का विकास	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
२	४६	श्री स० म० बनर्जी	. उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में छोटे पैमाने के अधिक उद्योग स्थापित करना	१०० रुपये
२	४७	श्री स० म० बनर्जी	. रूस और पोलैण्ड को जूतों का निर्यात करने में असफलता	१०० रुपये
२	४८	श्री स० म० बनर्जी	. उत्तर प्रदेश में बुनकर सहकारी समितियों को रियायत न दिया जाना	१०० रुपये
२	७५	श्री घोषाल	. पश्चिमी बंगाल में कुटीर उद्योग का विकास करने में असफलता	१०० रुपये
२	७६	श्री घोषाल .	. हावड़ा में छोटे पैमाने के उद्योग का विकास करने में असफलता	१०० रुपये
२	७७	श्री घोषाल .	. पश्चिमी बंगाल में रेशम उद्योग का विकास करने में असफलता	१०० रुपये
२	७८	श्री घोषाल .	. पश्चिमी बंगाल में हथकरघा उद्योग का विकास करने में असफलता	१०० रुपये
२	८१	श्री घोषाल .	. पश्चिमी बंगाल में सूती मिलों को बन्द होने से रोकने में असफलता	१०० रुपये
२	८२	श्री घोषाल	. पश्चिमी बंगाल में जूट मिलों को बन्द होने से रोकने में असफलता	१०० रुपये
२	८३	श्री घोषाल .	. पश्चिमी बंगाल में चाय व्यापार पर नियंत्रण रखने में असफलता	१०० रुपये
२	८४	श्री घोषाल .	. दुर्गापुर में औषधि निर्माण योजना की प्रगति में असफलता	१०० रुपये
२	८५	श्री घोषाल .	. सीमेण्ट बनाने के लिए पुरुलिया के चूने के पत्थर का उपयोग करने में असफलता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
२	८६	श्री घोषाल .	. पश्चिमी बंगाल में सीमेंट की चोरबाजारी	१०० रुपये
२	१२८	श्री घोषाल .	. राज्य व्यापार निगम का कार्य संचालन.	१०० रुपये
२	१२९	श्री घोषाल .	. सूती वस्त्र व्यापार संवर्द्धन परिषद् का कार्य संचालन	१०० रुपये
२	१३०	श्री घोषाल .	. राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम का कार्य संचालन	१०० रुपये
२	१८४	श्री दा० रा० चाबन	. बम्बई के मराठी क्षेत्र में कुटीर उद्योगों के विकास में असफलता	१०० रुपये
२	१८५	श्री दा० रा० चावन	. महाराष्ट्र में हथकरघा उद्योग के विकास में असफलता	१०० रुपये
२	१८६	श्री दा० रा० चावन	. उत्तर व दक्षिण सतारा, कोल्हापुर और रत्नागिरि में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास में असफलता	१०० रुपये
२	१८७	श्री दा० रा० चावन	. महाराष्ट्र में सूती कपड़े की मिलों को बन्द होने से रोकने में असफलता	१०० रुपये
२	२०७	श्री तंगामणि	. मद्रास में विरुद्धनगर में बिजली करघों वाले कारखाने के अंशतः बन्द होने को रोकने में असफलता	१०० रुपये
२	२०८	श्री तंगामणि	. हथकरघा उद्योग के विकास के लिए अपर्याप्त अनुदान	१०० रुपये
२	२०९	श्री तंगामणि	. हथकरघे से बने वस्त्र की छट में की गई कटौती को पूरा करने में असफलता	१०० रुपये
२	२१०	श्री तंगामणि	. अम्बर चर्खा के लिये बहुत अधिक राशि आवण्टित करना	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
२	२११	श्री तंगामणि	. बिजली से चलने वाले कारखानों में दियासलाई का उत्पादन कम करने में असफलता	१०० रुपये
२	२१२	श्री तंगामणि	. बी० सी० डी० श्रेणी के दियासलाई कारखानों को संरक्षण देने में असफलता	१०० रुपये
२	२१३	श्री तंगामणि	. कपड़े की मिलों को बन्द होने से रोकने में असफलता	१०० रुपये
२	२१८	श्री बि० दास गुप्त	. पुरुलिया में चाकू, छुरी व बढ़ईगीरी के औजार उद्योगों का विकास करने में असफलता	१०० रुपये
२	२१९	श्री बि० दास गुप्त	. पुरुलिया में लाख उद्योग के विकास के लिए पर्याप्त उपाय करने में असफलता	१०० रुपये
२	२२०	श्री बि० दास गुप्त	. पुरुलिया जिले में टसर उद्योग के विकास में असफलता	१०० रुपये
२	२२१	श्री बि० दास गुप्त	. कलकत्ता के छोटे पैमाने के कांच उद्योग को बढ़ाने व संरक्षण देने में असफलता	१०० रुपये
२	२२२	श्री बि० दास गुप्त	. भारत में कुटीर छोटे पैमाने के और ग्रामोद्योगों का विस्तृत सर्वेक्षण कराने में असफलता	१०० रुपये
२	२२३	श्री बि० दास गुप्त	. छोटे पैमाने के उद्योगों के कारीगरों का ऋण उपलब्ध कराने में असमर्थता	१०० पये
२	२२४	श्री बि० दास गुप्त	. छोटे पैमाने के उद्योगों के उत्पादन के क्रय-विक्रय को संगठित करने में असफलता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
२	२२५	श्री बि० दास गुप्त	. छोटे पैमाने के उद्योगों के उत्पादन के लिए सस्ते परिवहन की व्यवस्था करने में असफलता	१०० रुपये
२	२२६	श्री बि० दास गुप्त	. छोटे पैमाने के उद्योगों के निगम को विकेन्द्रीकरण के आधार पर संगठित करने में असफलता	१०० रुपये
२	२२७	श्री बि० दास गुप्त	. पश्चिमी बंगाल में बहरामपुर से केन्द्रीय रेशम कीट पालन संस्था का हटाया जाना	१०० रुपये
२	२२८	श्री बि० दास गुप्त	. खादी व ग्रामोद्योग उद्योग के जिले-वार केन्द्र स्थापित करने में असफलता	१०० रुपये
२	२२९	श्री बि० दास गुप्त	. कलकत्ते में काफी हाउसों का बन्द होना	१०० रुपये
२	२३०	श्री बि० दास गुप्त	. पुरुलिया में एक सीमेण्ट कारखाना स्थापित करने में असफलता	१०० रुपये
२	२५१	श्री वें०प० नायर	. इंडिया काफी हाउस के छंटनी किये गये कर्मचारियों को उचित सहायता देने में असफलता	१०० रुपये
२	२५२	श्री वें० प० नायर	. इंडिया काफी हाउस को बन्द करने की नीति	१०० रुपये
२	२५३	श्री वें० प० नायर	रसायनिक उद्योगों में एकाधिकार को रोकने में असफलता	१०० रुपये
२	२५४	श्री वें० प० नायर	हथकरघा उद्योग के लिये सूत की लच्छियों के उचित मूल्य की व्यवस्था करने में असफलता	१०० रुपये
२	२५५	श्री वें० प० नायर	वस्त्र उत्पादन में लगे छोटे कारखानों की कठिनाइयां	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
२	२५६	श्री वें० प० नायर	भारतीय मानक संस्था के मानों के प्रयोग में भ्रष्टाचार को रोकने में असफलता	१००
२	२५७	श्री वें० प० नायर	गैर-सरकारी उद्योगों के प्रतिनिधियों द्वारा भारतीय मानक संस्था को सहायता व धन दिया जाना	१००
२	२५८	श्री वें० प० नायर	उत्पादकों का सर्वोत्तम स्तर बनाये रखने में असफलता	१००
२	२५९	श्री वें० प० नायर	भारतीय मानक संस्था के मानों के निर्धारण में गैर-सरकारी क्षेत्र का प्रभाव	१००
२	२६०	श्री वें० प० नायर	भारतीय मानक संस्था को पूर्णतः सरकारी संस्था बनाने की आवश्यकता	१००
२	२६१	श्री वें० प० नायर	भारतीय मानक संस्था द्वारा निर्धारित मान के आधार पर किस्मों की जांच कराने की आवश्यकता	१००
२	२६२	श्री वें० प० नायर	देसी साधनों से कच्चा माल तैयार करने वाले उद्योगों का विकास करने में असफलता	१००
२	२६३	श्री वें० प० नायर	काजू के तेल का औद्योगिक प्रयोग करने में असफलता	१००
२	२६४	श्री वें० प० नायर	पूंजी तथा उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण में विदेशी एकाधिकारियों को रोकने में असफलता	१००
२	२६५	श्री वें० प० नायर	रसायनिक उद्योग संबंधी नीति	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
२	२६६	श्री वें० प० नायर	भारतीय मानक संस्था का कार्य संचालन	१००
२	२७४	श्री वें० प० नायर	नारियल जटा उद्योग को समुचित सहायता देने में असफलता	१००
२	२७५	श्री वें० प० नायर	नारियल जटा को हाथ से कातने वालों की आर्थिक दशा सुधारने में असफलता	१००
२	२७६	श्री वें० प० नायर	जटा की चटाइयों के निर्यात की वृद्धि में असफलता	१००
२	२७७	श्री वें० प० नायर	नारियल के छिलके से जटा निकालने के काम में समय कम करने के लिये गवेषणा करने में असफलता	१००
२	२७८	श्री वें० प० नायर	सरकारी भवनों में नारियल जटा की दरियों व चटाइयों को प्राथमिकता देने में असमर्थता	१००
२	२७९	श्री वें० प० नायर	नारियल के छिलके को अत्यावश्यक पण्य घोषित करने की आवश्यकता	१००
२	२८०	श्री वें० प० नायर	सरकारी क्षेत्र में एक रबर कारखाना खोलने में असफलता	१००
२	२८१	श्री वें० प० नायर	बम्बई राज्य में एक रबर कारखाना खोलने की अनुमति देने में एक समवाय के साथ पक्षपात	१००
२	२८२	श्री वें० प० नायर	टायर आदि बनाने वाले नये कारखानों के रबर क्षेत्रों में ही खोले जाने की व्यवस्था करने में असफलता	१००
२	२८३	श्री वें० प० नायर	रबर का सामान बनाने में विदेशी समवायों द्वारा बहुत लाभ कमाया जाना	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
२	२८४	श्री वें० प० नायर	नारियल के जटा के बुरादे को उपयोगी काम में लाने के लिये गवेषणा कराने में असफलता	१००
२	२९४	श्री प्र० के० देव	उद्योगों के विकास में क्षेत्रीय असमानता	१००
२	२९५	श्री प्र० के० देव	उड़ीसा के कालाहाड़ी, फूल बनी व बोलनगिरि जिलों को छोटे उद्योगों के लिये सस्ती बिजली उपलब्ध कराने की आवश्यकता ।	१००
२	२९६	श्री प्र० के० देव	दण्डकारण्य क्षेत्र में एक अल्युमीनियम संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता	१००
२	२९७	श्री प्र० के० देव	कालाहांडी ज़िले में केसिंग में कागज़ का कारखाना स्थापित करने में बिलम्ब	१००
२	२९८	श्री प्र० के० देव	मलकांगिरि में एक कागज मिल बनाने की संभावना	१००
२	२९९	श्री प्र० के० देव	सम्बलपुर में एक सीमेण्ट कारखाना स्थापित करने में विलम्ब	१००
२	३१५	श्री वें० प० नायर	सीमेंट उद्योग तथा हयूम पाइप के निर्माण में एकाधिकार को रोकने में असफलता	१००
२	३१६	श्री वें० प० नायर	मध्यम पैमाने व छोटे पैमाने के दियासलाई उद्योग की स्थिति	१००
२	३२८	श्री वें० प० नायर	औद्योगिक उत्पादों में मूल्यों की गड़बड़ी रोकने में असफलता	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
२	३२९	श्री वें० प० नायर .	प्रशुल्क आयोग के कार्यसंचालन का मूल्यांकन करने के लिये एक आयोग की नियुक्ति की आवश्यकता	१००
२	३३०	श्री वें० प० नायर .	साइकिल निर्माण उद्योग की स्थिति	१००
२	३३१	श्री वें० प० नायर .	गोल मिर्च, इलायची, हल्दी आदि मसालों से चीजों के बनाने को प्रोत्साहित करने में असफलता	१००
२	३३२	श्री वें० प० नायर .	अगया थास तेल (लेमन ग्रास आयल) से विटामिन तैयार करने में असफलता	१००
२	३३३	श्री वें० प० नायर .	केरल की खनिज बालू से औद्योगिक कार्यों के लिये उपयुक्त वस्तुओं के उद्योगों का न शुरू किया जाना	१००
२	३३४	श्री वें० प० नायर .	नये उद्योगों के समान वितरण के लिये समुचित कदम उठाने में असफलता	१००
२	३३५	श्री वें० प० नायर	अदरक आदि का टिंकचर आदि के बनाने के लिये उपयोग न किया जाना	१००
२	३३८	श्री प्र० के० देव	जूनागढ़ में एक चीनी का कारखाना स्थापित करने की आवश्यकता	१००
२	३३९	श्री प्र० के० देव	कालाहाडी और कोरापट की पहाड़ियों पर काफी के बाग लगाने की आवश्यकता	१००
२	३४०	श्री प्र० के० देव .	उड़ीसा में टीटागढ़ या केसिंग में एक औद्योगिक क्षेत्र बनाने की आवश्यकता	१००
२	३४१	श्री प्र० के० देव	उड़ीसा में हथकरघा उद्योग के विकास की आवश्यकता	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
२	३४२	श्री प्र० के० देव	उड़ीसा में कागज उद्योग का राष्ट्रीय-करण	१००
२	३४३	श्री प्र० के० देव	उड़िया टाइपराइटर बनाने के लिये पर्याप्त सहायता न देना	१००
४	३४६	श्री प्र० के० देव	देश में सीमेंट की चोरबाजारी	१००
५	२१४	श्री तंगामणि	जेसप्स एंड कम्पनी तथा मूंदड़ा के अन्य समवायों के प्रबन्ध के लिये नियंत्रकों का नियुक्त न किया जाना	१००
५	२६७	श्री वें० प० नायर	समवायो द्वारा समवाय विधि के उल्लंघन को रोकने में असफलता	१००
५	२६८	श्री वें० प० नायर	समवाय विधि का संशोधन करने की आवश्यकता ताकि समवाय लोगों को धोखा न दे सकें।	१००
५	२६९	श्री वें० प० नायर	विदेशी व्यापार का लेखा रखने को प्रणाली में परिवर्तन करने की आवश्यकता	१००
५	२७०	श्री वें० प० नायर	विदेशो व्यापार के लिये भावी योजना का न तैयार किया जाना	१००
५	२७१	श्री वें० प० नायर	विदेशो व्यापार के पर्याप्त विविधीकरण में असफलता	१००
५	२८५	श्री वें० प० नायर	नारियल जटा व नारियल जटा के उत्पादन का विदेशों में व्यापार बढ़ाने को आवश्यकता	१००
५	२८६	श्री वें० प० नायर	नारियल जटा का निर्यात बढ़ाने में असफलता	१००
५	२८७	श्री वें० प० नायर	भारतीय चाय के निर्यात को अपने हाथ में लेने में असफलता	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
५	२८८	श्री वें० प० नायर	चाय निर्यात को बढ़ाने में असफलता	१००
५	३१८	श्री वें० प० नायर	निर्यातकों द्वारा कम दरों पर बोजक बनाने को रोकने में असफलता	१००
५	३१९	श्री वें० प० नायर	विदेशी व्यापारिक संस्थाओं में की शाखाओं द्वारा ऊंचे दरों पर बोजक बनाने का रोकने में असफलता	१००
५	३३६	श्री वें० प० नायर	मिर्च के मूल्य को स्थिर करने के लिये अन्य देशों से वार्ता करने में असफलता	१००
१०६	३४८	श्री प्र० के० देव	उड़ीसा तट पर प्रदीप में एक दूसरा जहाज कारखाना खोलने की आवश्यकता	१००

†**उपाध्यक्ष महोदय** : ये कटौती प्रस्ताव सभा के सामने हैं ।

श्री जगदीश अवस्थी : (विल्हौर) : उपाध्यक्ष महोदय, काफी देर से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुदानों के सम्बन्ध में चर्चा हो रही है । इस के पहले कि हम अनुदानों के सम्बन्ध में विचार करें, यह आवश्यक है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की जो औद्योगिक नीति है उस पर थोड़े सा विचार कर लें । हमारे देश में मुख्य रूप से कृषि का धन्धा है । यदि हम औद्योगिक दृष्टि से देखें तो हम अपने देश का औद्योगिक निर्माण इसी धन्धे से करते हैं । अगर हम दृष्टिपात करें तो हमारा देश कृषि के क्षेत्र में और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में बहुत कुछ पिछड़ा हुआ है । यद्यपि हमें स्वतंत्र हुये दस वर्ष हो गये हैं, लेकिन हम इतना कहने का साहस नहीं कर सकते कि कृषि के क्षेत्र में और औद्योगिक क्षेत्र में देश आत्म निर्भर हो चुका है । आज वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की जो औद्योगिकरण की नीति है उस को हम एक ही वाक्य में कह सकते हैं कि उस की मंशा केवल देश के बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े कारखाने, ऊंचे पैमाने पर काम करने की है । लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इस देश में, जो कि इतना विशाल देश है और जहां पर बहुत सी समस्यायें हैं, केवल कुछ शहरों में ही बड़े पैमाने पर बड़ी बड़ी मिलें हम खोल दें तो उस से देश का निर्माण नहीं हो सकता । जब तक इस बात को दृष्टि में न रक्खेंगे कि हमारे देश में जो सात लाख गांव हैं, उन गांवों में भी औद्योगीकरण का प्रसार हो, तब तक इस देश का सम्पूर्ण निर्माण होना असम्भव है । आज ग्रामों में सरकारी औद्योगिक नीति का कोई इस प्रकार का असर नहीं हो रहा है जिस से गांव में जो लोग खेती करते हैं, उन को दूसरे धन्धों में ले जाया जा सके और उन को और काम मिल सकें जिस से कि बेकारी

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जगदीश अवस्थी]

खत्म हो सके और उन की जेबों में कुछ पैसा आ सके। मैं चाहूंगा कि आज वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इस देश में ऐसी नीति अपनाये जिस से कि गांवों में भी औद्योगीकरण और छोटे छोटे धन्धों के प्रसारण की शक्ति आ जाय ।

आज देश के अन्दर जनसंख्या इतनी अधिक बढ़ी हुई है कि हम उस का ठीक दिशा में प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि वाणिज्य मंत्रालय इस ओर ध्यान दे कि उद्योग केवल धन से ही नहीं चलते हैं। जब तक हम उद्योग में श्रम को नहीं लगायें, जब तक उस का मिश्रण उद्योगों के साथ नहीं करेंगे तब तक देश में कोई उद्योग धन्धे नहीं चल सकते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि गांवों में जो शिल्पकार हैं, जो किसान हैं, जो इस देश में काम करने वाले आदमी हैं उन को धन्धों में लगा कर इस बात का विश्वास दिलाया जाय कि देश का जो निर्माण हो रहा है, जो कुछ उस में लोग कर रहे हैं, उन के अतिरिक्त दूसरे कामों को कर के भी वे कुछ पैदा कर सकते हैं और उस से कुछ और लोगों को रोजगार और रोजी का काम मिल सकता है ।

इस के पश्चात् इस देश का जो मुख्य उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग, उस के सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। विगत दस वर्षों से सूती वस्त्र उद्योग का जो धन्धा है वह प्राइवेट सेक्टर के या जो देश के बड़े बड़े उद्योगपति हैं उन के हाथों में रहा है। आज वस्त्र उद्योग में कितनी ही समस्यायें उत्पन्न हो गई हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ में मजदूरों की छंटनी हो रही है, कहीं प्ले आफ हो रहे हैं, कहीं रिट्रेंचमेंट हो रहा है, कहीं क्लोजर हो रहा है और इस सब का परिणाम एक ही हो रहा है कि आज इस औद्योगिक क्षेत्र में बेकारी बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ जो हमारे देश के उद्योगपति हैं वे एक नारा लगाते हैं, हर दूसरे तीसरे साल आवाज उठाते हैं कि स्टाक बहुत हो गया है, बाज़ार में हमारे माल की खपत नहीं हो रही है, हम अपनी मिल को क्लोज करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, एक तरफ यह नारा लगा कर बनावटी शोर मचाते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि माल इतना बढ़ गया है कि हम देश से उस का निर्यात करना चाहते हैं। यह सरकार भी इस बनावटी शोर में आ जाती है। एक तरफ क्लोजर हो रहे हैं, बेकारी बढ़ती जा रही है, दूसरी परफ सरकारी आंकड़ों से सिद्ध होता है कि जहां हमारी दूसरी चीजों का निर्यात बढ़ा है वहां कपड़े का भी निर्यात बढ़ा है और वे लोग निर्यात लाइसेंस ले कर अधिकाधिक मुनाफा कमाते हैं। मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में विचार किया जाय कि आखिरकार उद्योगपति झूठे क्लोजर का बहाना ले कर, स्टाक बढ़ने का बहाना ले कर, जो समस्या पैदा कर रहे हैं वह कहां तक ठीक है। मैं इस सम्बन्ध में एक उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे उत्तर भारत का सब से बड़ा औद्योगिक नगर कानपुर है। वहां सूती वस्त्र उद्योग की कई मिलें हैं। मूंदड़ा साहब, जिन के सम्बन्ध में सदन में और सदन के बाहर भी बहुत चर्चा हुई और आज भी हो रही है हमारे नगर में जहां और उद्योगपति हैं, वह भी एक उद्योगपति बन गये। एक वर्ष पहले वहां जो सब से बड़ा कंसर्न ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन का था, उन्होंने उस को हथियाया और उसके बाद उस के कोष से धन निकाल कर दूसरी जगह ले गये। परिणाम यह हुआ कि जो ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के प्रतिष्ठान थे, उन के संचालन में गड़बड़ी हुई जो कि स्वाभाविक ही थी। आज कानपुर में ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन का एक प्रतिष्ठान जो कानपुर काटन मिल्स है, वह मूंदड़ा साहब के इस प्रकार के कामों से बन्द हो गया है जिस से वहां बेकारी बढ़ी हुई है। कई बार सदन में इस की ओर ध्यान आकर्षित किया गया, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, और अब जब कि मूंदड़ा साहब ने ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के प्रतिष्ठानों की आर्थिक स्थिति को नष्ट कर दिया

अपने स्वार्थों के लिये, उस की छानबीन हो रही है। इस समय सरकार की आंख खुली है किन्तु जब इतना सब हो रहा था उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जिस प्रकार सरकार ने अब उन के कुछ प्रतिष्ठानों की जांच करने के सम्बन्ध में एक कमेटी बनाने का निश्चय किया है, मैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से यह प्रार्थना करूंगा, मांग करूंगा कि कानपुर में जितने वी० आई० सी० के कनसर्न हैं, जिन में मूंदड़ा साहब का हाथ है तथा जिन में गड़बड़ी पैदा हो गई है जिस से कि वे चल नहीं सकते, उन में छंटनी होगी, बेकारी होगी और औद्योगिक क्षेत्र में अशान्ति पैदा हो रही है, उन की जांच की जाये। मैं तो कहता हूं कि सरकार उन प्रतिष्ठानों को अपने हाथ में ले कर संचालित करे। एक तरफ सरकार की ओर से कहा जाता है कि अगर हम इन प्रतिष्ठानों को लेंगे तो हमें मुनाफा नहीं हो सकता है। मंत्री जी को यह मालूम होगा कि कानपुर में एक म्योर मिल है, जिस में कई उद्योगपतियों का हाथ है। वह मिल बन्द हो गया, बड़ी परेशानी पैदा हो गई और अन्त में उस मिल में हड़तालें हुईं। सब चीजें हुईं और अब वह मिल एक उद्योगपति के हाथ में आई है। मुझे मालूम हुआ है कि फरवरी के महीने में उस की जो बैलेंस शीट बनी है उस में मुनाफा होना शुरू हो गया है। आज सरकार को भय हो गया है कि उस में मुनाफा नहीं होगा? मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे मंत्री जी कानपुर पधारे थे तो उन्हों ने शंका प्रकट की थी कि कानपुर की म्योर मिल अगर ले ली जायेगी तो वह चल नहीं सकती। लेकिन आज उस में मुनाफा शुरू हो गया है। मैं चाहूंगा कि इसी प्रकार से वी० आई० सी० के जो कंसर्न मूंदड़ा साहिब के हाथ में हैं, जिन के कारण खतरा उत्पन्न हो गया है, अगर आप चाहते हैं कि देश का औद्योगीकरण हो, तो उन को आप अपने हाथ में ले लीजिये।

इस के पश्चात् इस देश में जो भारत सरकार की निर्यात नीति है उस के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहूंगा। हमारे देश में जिन वस्तुओं का निर्यात हो रहा है, उन में से चाय, मैंगनीज और जूट मुख्य हैं। इस बारे में सदन में दो रायें नहीं हैं कि अगर हम इन चीजों पर अपने को कंसेंट्रेट करें तो निश्चित रूप से हम इन का इतना निर्यात कर सकते हैं कि जिस से विदेशी मुद्रा का, विदेशी विनिमय का अर्जन कर के देश का निर्माण कर सकते हैं। मैं उदाहरण के लिये केवल चाय के उद्योग को लेता हूं। चाय के सम्बन्ध में यहां बहुत चर्चा की गयी। आप देखेंगे कि सन् १९१३ से १९४७ तक देश के अन्दर चाय की आन्तरिक खपत और निर्यात मिला कर २१ गुना बड़ी है। सन् १९४७ से अब तक हम इस पर बहुत रुपया खर्च कर रहे हैं, हम ने टी बोर्ड भी बना रखा है जो कि उस का इन्तिजाम करता है, और भी बहुत सी चीजें करता है। ड्यूटी भी दो रुपये से चार रुपये कर दी है। इतना सब करने के बाद भी उतना निर्यात नहीं बढ़ा है।

हमारे देश की चाय की विदेशों में बहुत मांग और इज्जत रही है। लेकिन अब हमारी चाय की विदेशों में मांग कम होती जा रही है। सीलोन हमारे देश के मुकाबले एक बहुत छोटा देश है। यदि आप सीलोन और भारत के चाय के निर्यात के विगत पांच छः सालों के आंकड़ों की तुलना करें तो आप को मालूम हो जायेगा कि सीलोन की निर्यात नीति में कितनी स्थिरता आ गई है लेकिन जो हमारा चाय का निर्यात हो रहा है उस में अस्थिरता आयी है। आप देखें कि भारत से १९५१ में ४५४ मिलियन पाउंड चाय निर्यात हुई, सन् २९५२ में ४१४ मिलियन पाउंड निर्यात हुई, सन् १९५३ में ५०० मिल्यिन पाउंड चाय निर्यात हुई, सन् १९५४ में ४४९ मिलियनपाउंड चाय निर्यात हुई और सन् १९५५ में ३६३ मिलियन पाउंड चाय का हमारे देश से निर्यात हुआ। सन् १९५७-५८ में जो हमारे यहां से चाय का निर्यात हुआ है उस के बारे में स्वयं मंत्री जी ने निर्यात सलाहकार समिति की बैठक में भाषण करते हुए कहा कि सन् १९५६ में हम ने जितनी चाय निर्यात की थी, सन् १९५७ म यद्यपि आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं उतनी चाय निर्यात नहीं हुई। इस का मतलब यह है कि जो सन् १९५६ में निर्यात हुआ था उस से सन् १९५७ में कम रहा। दूसरी तरफ आप सीलोन को लीजिये। वहां पर सन् १९५१ में ३०५ मिलियन पाउंड चाय का निर्यात हुआ सन् १९५२ में ३१४ मिलियन पाउंड का निर्यात

[श्री जगदीश अवस्थी]

हुआ, सन् १९५३ में ३३५ मिलियन पाउंड का निर्यात हुआ, सन् १९५४ में ३५६ मिलियन पाउंड चाय का निर्यात हुआ और सन् १९५५ में ३५७ मिलियन पाउंड चाय का निर्यात किया गया। इन आंकड़ों को देखने से मालूम होता है कि सीलोन जैसे छोटे देश का चाय का निर्यात स्थिर गति से बढ़ता जा रहा है। हमारे देश में चाय के निर्यात की, जो कि सब से ज्यादा विदेशी मुद्रा कमाता है, स्थिति गम्भीर है।

मैं मंत्री जी के एक वाक्य को यहां पढ़े देता हूं जो उन्होंने निर्यात सलाहकार परिषद् की बैठक में कहा था। चाय के द्वारा हम अब भी अपना बहुत अधिक विदेशी विनिमय कमा रहे हैं। सन् १९५६ में १४३ करोड़ रुपये कमायें सन् १९५७ में काफी कम रुपये मिलने की आशा है। इस का कारण यह है कि विदेशी बाजारों में चाय के मूल्य गिरे हैं और दूसरा यह कि परिमाण में भी चाय का कम निर्यात हुआ है। मंत्री जी के ये शब्द बात के द्योतक हैं कि विदेशी बाजारों में हमारे निर्यात का परिमाण भी कम हुआ है।। इस के कारण की खोज करनी चाहिये कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज हम ने इस के लिये टी बोर्ड भी स्थापित किया हुआ है। उस के ऊपर इतना रुपया खर्च कर रहे हैं। वह क्या काम कर रहा है। ये चीजें क्यों हो रही हैं। मुझे मालूम हुआ है कि जब से टी बोर्ड अस्तित्व में आया है इस की आन्तरिक कार्यप्रणाली संतोषजनक नहीं रही है। आप उस के प्रचार विभाग को देखें, विज्ञापन विभाग को देखें, किसी विभाग को देखें, उस का काम असंतोषजनक रहा है, ठीक काम नहीं हो रहा है। वह समय पर फिगर्स भी नहीं दे पा रहा है जैसा कि मंत्री ने खुद कहा है कि सन् १९५७ के निर्यात के आंकड़े हमारे पास नहीं हैं। उस ने आज तक वे आंकड़े ही नहीं दिये हैं। इन चीजों को देखना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि अगर हम चाय पर ही कंसेंट्रेट करें तो हम बहुत विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं।

आज देश के ६५ प्रति शत चाय बागान विदेशियों के हाथों में हैं। उन से जितना भी मुनाफा होता है वह विदेशों में जाता है। इस तरह से हमारे देश का बहुत सा धन विदेशों को चला जा रहा है। क्यों नही उद्योग मंत्रालय इस बात को देखता और चाय के उद्योग का राष्ट्रीयकरण करता। हमारे देश का धन हमारे देश में रहना चाहिये।

आखिर में, ज्यादा न कहते हुए मैं एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे मंत्री जी ने निर्यात सलाहकार समिति की बैठक में कहा था कि हम इतनी चीजों का आयात कर रहे हैं और यह स्थिति देशके लिये बड़ी खतरनाक है। उन्होंने कहा कि जिन चीजों का हम देशमें आयात करते हैं उन का देश में निर्माण होना चाहिये। निर्माण के सम्बन्ध में मंत्री जी ने एक सुझाव दिया है। वह मैं इस सदन के सामने पेश करना चाहता हूं। मंत्री जी ने कहा कि: "इस के अलावा सरकार ने भारतीय औद्योगिकों को विदेशी सहयोग प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित किया है जो अपने साथ प्राविधिक ढंग की बहुत सुविधायें ला सकते हैं मंत्री जी ने इस देश के उद्योगपतियों को प्रात्साहन दिया है कि अगर हम देश का औद्योगीकरण करना चाहते हैं तो हमें विदेशियों को यहां बुला कर उन के सहयोग से यह काम करना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह बहुत खतरनाक खेल खेला जा रहा है। आज हम राजनीतिक स्वतन्त्रता के वातावरण में सांस ले रहे हैं। लेकिन इतिहास बतलाता है कि संसार के जितने भी उद्योगपति हैं उन का कोई देश नहीं होता। उन का एक ही धर्म होता है। चाहे देशों की सरकारें लड़ जायें लेकिन वे कभी आपस में नहीं लड़ते। उन का यही धर्म होता है कि अधिक से अधिक मुनाफा कमाना और शोषण करना। हम यों ही विदेशों से कर्ज लेते जा रहे हैं। उस पर भी जो इस प्रकार का प्रोत्साहन हम भारतीय उद्योगपतियों को दे रहे हैं यह बहुत खतरनाक खेल खेला जा रहा है। इस पर सदन को विचार करना होगा। मेरी अपनी निश्चित राय है कि हम जो भी निर्माण का काम करें वह

अपने साधनों से ही करें चाहे ऐसा करने में हमारी प्रगति धीमी क्यों न हो। हम को विदेशों का आश्रित नहीं होना चाहिये। हम राजनीतिक स्वतन्त्रता में रह रहे हैं लेकिन हम आर्थिक दासता की ओर बढ़ते जा रहे हैं।

इन शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** (पालामऊ) : उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के माननीय सदस्य ने वाणिज्य मंत्रालय की नीति की आलोचना की है और कहा है कि विदेशी विनिमय की स्थिति इसलिये खराब हो गई है कि हमारे वाणिज्य मंत्रालय की नीति ठीक नहीं है। पर उन माननीय सदस्य ने अपने इस कथन के समर्थन में कोई उदाहरण नहीं दिया। सरकार के सामने और कोई रास्ता है नहीं है आज तो रूस ऐसे देश के सामने भी विदेशी विनिमय की समस्या पैदा हो गई है। चीन भी आज अपने विकास के लिये विदेश से मदद ले रहा है। ऐसी स्थिति में हमारी सरकार के सामने और क्या रास्ता है। अतः यह कहना सर्वथा अनुचित है कि वाणिज्य मंत्रालय की नीति ही गलत है। हां आयात की मात्रा में कमी करने की बात तो कुछ हद तक ठीक कही जा सकती है।

हमारी विदेशी विनिमय की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। कच्चे माल के आयात में कुछ रियायत दी गई है। हमारे इंजीनियरिंग सामान की पूर्वी देशों में अच्छी बिक्री हो रही है अतः कुछ विशेष प्रकार के इस्पात की अनुमति अवश्य खुली रहनी चाहिये। हमारे बड़े बड़े उद्योगों में रूस तथा चैकोस्लोवाकिया अधिक से अधिक हाथ बंटा रहे हैं। अनेक चीजों के निर्यात के लिये बाहर अच्छे बाजार की तलाश की जा रही है। जूट के निर्यात के लिये अभी अच्छे बाजार नहीं मिले हैं। अतः मेरा सुझाव है कि रूसी देशों के सथ हमारे व्यापारिक संबंधों को अधिक घनिष्ठ बनाने के लिये प्रयत्न किया जाना चाहिये।

आज गैर सरकारी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र को बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहा है। पर इस प्रयत्न में गैर-सरकारी क्षेत्र स्वयं अपनी हानि कर रहा है। मैं मानता हूं कि सरकारी क्षेत्र में भी त्रुटियां हैं। योग्य और प्रशिक्षित कर्मचारियों का सर्वथा अभाव है। अतः उचित नवयुवक को उचित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जानी चाहिये। सरकारी क्षेत्र में बरबादी व फिजूलखर्ची भी बहुत होती है। पर आरम्भ में ऐसा होना कदापि अनुचित नहीं है। चीन में भी आरम्भ में ऐसा ही हुआ था पर अब वहां बरबादी व फिजूलखर्ची नहीं होती। अतः हमारे यहां भी अब स्थिति ऐसी आ गई है कि बरबादी व फिजूलखर्ची में कमी हो जायेगी। आज अधिकांश सरकारी कारखाने या उपक्रम विदेशी ऋण के धन से चलाये जा रहे हैं। इन कारखानों में उत्पादन लागत में कमी होनी चाहिये ताकि हम ऋण का भुगतान कर सकें।

जब तक गैर-सरकारी क्षेत्र पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक हमारी अर्थ व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। राज्य सरकारें उद्योगों पर ठीक नियंत्रण नहीं रख पा रही हैं। अतः राज्य सरकारों को चाहिये कि इन उद्योगों को ऋण देने के बजाये वे उनमें साझेदार बन कर उनका ठीक प्रकार नियंत्रण करें तो ज्यादा अच्छा हो। हम देखते हैं कि कपड़े की कुछ मिलें बन्द हो गई हैं। असाही के कांच के कारखानों में जो कुछ हो रहा है उसे हम देख ही रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को तो विदेशी सहायता से चलाया जा रहा है। अतः सरकारी क्षेत्र को चाहिये कि वह गैर-सरकारी क्षेत्र के कुछ उद्योगों को अपने हाथों में लेकर अधिक अच्छी तरह चलाये।

हमारे देश में सूखा पड़ने के कारण जनता की स्थिति बहुत खराब हो गई है। अतः वहां छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये काफी आवश्यकता है। हमारा क्षेत्र चपड़े के निर्यात पर निर्भर

†मूल अंग्रेजी में

[श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा]

है। पर उसका नियंत्रण अधिकतर विदेशी समवायों के हाथ में है। यदि यह कार्य राज्य व्यापार निगम को सौंप दिया जाये तो यहां की जनता को काफी लाभ हो।

छोटे नागपुर के क्षेत्र में छोटे पैमाने के उद्योगों के विस्तार की बहुत आवश्यकता है। सरकार इस क्षेत्र में भारी उद्योग भी शुरू करना चाहती है। रांची में भारी मशीन उद्योग सरकार ने स्थापित कर ही दिया है। आशा है चौथा इस्पात कारखाना भी बोकारो में ही स्थापित किया जायेगा। फिर ये हमारे क्षेत्र में कुछ उद्योगों के सामने बहुत संकट है। उनकी सहायता की जानी चाहिये।

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : इस मंत्रालय के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने जो रूचि दिखाई है और जो सुझाव दिये हैं उसके लिये मैं बहुत आभारी हूं।

इस सभा में विदेशी विनिमय के सम्बन्ध में अनेक बार वाद विवाद हो चुका है और पिछली बार वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने और मैंने भी विदेशी विनिमय की वास्तविक स्थिति का अभ्यार्थ ज्ञान सभा को कराया था। इस समय तो मैं श्री विमल घोष तथा श्री प्रभातकार द्वारा उठाई गयी बातों का उत्तर दूंगा।

यद्यपि इस बात का स्पष्टीकरण कई बार दिया जा चुका है कि पिछले ५ वर्षों से हमारी आयात-निर्यात नीति ऐसी रही है जिससे औद्योगीकरण की वृद्धि हो, फिर भी कई लोगों के दिलों में अभी भी कुछ गलतफहमी बाकी है।

मैं सभा के सामने बहुत सारे आंकड़े नहीं रखूंगा पर पिछली बार जो आंकड़े मैं ने सभा के सामने रखे थे उनमें से कुछ आंकड़ों को मैं फिर दोहराऊंगा ताकि यह बात स्पष्ट हो जाये कि देश में जो कुछ आयात हो रहा है वह इस उद्देश्य से हो रहा है कि देश में औद्योगीकरण का विकास हो—जो मशीनी पुर्जे देश के भीतर बनाये जा सकते हैं उनको देश के भीतर ही बनाया जा रहा है और देश की अर्थ-व्यवस्था के लिये जो वस्तुयें महत्वपूर्ण नहीं हैं, खासतौर पर उपभोक्ता वस्तुयें, उनका आयात कम किया जा रहा है और उनके स्थान पर मशीनों, पूंजी माल, उत्पादक माल तथा औद्योगिक कच्चे माल का आयात किया जा रहा है।

अतः श्री विमल घोष की यह बात सुन कर मुझे आश्चर्य हुआ कि भुगतान संतुलन की स्थिति पर दीर्घ कालीन दृष्टिकोण से विचार नहीं किया जा रहा है बल्कि अदूरदर्शी ढंग से विचार किया जा रहा है। मैं पिछले कुछ वर्षो, के प्रत्येक ६ माही के आंकड़े सभा के सामने रखता हूं।

जनवरी-जून १९५५ में ४५ करोड़ रुपये के संयंत्र और मशीनरी का आयात किया गया। जुलाई-दिसम्बर, १९५५ में यह राशि ५५ करोड़ हो गई। जनवरी-जून १९५६ में यह आयात ६७ करोड़ रुपये का हुआ और जुलाई-दिसम्बर, १९५६ में ७४ करोड़ का। जनवरी-जून १९५७ में ८४ करोड़ का आयात हुआ है। १९५७ के उत्तरार्द्ध में भी इसी रवैये के आधार पर आयात हो रहा है। इस प्रकार सभा देख सकती है कि १९५५ के प्रथमार्द्ध में संयंत्र व मशीनरी के आयात में ४५ करोड़ रुपये का आयात किया गया और आयात की यह राशि १९५७ के प्रथमार्द्ध में बढ़ कर ८४ करोड़ हो गयी। स्पष्ट है कि पूंजीगत माल के आयात में ९० प्रतिशत की वृद्धि दिखाई पड़ती है। मुझे आशा है कि इन आंकड़ों को देखकर मेरे मित्र श्री विमल घोष को संतोष हो जायेगा कि हम भुगतान संतुलन या विदेशी भुगतान की समस्या को अल्पकालीन दृष्टिकोण से नहीं देख रहे हैं बल्कि हम तो यह चाहते हैं कि हमारे देश को विदेश से आयात करने की समस्या से शीघ्र से शीघ्र छुटकारा मिल जाये और अर्थ व्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्र में उद्योगीकरण करने के बाद आगामी १० या २० वर्षो में हमारे देश को विदेशों से आयात करने की आवश्यकता बहुत कम रह जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरी बात जो बहुत महत्व की है वह है औद्योगिक सामान के आयात की अर्थात् विभिन्न उद्योगों के लिये कच्चे माल के आयात की। इस सम्बन्ध में हमारी क्या नीति रही है इसे भी देखिये : सभा को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि १९५५ के प्रथमार्द्ध में औद्योगिक माल का १७७ करोड़ रुपये का आयात किया गया। जुलाई-दिसम्बर, १९५५ में यह राशि १९६ करोड़ थी। जनवरी-जून १९५६ में २२९ करोड़ रुपये के औद्योगिक माल का आयात किया गया और जुलाई-दिसम्बर, १९५६ में २५२ करोड़ रुपये का आयात किया गया। जनवरी-जून १९५७ में यह आयात २९२ करोड़ का किया गया इस प्रकार पिछले दो वर्षो में औद्योगिक कच्चे माल के आयात का स्तर १७७ करोड़ से बढ़ कर २९२ करोड़ हो गया और मैं सभा को आश्वासन दिलाता हूं कि १९५७ के उत्तरार्द्ध में इससे भी अधिक मूल्य का आयात किया जा रहा है।

इसके विपरीत उपभोक्ता वस्तुओं के आयात की स्थिति इससे बिल्कुल उलटी है। मैं सभा को यह भी बताना चाहता हूं कि उपभोक्ता वस्तु की जो परिभाषा दी गई है और जिसका इस समय पालन किया जा रहा है वह सही परिभाषा नहीं है। उस परिभाषा में अनेक प्रकार की वस्तुयें सम्मिलित हैं अतः सबसे पहले हमें यह करना चाहिये कि अर्थशास्त्र की शब्दावलि में उपभोक्ता वस्तु का जो अर्थ होता है उसके अनुसार हम वस्तुओं का उचित वर्गीकरण करलें। पर अभी जिस परिभाषा का अनुकरण किया जा रहा है उसके अनुसार भी उपभोक्ता वस्तुओं के आयात के लिये अनुज्ञप्तियों की संख्या धीरे धीरे कम कर दी गई है। १९५५ में २१४ करोड़ के आयात की, १९५६ में २१६ करोड़ के आयात की और वर्ष १९५७ में १६३ करोड़ के आयात की अनुज्ञप्तियां दी गयीं। इस दिशा में भी गत दो या तीन वर्षो में हमने २५ या ३० प्रतिशत की बचत की है।

†**श्री दासप्पा : प्रश्न तो यह है कि यह नीति कम से कम इससे २ पूर्व वर्ष क्यों नहीं शुरू की गयी ?**

†**श्री मनुभाई शाह :** यह बात कई बार बताई जा चुकी है और अभी कल तथा इसके पूर्व भी प्रधान मंत्री ने उन कारणों का उल्लेख किया था जिनके कारण १९५६ या उसके पूर्व इस सम्बन्ध में इतने सावधान नहीं थे जितने कि आज हैं। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे स्मरण करें कि १९५१–५६ के बीच के ५ वर्षो में हमारे देश का क्या दृष्टिकोण था—हमारा पौण्ड पावना भिन्न भिन्न देशों में जमा हो रहा था और सब लोग यह मांग कर रहे थे कि आयात को ढीला कर दिया जाये। इस बात नहीं को मैं इसलिये नहीं बता रहा हूं कि मैं यह बात बता कर अपने तर्क का पक्ष मजबूत करना चाहता हूं बल्कि इस लिये बतला रहा हूं कि पुराने इतिहास को हम कितनी जल्दी भूल जाते हैं। यदि माननीय सदस्य यह देखने का कष्ट करें कि उस समय सारे देश के व्यापार मंडलों, उद्योग संघों के फेडरेशन तथा सभी माननीय सदस्यों की क्या मांग थी तो वे पायेंगे कि चूंकि उस समय हमारे पौण्ड पावने की राशि बहुत ज्यादा इकट्ठी हो गई थी तथा सामान्य भावना यही थी कि अधिक से अधिक आयात करने की अनुमति दी जाये।

†**श्री रंगा** (तेनाली) : मैं माननीय मंत्री को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि १९४८ के बाद से हम निर्बाध सामान्य अनुज्ञप्ति की नीति की, जिससे उपभोग तथा विलास वस्तुओं का अधिकाधिक आयात होता रहा, बराबर आलोचना करते आये हैं।

†**श्री मनुभाई शाह :** मैं तो यह कह रहा हूं कि उस समय आयात में जो छूट दी गई थी उसका सारे देश ने स्वागत किया था। उस समय सभी लोग सामान्य रूप से यही चाहते थे। खैर मैं इस बात के झमेले में नहीं पड़ता। उस समय मंत्रालय की नीति चाहे कुछ रही हो। उस में अनुभव की कमी अथवा विदेशी मुद्रा की कर्मी के कारण चाहे कितनी त्रुटियां रही हों। किन्तु पिछले एक वर्ष से

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मनुभाई शाह]

हमारी आयात नीति में काफी सुधार हुआ है। और अब भी इस में सुधार हो रहा है। उपभोक्ता वस्तुओं के आयात में काफी कमी हो गई है। १९५१ की तुलना में देखने पर अब हमारे यहां औद्योगिक माल, उत्पादन-वस्तुओं पूंजी, वस्तुओं का व मशीनरी का अधिक आयात होता है।

हमारी दीर्घावधि भुगतान संतुलन की नीति भी काफी सफल सिद्ध हुई है। यह कहना ठीक नहीं है कि क्योंकि १९५५ अथवा १९५६ में हमने ठीक नीति नहीं अपनाई है इसलिये १९५७ में भी वैसी नीति बनी रही होगी, १९५७ की नीति पहली नीति के ठीक विपरीत रही है। हमने जनवरी १९५७ में उपभोक्ता वस्तुओं के आयात में बड़ी कमी करदी है और अब १६५ मद कम कर दिये गये हैं।

'आर्थिक समीक्षा' से कुछ सदस्यों को यह भ्रम हो गया ह कि विदेशी मुद्रा की कठिनाई के फलस्वरूप कच्चे लोहे और कुछ औद्योगिक सामग्री की कमी के कारण हमारे देश में कुछ उद्योगों का उत्पादन कम हो गया है। मैं इस स्थिति को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। सूती कपड़ा उद्योग को छोड़ कर जिसका उत्पादन १९५७ में ५३,४०० लाख गज पर आ कर स्थिर हो गया था शेष सभी उद्योगों का उत्पादन बढ़ा ही है और यह कहना गलत होगा कि विदेशी विनिमय की कठिनाइयों के कारण १९५७ में महत्वपूर्ण उद्योगों का उत्पादन कम हो गया है। इसके विपरीत वह उत्पादन काफी बढ़ा है। इसी लिये मुझे आश्चर्य हुआ जब मेरे माननीय मित्र श्री कोराटकर ने कहा कि उत्पादन बहुत बुरी तरह कम हो रहा है। यह ठीक है कि औद्योगिक सूचनांक १९५६ में १३३ था और १९५१ के आरम्भिक वर्ष में यह अंक १०० था। स्पष्ट है कि ६ वर्ष में ३३ प्रतिशत की वृद्धि हुई। औद्योगिक मूल की घरेलू चीजों के उत्पादन का कुल सूचक अंक शायद हमारे पास न हो और उसके वार्षिक प्रतिशत का पता न लगाया गया हो। हो सकता है यह ६ प्रतिशत से नीचे आकर ५.८ अथवा ५.७ हो गया हो। मैं निश्चित तौर पर तो नहीं कह सकता, परन्तु मैं सदन के समक्ष परीक्षण के लिये मासिक औसत सूचनांक प्रस्तुत करूंगा।

१९५५ में औद्योगिक उत्पादन का सामान्य सूचक अंक १२२·१ था। १९५६ में यह १३३ और १९५७ में यह १४७.२ हो गया। इस हिसाब से भी वृद्धि की दर कोई बहुत कम नहीं रही है। हुआ यह है कि यह सूचक अंक बहुत विचित्र प्रकार के हैं, क्योंकि इनमें कुछ विशेष प्रकार के राष्ट्रीय उत्पादन को कुछ अधिक कर के दिखाया जाता है। इसलिए जब कुल औद्योगिक सूचक अंक निकाला जाता है तो हो सकता है कि कपड़े के सम्बन्ध में प्रगति कुछ कम लगे। इसमें ५३,००० लाख गज में केवल ३०० लाख गज की ही वृद्धि हुई है। यह कोई वृद्धि तो है नहीं और इससे ६ प्रतिशत का सूचक अंक भी कम हो सकता है। परन्तु मुझे विश्वास नहीं, क्योंकि १९५५-५६ के मुकाबले में १९५७ के औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है। जहां तक रसायनों तथा रासायनिक पदार्थों, तथा इंजीनियरिंग पदार्थों का सम्बन्ध है, जो कि वास्तव में उद्योगों की नीव हैं हमने काफी उन्नति की है। मशीनरी उत्पादन के अंक २८९ तक पहुंच चुके हैं। मशीन निर्माण के विकास में हर बार सदन ने काफी रुचि प्रकट की है। यह अंक १९५५ में १६३ था और एक वर्ष में २१५ तक पहुंच गया। अर्थात् ५२ अंकों की वृद्धि हुई। १९५७ में यह अंक २८९ हो गया अर्थात् ७४ अंकों की वृद्धि हो गयी। उद्योगीकरण तथा उसके विकास के सम्बन्ध में मेरा जो भी अनुभव है उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि मशीन निर्माण के सम्बन्ध में यह प्रगति बहुत ही संतोष-जनक है।

इंजीनियरिंग उद्योग की भी ऐसी ही अवस्था है। इस में दो वर्षों में अंक १८३.३ से बढ़ कर २३६.२ हो गये हैं। रसायन उद्योग को औद्योगिक विकास में तीसरी प्राथमिकता प्राप्त है। गत दो वर्षों में इसकी वृद्धि के अंक १५९ से बढ़ कर १८०.७ हो गये हैं। इसलिए मैं सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि यद्यपि 'आर्थिक सर्वेक्षण' में कहा गया है कि कुछ उद्योगों का उत्पादन कम

हो गया है, परन्तु समग्रतः सभी उद्योगों के उत्पादन में कमी नहीं हुई है। यदि इस बात को सम्पूर्ण प्रसंग से अलग देखा जाये तो इससे गलतफहमी पैदा हो सकती है। कच्चे माल और विदेशी विनिमय की कमी की कठिनाइयों के बावजूद भी, मैं बार बार इस बात पर जोर दूंगा कि इस्पात पुर्जे अथवा मशीनरी के आयात की बहुत आवश्यकता है। हम इस बात की पूरी कोशिश करते रहे हैं कि औद्योगिक उत्पादन की दर कम न होने पावे।

[श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् पीठासीन हुए]

एक प्रसन्नता की बात यह भी है कि सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में भारी उद्योगों और मूल उद्योगों का काफी विकास हुआ है। जैसा कि सदन को पता है कि १९४७ में स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय हमारे देश में औद्योगिक मशीनरी का उत्पादन प्रायः शून्य था। १९५७ में हम ३६ करोड़ प्रति वर्ष का भारी मशीनरी उत्पादन कर रहे हैं जो कि उद्योगीकरण की प्रारम्भिक अवस्था में संतोषजनक बात है। उस देश के लिए जिसने अभी उद्योगीकरण को हाथ ही डाला है, यह काफी बड़ी सफलता है। यदि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का परीक्षण करें तो हमें पता चलता है कि ५५० करोड़ की व्यवस्था में से, यदि ४६०–४७० करोड़ रुपया सरकारी क्षेत्रों के इस्पात संयंत्रों के लिए ले लिया जाय तो भारी उद्योगों के लिए केवल ८० करोड़ रुपया शेष बचता है। और जैसा कि सदन को ज्ञात है कि हम समय-समय पर ३०० से ४०० करोड़ रुपये तक का कार्यक्रम सदन के समक्ष रखते रहे हैं। यह बड़ी बात है। केन्द्रीय भारी मशीन निर्माण संयंत्र पर जो कि रूस के सहयोग से शुरू किया जा रहा है, प्रथम अवस्था में ८० करोड़, और द्वितीय अवस्था में १६० करोड़ का खर्च होगा। तीन औषधि निर्माण संयंत्र, जिनकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के निर्माण के समय व्यवस्था नहीं की गयी थी, पर भी ६०–६५ करोड़ रु० खर्च होगा। भारी मशीनों के निर्माण की दिशा में ढलाई की भट्टियों, कोयला खानों की बड़ी मशीनों अथवा भारी मशीनों के पुर्जे इत्यादि बनाने में ५० करोड़ रु० लग जायेंगे। इसी प्रकार उर्वरकों तथा अन्य भारी उद्योगों की प्रगति भी काफी हुई है और मैं सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि आगामी दस वर्षों में नई विदेशी भुगतान की नीति बचत के आधार पर बुनियादी उद्योगों, पूंजी माल, औद्योगिक कच्चे माल आदि के आधार पर ही होगी ताकि हमारे देश में उद्योगीकरण हो जाये और भविष्य में हमें किसी भी वस्तु के लिये विदेशों पर आश्रित न रहना पड़े।

इस विकास की नींव रखी जा रही है। जो केन्द्रीय भारी मशीन निर्माण संयंत्र रांची में लगाया जा रहा है, वह जब पूरा तैयार हो जायेगा तो हर दो वर्ष के बाद एक पूर्ण संयंत्र तैयार किया करेगा और यह कारखाना संसार का सब से बड़ा इस्पात मशीनरी निर्माण संयंत्रों का कारखाना होगा। औषधियों के सम्बन्ध में भी ऐसी ही अवस्था है। यदि हम सारे तथ्यों का अच्छी प्रकार अध्ययन करें—जिन्हें समय समय पर सभा के सामने रखा जाता रहा है—तो हमें विश्वास हो जायेगा कि बुनियादी उद्योगों, उत्पादक माल उद्योग, मशीनी सामान उद्योग आदि का विकास तेजी से हो रहा है और शीघ्र ही स्थिति ऐसी हो जायेगी कि हमें विदेशी आयातों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

सरकारी क्षेत्र के कार्य के बारे में भी प्रश्न किया गया था। मैं यह कह सकता हूं कि यदि आप उत्पादन के आंकड़ों का अध्ययन करेंगे तो आप सरकारी क्षेत्र की कार्य प्रगति के सम्बन्ध में सामान्यतः पूर्ण रूप से सन्तुष्ट हो जायेंगे। केवल एक कारखाना, जिसका उल्लेख कई बार किया जा चुका है, नेपा मिल्ज़ समुचित उत्पादन नहीं कर रहा है। हिन्दुस्तान मशीन टूल फैक्टरी को ही ले लीजिये। आशा थी कि १९६० में यह फैक्टरी ३०० मशीनों का निर्माण कर सकेगी; गत वर्ष में इस में केवल ७५ मशीनें तैयार हो पाईं थीं, परन्तु इस वर्ष इस में ३४८ मशीनें तैयार की हैं। इतनी की तो कभी भी आशा नहीं थी। १९६०-६१ का लक्ष्य १९५७-५८ में ही प्राप्त कर

[श्री मनुभाई शाह]

लिया गया । इस कारखाने द्वारा बनाये हुए मशीनों के सामान इत्यादि बहुत ही अच्छे हैं । कोई भी देश इतनी प्रगति पर अभिमान कर सकता है । मशीनों का परीक्षण हम ने कई विदेशी विशेषज्ञों से करवाया है और मशीनों को बहुत अच्छा बताया गया है । सारा माल भी बिक गया है और आगामी २ या २।। वर्ष के उत्पादन के लिये भी हमारे पास आदेश आ गये हैं । यह गर्व की बात है कि सरकारी क्षेत्र के इस महत्वपूर्ण उद्योग में हमारे जैसे अविकसित देश ने, जहां कि प्राविधिक व्यक्तियों का बहुत अभाव ही है, एक स्विस संस्था की उत्पादकता की तुलना में प्रति व्यक्ति .९ की वृद्धि भी प्राप्त कर ली है । यह सरकारी क्षेत्र का प्रथम कारखाना होगा जहां हम प्रोत्साहक लाभांश योजना लागू कर रहे हैं ताकि कर्मचारियों को काम की प्रेरणा मिलती रहे । हमें आशा है कि सदन के आशीर्वाद और माननीय सदस्यों के प्रोत्साहन से हम इससे भी अच्छे परिणाम प्रदर्शित कर सकेंगे ।

सिंदरी में भी हम अपना उत्पादन लक्ष्य पार कर चुके हैं । मूल रूप में वहां प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता १,००० टन थी, परन्तु अब यह ११५० टन हो गयी है । और इस वर्ष हम ने ३,३०,००० टन अमोनीयम सलफेट का उत्पादन किया है । आशा थी कि हिन्दुस्तान केबल्ज़ द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्त तक ५५० मील तार का उत्पादन करेगा । परन्तु यह लक्ष्य तो हम ने इस वर्ष ही प्राप्त कर लिया है । तीन वर्ष अभी शेष हैं और यह आशा की जा रही है कि द्वितीय योजना के अन्त तक यह लक्ष्य दोगुना हो जायेगा और हमारा देश विभिन्न प्रकार के तारों के बारे में आत्म निर्भर हो जायेगा । इससे डाक तार विभाग और भारत सरकार के अन्य विभागों की आवश्यकतायें पूरी हो जायेंगी और यह भी हो सकता है कि कुछ निर्यात की भी गुंजाइश निकल आये ।

विभिन्न प्रकार के सभी नये कारखानों का उल्लेख न करते हुए, मैं केवल उसी कारखाने का उल्लेख करूंगा जिसके बारे में विभिन्न सदस्यों ने चिन्ता प्रकट की है । मेरा तात्पर्य हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक के कारखाने से है। पिम्परी कारखाने की बहुत आलोचना की जा चुकी है । परन्तु सदन को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि पिछले २ वर्ष पूर्व इसका उत्पादन ६० लाख मेगा यूनिट था पर अब उत्पादन २६०.६५ लाख मेगा यूनिट हो गया है । इस कारखानों के निर्माताओं का तो यही विचार था कि १९६०–६१ तक भी इसका उत्पादन २४० लाख मेगा यूनिट से अधिक नहीं होगा । अनुमान २४० लाख मेगा यूनिट था परन्तु उत्पादन २६० लाख मेगा यूनिट से अधिक हो गया है । अब हम ने इस उत्पादन का ५० से ६० प्रतिशत तक विस्तार करने का विचार किया है । इस सम्बन्ध में हम अमरीकी सार्थ के साथ एक करार भी कर रहे हैं । इस करार के बाद इस कारखाने में स्ट्रेप्टोमाईसीन का भी उत्पादन होना शुरू हो जायेगा । पिम्परी के कारखाने का कार्यक्रम काफी सन्तोषजनक रहा है ।

'नेपा' कारखाने के बारे में सारा इतिहास सदन को ज्ञात ही है । इस कारखाने को न तो भारत सरकार ने आरम्भ किया, और न ही यह सरकारी क्षेत्र में है । इसे मध्य प्रदेश सरकार ने एक गैर-सरकारी संस्था के साथ करार कर के प्रारम्भ किया था । इसका प्रबन्ध कोई अच्छा नहीं था और उस समय तक भी इसकी ठीक ढंग से देख भाल न की जा सकी जब कि भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार से यह कारखाना अपने हाथ में लिया । और हमें इस बात का दुःख है कि इस कारखाने का प्रबन्ध हमें करना पड़ा । परन्तु फिर भी मैं विश्वास दिला सकता हूं कि इस समय अवस्था यह है कि प्रति दिन ७५ टन का उत्पादन हो रहा है; यद्यपि इसकी उत्पादन क्षमता १०० टन की है । जब, अब कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी वित्त मंत्रालय में जा रहे हैं, हमें आशा है कि नेपा की

समस्या हल हो जायेगी । यदि इस कारखाने की आर्थिक व्यवस्था ठीक हो जाये, इस में समुचित परिवर्तन कर दिये जायें, तो इसी संयंत्र से जो हमारे नियन्त्रण में है अथवा, मध्य प्रदेश विद्युत् बोर्ड उसकी व्यवस्था कर दे जो हम चाहते हैं, तो निश्चित रूप में हम नेपा में पूरी क्षमता का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं ।

†**श्री दासप्पा** : विद्युत् बोर्ड और सरकार से आप क्या सहायता चाहते हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मध्य प्रदेश विद्युत् बोर्ड हमें पूरी बिजली नहीं दे रहा है । क्योंकि उनके अपने काम के लिए पर्याप्त बिजली नहीं है । ब्वायलर व मशीनरी भी पुरानी और टूटी फूटी है । चूंकि इसका नियन्त्रण हमारे हाथ में नहीं था अतः हम इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कर सके । सरकारी क्षेत्र में यदि नियंत्रण वास्तविक, प्रत्यक्ष व ठीक प्रकार का न हो तो विभिन्न प्रकार के निकायों से अप्रत्यक्ष रूप से काम लेना कोई सरल काम नहीं होता ।

नये कारखानों के सम्बन्ध में मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा । कच्ची फिल्मों के जिस कारखाने के सम्बन्ध में मैसूर के कुछ माननीय मित्रों ने पूछताछ की थी, उस के सम्बन्ध में पश्चिमी जर्मनी के 'अगफा' दल ने, जो यहां आया था, अन्ततः यही सिफारिश की है कि इस कारखाने के लिये उटकमण्ड ही सब से अच्छा स्थान है । अतः यह स्थान ठीक ही होगा । इस का बार-बार परीक्षण करना ठीक नहीं । एक बार ९ या १० स्थानों को देखने के बाद विशेषज्ञों ने इस स्थान के बारे में अपना मत प्रकट किया है । कच्चे फिल्मों का यह अन्तिम कारखाना तो है नहीं । सरकारी क्षेत्रों में इस प्रकार के और भी कारखाने भविष्य में खुलेंगे । उस समय अन्य क्षेत्रों के दावों पर विचार किया जायेगा, परन्तु इस समय इस की कोई गुंजाइश नहीं है । विशेषज्ञों के दल ने उटकमण्ड के लिये सिफारिश की है और उसी पर अमल किया जायेगा । श्री शंकरय्या ने कहा था कि कच्ची फिल्मों का यह कारखाना मैसूर में खोला जाये । मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस महान् और विस्तृत देश में भविष्य में कच्ची फिल्मों के दूसरे कारखाने किन्हीं अन्य स्थानों पर ही लगाये जायेंगे ।

छोटे पैमाने के उद्योगों के सम्बन्ध में मेरा कहना है कि रेशम बोर्ड की स्थापना १९४९ में हुई थी । उस समय इस का मुख्य कार्यालय दिल्ली में था । १९५२ में मुख्य कार्यालय बम्बई में बना दिया गया । फरवरी १९५७ को उसे बंगलौर भेज दिया गया । बंगलौर को केवल तीन मास के लिये मुख्य कार्यालय बनाया गया था, और इस समय भी वहीं पर है । अब उसे फिर बम्बई भेजने का प्रस्ताव है । क्योंकि बोर्ड के सभापति को वहां से कार्य संचालन करने में सुविधा होती है । फिर रेशम उद्योग केवल मैसूर ही में तो नहीं है, आसाम, बंगाल और उड़ीसा में भी है : एक केन्द्रीय स्थान होने के नाते अब यह मुख्य कार्यालय पुनः बम्बई आ गया है । बंगलौर जाने से पहले ५ वर्ष तक बम्बई ही इस का मुख्य कार्यालय रहा था ।

यह प्रसन्नता की बात है कि बिना दलीय भेदभाव के सभी माननीय सदस्यों ने लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर जोर दिया है । यदि हम गत वर्षों में किये गये कार्यों, योजनाओं की कार्यान्विति को ध्यान में रख कर सारी स्थिति का अध्ययन करेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि लघु उद्योगों के विकास के इतिहास में यह वर्ष बहुत ही महत्व का है । उत्पादन, योजनाओं की कार्यान्विति अथवा धन दिये जाने की दृष्टि से इस वर्ष के आंकड़े सब से अधिक हैं । यदि इसी प्रकार सदस्यों ने इस ओर रुचि दिखाई तो मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि इस क्षेत्र में हम बहुत कुछ उन्नति कर लेंगे ताकि हमारी राष्ट्रीय आय की वृद्धि हो । इससे श्रमिकों को प्रोत्साहन मिलता है और इस की आय का लाभ छोटे वर्गों के लोगों को प्राप्त होता है और वे लोग उद्योगीकरण के पीछे नहीं भागते साथ ही उन्हें अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाने का भी अवसर मिलता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मनुभाई शाह]

मध्यम स्तर के उद्योगों का भी हम ध्यान कर रहे हैं। १५, ५० और १०० करघे वाले विद्युत् से चल रहे कारखानों को दी गई सुविधाओं को हम वापस नहीं ले रहे हैं। विद्युत् करघों सम्बन्धी कानूनगो समिति की सिफारिशों को हम ने छोड़ा नहीं है। १०० करघों तक के कारखानों को हम रियायत दे रहे हैं। यह ठीक है कि चालू वर्ष में १०० से अधिक करघों वाले कारखानों से यह रियायत वापिस लेने का विचार था। पर श्री दासप्पा ने इस सम्बन्ध में जो आंकड़े सामने रखे हैं वह सही नहीं हैं। १०० करघे वाले कारखानों को भी यदि सहायता दी जायेगी तो उन आंकड़ों के आधार पर नहीं जो उन्होंने पेश किये हैं। हम सभी बातों पर विचार करेंगे। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मध्यम स्तर के सभी उद्योगों को भी हम बड़े उद्योगों के मुकाबले में पूरी सहायता देना चाहते हैं। इस उद्योग के बारे में ऐसा कोई सामान्य स्तर नहीं तय किया जा सकता कि एक करघे पर इतना खर्चा पड़ता है।

अम्बर चर्खा और खादी के सम्बन्ध में लोगों में कुछ गलतफहमियां हैं। यह बड़े गौरव की बात है कि अम्बर चर्खा और खादी जैसे विकेन्द्रित क्षेत्रों में उत्पादन चार वर्षों में १.५ करोड़ से ८ करोड़ तक पहुंच गया है। यह उन्नति तो मुबारकबाद के लायक है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि इस की उतनी प्रगति नहीं हुई जितनी कि आशा थी पर यह कहना गलत है। यह ठीक ही है कि विकेन्द्रीय क्षेत्रों के उद्योगों और कमजोर अर्थ व्यवस्था वाले उद्योगों की रक्षा करना कठिन होता है। उन को भारी मशीनी संयंत्रों तथा इस्पात संयंत्रों के मुकाबले में संगठित व कार्यान्वित करना कठिन होता है। अतः इस कार्यक्रम की सफलता के लिये सदन का आशीर्वाद, प्रोत्साहन और आशावाद चाहिये। अतः यह कोई सिद्धान्त की बात नहीं बल्कि यह एक सत्यता है कि ४० करोड़ लोगों के देश में जहां पूंजी का अभाव हो, पूंजी निर्माण की दर बहुत थोड़ी हो, बचत भी कम हो और समस्या के मुकाबले में पूंजी लगाने की दर भी कम हो वहां ऐसा ही होता है। इसलिये इन दोनों उद्योगों के बीच अच्छे सम्बन्ध रहेंगे और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि व्यवहार्यतः सभी सदस्यों ने इस नीति का समर्थन किया है।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, २० मार्च, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

[दैनिक संक्षेपिका]

बुधवार, १९ मार्च, १९५८

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२६२५–४९
तारांकित प्रश्न संख्या		
१०५२	दामोदर घाटी निगम सिंचाई नहर . . .	२६२५-२६
१०५३	द्विभाषी टेलीप्रिंटर	२६२७-२८
१०५४	डमडम में विमान दुर्घटना की जांच . . .	२६२८–३०
१०५५	कांडला विमान पत्तन	२६३०-३१
१०५६	रेलवे समाचारों पर सीटी-बोर्ड	२६३१
१०५७	मुअत्तल रेलवे कर्मचारी	२६३२-३३
१०५८	जापान से जहाजों का क्रय	२६३३-३४
१०६०	हिन्दुस्तान शिपयार्ड में जहाजों का दोषपूर्ण निर्माण . .	२६३४-३५
१०६१	कलकत्ता गोदी के श्रमिकों द्वारा हड़ताल . . .	२६३५-३६
१०६२	सारडीन मछली का तेल	२६३७-३८
१०६४	तार	२६३८
१०६६	हिन्दुस्तान शिपयार्ड के फ्रांसीसी परामर्शदाताओं का ठेका .	२६३८–४०
१०६७	मनीपुर में अनाज की वसूली . . .	२६४०–४३
१०६८	चम्बल पर पुल . . .	२६४३-४४
१०७२	इन्डामेर कम्पनी	२६४४–४७
१०७३	कानपुर मैडिकल कालेज	२६४७-४८
१०७४	यमुना बाजार क्षेत्र के निवासियों के लिये मकान . .	२६४८-४९
प्रश्नों के लिखित उत्तर		२६४९–७५
तारांकित प्रश्न संख्या		
१०६५	बच्चों के लिये दूध की व्यवस्था	२६४९
१०६९	उत्तर प्रदेश में यमुना नदी पर पुल का निर्माण . .	२६४९–५०
१०७०	आन्ध्र में दूध की खपत	२६५०
१०७१	गैर-सरकारी विमान संचालक . . .	२६५०
१०७५	विद्यार्थियों को रियायती टिकट . . .	२६५१
१०७६	सान्ता क्रुज हवाई अड्डा	२६५१
१०७७	विष्णु प्रताप शुगर मिल, खड्डा (उत्तर प्रदेश) . .	२६५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१०७८	डाक सम्बन्धी सुविधायें	२६५२
१०७९	रेलवे स्कूल	२६५३
१०८०	गोखले समिति का प्रतिवेदन	२६५३
१०८१	भारत-रूस विमान सेवा	२६५३-५४
१०८२	रेलवे स्कूल, रायगादा	२६५४
१०८३	मनीपुर को संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से दूध का उपहार	२६५४
१०८४	भारत-पाकिस्तान मालगाड़ी यातायात	२६५४
१०८५	बर्मा से चावल	२६५५
१०८६	भूमि का कटाव	२६५५
१०८७	सिकन्दराबाद में रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिये छात्रावास (होस्टल)	२६५५-५६
१०८८	धान	२६५६

अतारांकित प्रश्न संख्या		
१४२४	हवाई अड्डे	२६५६
१४२५	विदेशी विशेषज्ञ तथा उड्डयन विभाग	२६५६-५७
१४२६	विमान दुर्घटनायें	२६५७
१४२७	मद्रास में भारतीय नाविकों के लिये होस्टल	२६५७-५८
१४२८	पाकिस्तान में भारतीय नाविक	२६५८
१४२९	रेलवे यात्री सुविधायें	२६५८
१४३०	कुओं का निर्माण	२६५८-५९
१४३१	उत्तर रेलवे की सहकारी ऋण समिति	२६५९
१४३२	कपड़े का रेशा	२६५९
१४३३	आन्ध्र में मीन-क्षेत्रों का विकास	२६६०
१४३४	खाद्यान्न की उपलब्धि	२६६०
१४३५	अन्तर्राष्ट्रीय पुष्प प्रदर्शनी	२६६०-६१
१४३६	रेडियो सेट	२६६१
१४३७	बम्बई में पेरा जाने वाला गन्ना	२६६२
१४३८	लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी	२६६२
१४३९	भोजन यान	२६६२-६३
१४४०	लोक-स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र	२६६३
१४४१	रेलवे यात्री सुविधायें	२६६३
१४४२	बेजवाड़ा में रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	२६६३
१४४३	आन्ध्र में उचित मूल्य की दुकानें	२६६४

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(क्रमशः)		
अतारांकित		
प्रश्न संख्या		
१४४४	कृषि संबंधी और पशु-चिकित्सा कालेज	२६६४
१४४५	डाक-तार कर्मचारियों के लिये अन्तरिम सहायता	२६६५
१४४६	चतुर्थ श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों की भर्ती में भ्रष्टाचार	२६६५
१४४७	भटिण्डा का डाक-घर	२६६५
१४४८	स्पीडोमीटर सहित इंजन	२६६५
१४४९	मछली पकड़ना	२६६६
१४५०	मध्य प्रदेश में नई रेलवे लाइनें	२६६६
१४५१	सड़क-परिवहन	२६६६-६७
१४५२	कानपुर में रेलवे की बकाया धनराशि	२६६७
१४५३	रेलवे के स्कूल	२६६७-६८
१४५४	राज्यों में बिजली की खपत	२६६८
१४५५	हिमाचल प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग	२६६८-६९
१४५६	लेम्बूछरा बेसिक कृषि स्कूल, त्रिपुरा	२६६९
१४५७	त्रिपुरा में मोटर दुर्घटनायें	२६६९-७०
१४५८	क्विलोन-एरणाकुलम रेलवे लाइन के श्रमिक	२६७०
१४५९	दिल्ली के लिये गन्दी बस्तियों सम्बन्धी मंत्रणा निकाय	२६७०-७१
१४६०	तार-घर व सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय	२६७१
१४६१	सोनपुर में डाकघरों का खोला जाना	२६७१
१४६२	आंध्र प्रदेश में बहुप्रयोजनीय खण्ड	२६७१-७२
१४६३	विकास खण्डों में सामान को डिब्बों में बन्द करने का कुटीरोद्योग	२६७२
१४६४	डाकखानों के निरीक्षक	२६७२-७३
१४६५	मध्य रेलवे में अनुसूचित जातियों के कर्मचारी	२६७३
१४६६	मध्य रेलवे में भ्रष्टाचार	२६७४
१४६७	पजाब में चावल	२६७४
१४६८	भारतीय पशु-चिकित्सा गवेषणा संस्था, इज्जतनगर	२६७४
१४६९	गांवों में डाकखानों का खोलना	२६७४
१४७०	मदुरै के डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	२६७४-७५
१४७२	डाकखानों के निरीक्षक	२६७५
१४७३	जाब में श्रम सहकारी समितियां	२६७५
स्थगन प्रस्ताव		२६७५—७७

अध्यक्ष ने दिल्ली नगरपालिका निगम के निर्वाचनों के सम्बन्ध में औद्योगिक तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिये २० मार्च, १९५८ को सवेतन छुट्टी घोषित न करने के दिल्ली प्रशासन के निश्चय के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव, जिस की सूचना सर्वश्री स० म० बनर्जी, तगामणि, प्रभात कार, मोहम्मद इलियास और श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने दी थी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

विषय	पृष्ठ
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . .	२६७७
औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन-शुल्क) अधिनियम, १९५५ की धारा १९ की उपधारा (४) के अन्तर्गत औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन-शुल्क), नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली छः अधिसूचनाओं की एक प्रति सभा-पटल पर रखी गयी ।	
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना .	२६७७—७९
श्री मोहम्मद इलियास ने आकाशवाणी के कलकता केन्द्र के वर्ग 'ग' के ६०० कलाकारों की कथित छंटनी की ओर सूचना और प्रसारण मंत्री का ध्यान दिलाया । सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।	
मंत्री द्वारा वक्तव्य	२६७९—८०
रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) ने १२ मार्च, १९५८ की रात को आगरा और टूंडला के बीच रेल में रेलवे डाक सेवा के तीन कर्मचारियों की हत्या के बारे में एक वक्तव्य दिया ।	
विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के बारे में सहमति का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ	२६८०—८६
सरकारी भू-गृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक, १९५८ को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपने के लिये राज्य सभा की सिफारिश से सहमति प्रगट करने के प्रस्ताव पर, जो १८ मार्च, १९५८ को प्रस्तुत किया गया था, आगे चर्चा जारी रही । निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।	
अनुदानों की मांगें	२६८६—२७३०
वाणिज्य तथा उद्योग मत्रालय की अनुदानों की मांग सख्या १ से ५, और १०६ पर चर्चा आरम्भ हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।	
गुरुवार, २० मार्च, १९५८ के लिये कार्यावलि	
वाणिज्य तथा उद्योग तथा शिक्षा तथा वैज्ञानिक गवेषणा मत्रालयों की अनुदानों की मांगों पर चर्चा ।	